खण्ड-131, अंक-6
शनिवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(13 मार्च, 1954 ई0)

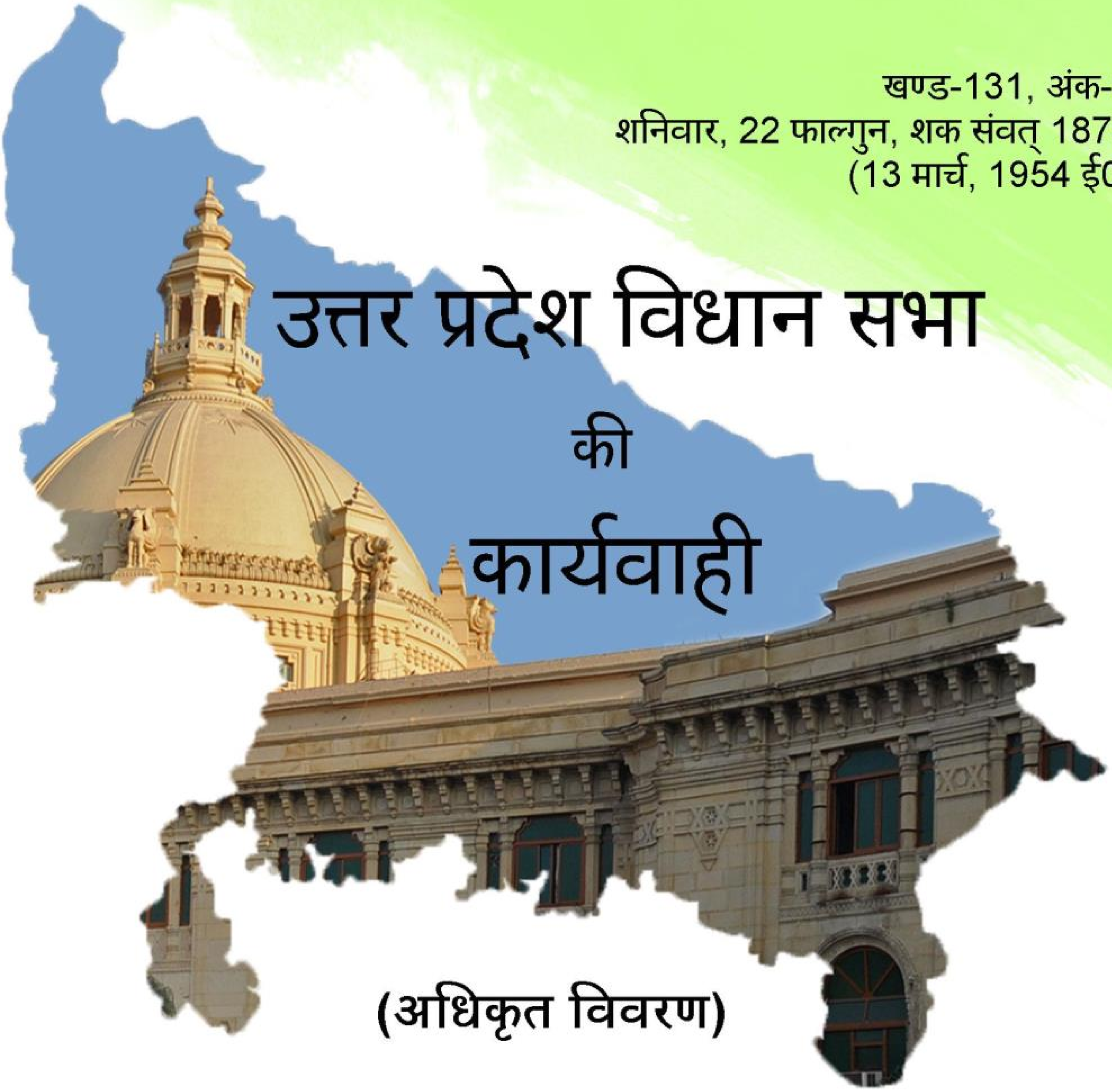

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १३ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की, अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली, राम श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद, पाण्डेय श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णा नन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री

राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदास, श्री
रामस्नेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

श्री गेंदा सिंह तथा श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार के जो प्रश्न इस सदन में उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं आज अपना निर्णय सुना देता हूं।

माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने तारीख ४ का अपने पत्र द्वारा देवरिया जिले के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा जिला मैजिस्ट्रेट के कुछ कार्यों द्वारा अपने तथा समष्टिरूप से इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना होने का प्रश्न उपस्थित करने की मुझ से अनुमति चाही। उनसे तथा माननीय गृह मंत्री से कुछ आवश्यक सूचनायें प्राप्त करने के बाद मैंने उन्हें नियम ४४ के अनुसार अनुमति दी और तारीख १० को प्रश्नोत्तरों के पश्चात् वह विषय उपस्थित किया गया। माननीय गेंदा सिंह तथा गृहमंत्री जी ने अपने अपने विचार आदरणीय सदन के समक्ष रखे जिसमें विषय के वैध होने के प्रश्न पर निर्णय देने में मुझे वाकयात के ज्ञान तथा उनके विचारों से सहायता प्राप्त हो सके। उठाए हुए विषयों के वैध होने न होने के सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय सदन के सूचनार्थ उपस्थित करता हूं :—

मैं गृह मंत्री जी का अनुगृहीत हूं उनकी उस उक्ति के विषय में, जिसमें उन्होंने सदन को सूचित किया कि इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों के संरक्षण का प्रश्न दलगत भावनाओं तथा पक्षपात से परे है और सभी ओर के सदस्य और सरकार इस विषय में सहमत हैं कि सदन की समष्टिरूप से और माननीय सदस्यों की वैयक्तिक रूप से मर्यादा तथा विशेषाधिकारों की रक्षा हर हालत में होना उचित और आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रश्न पर निर्णय देते हुये प्रारम्भ में कुछ बातें स्पष्ट करना मैं आवश्यक समझता हूं जिससे निर्णय का भावार्थ समझने में सहूलियत हो।

(१) विशेषाधिकारों का प्रश्न सदन के लिये महत्वपूर्ण है परन्तु वह बहुत जटिल भी है क्योंकि इंगलैन्ड की पार्लियामेंट के रिवाज पर ही वह निर्भर है। पराये देश की परम्पराओं का ज्ञान हमें अनेक पुस्तिकाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी कारण यह प्रश्न हमारे लिये अधिक जटिल हो जाता है तथापि इस विषय में कुछ मौलिक सिद्धान्त सर्वमान्य हैं जिनके आधार से कोई नजीर न मिलने पर भी नया प्रश्न सदन सुलझा सकता है। हमारे नियमों के अनुसार इस सम्बंध में उठाये हुये विषय को वैध या अवैध करार देकर विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ उसे भेजना या न भेजना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है। Prima facie यानी प्राथमिक विश्लेषण में यदि

[श्री अध्यक्ष]

मुझे प्रतीत हो कि किसी विशेषाधिकार क[illegible] देना मेरा कर्त्तव्य होगा। इसलिये प्र[illegible] का अर्थ समझ लेना मेरे निर्णय के आ[illegible] रोलैन्ड बरोज की पुस्तिका 'वर्डस ऐन्ड [illegible] में इस देश के हाई कोर्ट के दो न्यायाधी[illegible] इस प्रकार हैं :

PRIMA FACIE CASE (697.)

Indi[illegible] "The question for the H[illegible] rate having held a prima facie ca[illegible] permitting withdrawal of the cas[illegible] means that there is ground for p[illegible] not the same thing as 'proof, wh[illegible] whether the accused is guilty or [illegible] according to the conditions laid [illegible] obvious fallay to say that becau[illegible] case, therefore he believes the ca[illegible] proved. "SHER SINGH V.JITE[illegible] 275, per Ghose, J.,at pp 286, 2[illegible]

"The evidence discloses a [illegible] uncontradicted and if believed it [illegible] the accused." Ibid., per Loet-W[illegible]

इन व्याख्याओं को दृष्टि में रख [illegible] विश्लेषण में विशेषाधिकार की अवहेलना [illegible] से उठाए हुए विषय पर आगे कार्यवाही [illegible] होने पर उस विषय को बंध करार दे[illegible] अन्यथा उसे अबंध करार दूंगा। यदि [illegible] उसकी रिपोर्ट पर विचार करके यह स्प[illegible] की वस्तुतः अवहेलना हुयी या नहीं और [illegible] मेरे प्राथमिक विश्लेषण में दिये हुये इस स[illegible] के अंतिम निर्णय करने में पड़ना उचित न[illegible] आगे कार्यवाही [illegible] या न चलाने के [illegible]

उक्त स्पष्टीकरणों के पश्चात् [illegible] डालता हूं :

श्री [illegible] सिंह जी की तीन शिकायतें [illegible] ने वारन्ट द्वारा [illegible] तारीख ७ फरवरी को [illegible] और प्रथम रिमान्ड उस तारीख तक की थ[illegible] न आने पर भी जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उन्हें [illegible] व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३४[illegible] रखा जिससे वे सदन की सेवा से वंचित [illegible] हैं कि फौजदारी के मामले में भी गिरफ्तारी [illegible] धिकार की उनके मामले में अवहेलना हु[illegible] में गिरफ्तार न होने का किसी सदस्य का [illegible] उन्हें अवैध रीति से ६ दिन अधिक जे[illegible] मोलेस्ट या तंग किया गया जिसके परिण[illegible] जिससे सदन का अनादर यानी कन्टैम्प्ट [illegible]

[illegible] हुयी है तो प्रस्तुत विषय [illegible] वैध करार [illegible] विश्लेषण यानी Prin[illegible] इन शब्दों की परिधि समझने के लिये आवश्यक है। [illegible] जुडिशियली डिक्शनरी' [illegible] ४ [illegible] 'प्राइमा फेसी' शब्दों की [illegible] दी है वह

[illegible]rt in revision was whether a Magist[illegible] been made out was precluded from [illegible] is meant by a prima facie? It only [illegible]ding.... But a prima facie case is [illegible]es later when the Court has to find [illegible]ilty. 'Proof' is nothing but belief [illegible] the Evidence Act, and it is an [illegible]agistrate has found a prima facie [illegible] true in the sence that the case is [illegible] NATH SEN (1931), I.L.R. 59 Calc.

[illegible]acie case when it is such that it [illegible]ufficient to prove the case against [illegible] J., at p. 296.

कर्त्तव्य यह जानना है कि [illegible] प्राथमिक [illegible]तीत होता है और क्या [illegible] की दृष्टि [illegible]चत प्रतीत होता है या नहीं। [illegible] प्रतीत [illegible] विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ अभि[illegible]कार समिति के पास प्रस्तुत [illegible] तो [illegible] निर्णय देना होगा कि [illegible] विशेषाधिकार [illegible] तो क्या कार्यवाही या दंड [illegible] उचित है। [illegible]र्णय का कोई भी बाधक [illegible] विशेषाधिकार [illegible] निर्णय तो केवल इस प्रश्न पर सदन में [illegible] विशेष सम्बन्ध रखता है।

[illegible] शिकायतों के विषयों पर क्रमशः दृष्टि [illegible]

[illegible]हली सबसे महत्व की है [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible]ख २१ तक के लिये जेल में भेज दिया था [illegible]चात् ता० २१ से २७ तक [illegible] नई रिमान्ड [illegible] किया और जेल मैनुअल [illegible] धारा ४१३ [illegible]द्ध उन्हें ६ दिन अवैध रीति से जेल में बन्द [illegible] उपस्थित न हो सके। उनका [illegible] यह नहीं [illegible] पाने (यानी फ्रीडम फ्राम अरेस्ट) के विशेषा-[illegible] यह स्वीकार है कि फौजदारी के मुकदमे [illegible]कार नहीं है। उनका कथन तो यह है कि [illegible] गया। इस प्रकार उन्हें अवैध रीति से [illegible] सदन की सेवा व उपस्थिति से वंचित रहे [illegible] हाउस हुआ। इस प्रकार [illegible] वाक्यात की

नजीर अक्षरशः उपलब्ध न होने से तत्सदृश अन्य प्रकार के वाकयात की नजीरें तथा कन्टेम्प्ट की साधारण व्याख्या जो सर्वमान्य व्याख्या समझी जाती है उसके आधार से ही सदन इस प्रश्न पर निर्णय दे सकता है। वह व्याख्या Erskine May की पुस्तिका के पृष्ठ १०९ पर इस प्रकार है :

CONTEMPT IN GENERAL

It would be vain to ettempt an enumeration of every act which might be construed inte a contempt, the powor to punish for contempt being in its nature discretionary. Certain principles may, however, be collected from the journals which will serve as general declarations of the law of parliament. It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there in no precedent of the offence. (a)

उक्त व्याख्या को दृष्टि में रखकर और जो तर्क तथा कानूनी आपत्तियां जिनकी ओर माननीय गृहमंत्री जी ने संकेत किया उन सब पर विचार करके मैं समझता हूं कि सदन अपना निर्णय देने का पूर्ण अधिकारी है, चाहे अन्त में वह निर्णय अवहेलना होने के पक्ष में या विपक्ष में हो। प्रायः सभी प्रश्नों के निर्णय करने में कानूनी अड़चनें होती हैं या उठायी जा सकती हैं विशेषाधिकार या सदन के अपमान के प्रश्न पर विचार करने के साथ तत्सम्बन्धी उक्त कानूनी अड़चनों पर भी सदन स्वयं निर्णय न करके पहिले अदालत के द्वारा उन कानूनी प्रश्नों पर निर्णय होने तक प्रतीक्षा करे तो इस आदरणीय सदन तथा सदस्यों के सम्भवतः सभी विशेषाधिकार लुप्तप्राय हो जावेंगे। चूंकि माननीय सदस्य को जेल में ६ दिन अधिक रोकने में अवैध मोलेस्टेशन दिखायी देता है जिससे वह सदन की सेवा या उपस्थिति से वंचित रहे। इस कारणप्राथमिक विश्लेषण में विशेषाधिकार की अवहेलना जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा होना प्रतीत होता है। अतः मैं इस प्रश्न को जिसमें माननीय गेंदा सिंह ने जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट पर विशेषाधिकार की अवहेलना करने का आरोप लगाया है विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ निर्देशित करता हूं कि समिति अपनी रिपोर्ट अपनी सिफारिशों सहित २० दिन में उपस्थित करे।

दूसरी शिकायत माननीय गेंदा सिंह जी की उनके तार भेजने में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के रोड़ा अटकाने के सम्बन्ध में है। मैं इसमें गृहमंत्री जी की राय से सहमत हूं कि इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। जेल जाने पर जेल के नियम अन्य कैदियों की भांति माननीय सदस्यों पर भी लागू हैं। उन्हें कोई अधिक विशेषाधिकार सदन के सदस्य होने के नाते नहीं हैं इसलिये इस सम्बन्ध में अवहेलना का प्रश्न सदन में उठ नहीं सकता और मैं इस शिकायत को अवैध करार देता हूं।

तीसरी शिकायत यह है कि श्री गेंदा सिंह जी को जेल में बन्द करने पर संबंधित अदालत या मैजिस्ट्रेट ने उनके गिरफ्तारी और जेल में बन्द करने का कारण सम्पूर्ण रूप से अध्यक्ष को नहीं बताया। पहले सूचना में गिरफ्तारी का कारण दफा ३४१ बताया। बाद में ३२३ व १४७ दफायें उन पर लगायी गयीं जिसकी सूचना अध्यक्ष को नहीं दी गयी। इस आदरणीय सदन तथा उसके सदस्यों का फौजदारी के मामले में केवल इतना ही विशेषाधिकार शेष रहा है कि उसे किसी सदस्य के इम्प्रिजनमेंट डिटेंशन, कनविक्शन या रिलीज आदि के बारे में केवल सूचना मिले। मुकदमों के हरएक स्टेज पर या दफायें बदलने पर पुनः सूचना देने का भी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है यह प्राथमिक विश्लेषण में मुझे आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

[श्री अध्यक्ष]

फिर गिर[illegible] व जेल भेजने के कारणों
कारण [illegible] आवश्यक है [illegible]
तार द्वारा [illegible] दिये गये हैं
वह विषय [illegible] अधिकार का [illegible]

[illegible] नारायण दत्त जी ने [illegible]
उन्हें मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से [illegible]
दिया गया और [illegible] गिरफ्तारी, [illegible]
स्ट्रेट ने [illegible] कारण [illegible]
और [illegible] और [illegible]
सदन के [illegible] अधिकार की [illegible]
आरोप [illegible] करने के लिये [illegible]

[illegible] ने, [illegible]
देने का [illegible]
सदस्य को [illegible]
अपनी [illegible]
गिरफ्तार [illegible]
श्री [illegible] ने [illegible]
में प्रतीत [illegible]
बस में [illegible]
देने के [illegible]
देव की [illegible]
जून सन् [illegible]
यहां उद्धृत [illegible]

"I have heard the facts. On the [illegible]
is no longer in detention [illegible]
of doubt to my mind at present is [illegible]
or ten minutes—as yet I have [illegible]
concerned the [illegible] Member of Par[illegible]
that requires some clarification [illegible]

"I do not think it requires an [illegible]
clear. It is admitted that no infor[illegible]
was uninformed. a technical [illegible]
thing would be lost if I refer the [illegible]
it consider it and let it make its own [illegible]
stances in which the arrest took pl[illegible]
consider as to whether it was a tech[illegible]
or should not be excused. The [illegible]
recommendations. Prima facie, [illegible]
to the Privileges Committee. And [illegible]
otherwise on merits will be a matter [illegible]
to the Privileges Committee."

[illegible] और कर्नाटकान [illegible] जिक्र है जिसकी [illegible]

[illegible] आवश्यक [illegible] नहीं है केवल
के समय [illegible] समुचित मुझे
[illegible] को [illegible] दे दी [illegible] ऐसी अवस्था में
[illegible] में उसे भी [illegible] देता हूं।

वह केवल [illegible] कि तारीख ४ फरवरी को
करके ५० मील [illegible] जाकर [illegible] में छोड़
रोज की [illegible] अध्यक्ष को [illegible] मैजि-
स्ट्रेट जिन्होंने उन्हें पकड़ा [illegible] बंधन में रखा
के अन्तर्गत [illegible] निकाले [illegible] इस आदरणीय
हैं। इस [illegible] उनका [illegible] है कि इस
अधिकार [illegible] के पास भेजा जाय।

उन्हें मालूम [illegible] है, यह [illegible] कि सूचना
[illegible] में लागू [illegible] कि १४ [illegible] के अधीन किसी
[illegible] बारे में। [illegible] नारायण दत्त जी ने
उन्हें ले [illegible] विषय यह कहा गया कि ये
[illegible] आज्ञा [illegible] ले लें [illegible] जिसकी नकल
उक्त आज्ञा [illegible] पढ़कर [illegible] विश्लेषण
वह कुछ [illegible] [illegible] चाहे मोटर
[illegible] और [illegible] समय के [illegible] की सूचना
[illegible] उदाहरण [illegible] है जो [illegible] श्री दशरथ
विवाद और [illegible] का [illegible] तारीख १६
में मिलता है। अध्यक्ष [illegible] कुछ वाक्य में

is clear that Shri Dashratha Deb
at is very clear. But the only point
even be an arrest for five minutes
o information from the officer
was arrested. And to my mind

ents at all. The question is very
s given. It is only pleaded that it
ch should be excused. I think no-
to the Privileges Committee. Let
mendations about all the circum-
l them in will be for the House to
ach, whether it should be excused
Committee may make its own
s, I think it is a clear case to go
tion, of course of punishment or
House. So I refer this question

[illegible] पृष्ठ ७९, [illegible] पर गिरफ्तारी, [illegible]
[illegible] आवश्यक [illegible]

इसके अलावा जो हिदायतें मैजिस्ट्रेट तथा अदालतों को सूचना देने के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा भेजी गयी हैं उन में भी उनका कर्त्तव्य किसी सदस्य को केवल डिटेंशन और जेल में भेजने पर ही सूचना भेजने का नहीं बताया गया है। बल्कि अरेस्ट, डिटेंशन, कनविक्शन ऐन्ड रिलीफ की सूचना भेजने की भी हिदायत है। इस प्रकार इस विषय की साधारण पार्लियामेंटरी प्रथा यही प्रतीत होती है। उक्त प्रथा और वाकयात को देखते हुए प्रारंभिक विश्लेषण में मुझे प्रतीत होता है कि केवल मैजिस्ट्रेट द्वारा उक्त घटना की सूचना न देने में इस सदन के विषेषाधिकारों की अवहेलना हुयी है। इस कारण सिर्फ उक्त मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में इस उठाये हुए विषय को मैं वैध करार देता हूं और उसे विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ निर्देशित करता हूं कि वह अपनी रिपोर्ट मय अपनी सिफारिशों के १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यों को मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि निम्नलिखित समितियों का कार्यकाल ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त हो रहा है :—

(१) मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियां		२३ समितियों के लिए १४-१४ सदस्य
(२) वित्त समिति	..	१४ सदस्य
(३) सार्वजनिक लेखा समिति	..	२० सदस्य
(४) प्राक्कलन समिति	..	२५ सदस्य

इन समितियों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि और समय		२४ मार्च, १९५४ को दिन के १ बजे तक।
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	..	२५ मार्च, १९५४ को दिन के ३ बजे।
नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि और समय	..	३० मार्च, १९५४ को ३ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, स्थान और समय यदि आवश्यक हो तो बाद में सूचित किया जायगा।

अन्नमंत्री द्वारा दिये जाने वाले भाषण के पूर्व प्रकाशन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री रामनारायण त्रिपाठीजी ने एक विशेषाधिकार के सम्बन्ध में शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अन्न मन्त्री जी जो आज स्पीच देंगे, वह उन्होंने पहले से ही टाइप कराकर रख ली और वह प्रेस प्रतिनिधियों को दे दी उसके ऊपर वह लिखा है कि अभी उसका प्रकाशन न करें, जबतक कि वे यहां भी स्पीच न दे लें तो उनकी राय में इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी है। इस विषय में इस आदरणीय सदन के मेरे

[श्री अध्यक्ष]

पूर्व के अध्यक्ष श्री नफीसुलहसन ने जो तारीख ९-३-५१ को दिया गया था। इसी प्रकार सहमत हूं। इस लिए मैं इस प्रश्न को उठा देता हूं।

अब मैं सदन की सूचना के लिए यह बता गया था, माननीय सदस्य जो अब नये चुनाव में आखिरी भाग यह देता हूं —

हमारी नियमावली में एक नियम है जाने से पहले प्रकाशन के लिए देना मना किया या अन्य कोई प्रस्ताव, जो सदन के विचारार्थ नहीं है। श्री डाल्टन के मामले और इस मानलीय वित्त मन्त्री का भाषण भी होता है इसका विशेष भाग वह होता है जिसमें कोई को आय व्ययक का हिस्सा दिया जाता है, तो निश्चित समय से पहले उसके कुछ भाग जाता है, और साधारणतया ऐसी सूरत में आय व्ययक में नये कर का कोई प्रस्ताव एक प्रेस प्रतिनिधि को कर लगाने का प्रस्ताव कि वह उनके भाषण होने से पहले प्रकाशित नहीं उठाया गया था, परन्तु श्री डाल्टन ने भूल हो गयी थी। इन सब बातों पर विचार में विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं है।

इस बक्त भी इसी तरह का प्रश्न था नीय वित्त मन्त्री के विरुद्ध था। वित्त म जाता है। तो बाद में उन भाषणों के उ बात और है, मैंने प्रेस के सम्बन्ध में अपना में प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है, जैसा कि उन्हें भी थोड़ा बहुत विश्वसनीय समझाने प्रकाशन की सुविधा के ख्याल से एक रोज तर्क की दृष्टि से यह उचित ही होगा। हित की दृष्टि से भी यह उचित नहीं था प्रेस प्रतिनिधियों को अकारण नाराज किया

श्री राजनारायण (जिला बनारस) करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आपकी

श्री अध्यक्ष—क्या वह इसी से

श्री राजनारायण—जी नहीं है और आप की सम्मति उस पर चाहता

"That no number shall anything that he shall speak here

दिया है, वह बिलकुल स्पष्ट है, और वह प्रश्न उठाया गया था और मैं उस से पूर्ण अनुमति नियम ४४ के अनुसार नहीं

देता हूं क्योंकि उस वक्त भी फैसला दिया है, उनको मालूम नहीं है। मैं उसका कुछ

ता है, जिसके अन्तर्गत प्रश्नों को उत्तर दिये हैं। परन्तु आय व्ययक या किसी विधेयक को हो, उसके सम्बन्ध में नियम ऐसा में अन्तर है। आय व्ययक पर सदन में के भी दो भाग हुआ करते हैं। कहीं-कहीं का प्रस्ताव होता है। जो सदस्य तारों बात का आदेश भी दिया जाता है कि वे ही न खोलें। लिफाफे को बन्द कर दिया होती कि वे उसके विरुद्ध कार्य करें। हमारे श्री डाल्टन ने अपने भाषण के पहले ही दिया था, और उस से यह भी नहीं कहा था। उस मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न पना पद त्याग दिया था, इसलिए कि उससे हुए मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस मामले

शायद आय व्ययक के बारे में था, जो भाषण के बाद बजट तो सभी को मालूम हो ही रह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। एक कट किया था और कहा था कि उन्हें इस सदन दिया हुआ है। हर एक सदस्य की तरह है। ऐसी अवस्था में यदि सदन चाहे तो मंत्रीगण अपना भाषण पत्रकारों को दें, तो न के हित की दृष्टि से और हर सदस्य के है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाकर इस दृष्टिकोण से भी हमें देखना चाहिए।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ निवेदन पढ़ना चाहता हूं।

सम्बन्धित है।

सवाल से सम्बन्धित था दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है :

give a copy or publish or print

मैं बजट आदि के बारे में तो नहीं जाता हूं, लेकिन "मैं" के ५३ पेज पर है कि हम क्या बोलना चाहते हैं उसको कापी भी नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष—अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर पहले निर्णय हो चुका है, रूलिंग हो चुकी है, वह बदल दी जाय, तो आप उसके लिए मुझसे कमरे में बात कर सकते हैं। आप उस रूलिंग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकते, परन्तु यदि आप यहाँ पर मुझसे उसके बदलने के लिए कहें कि वह रूलिंग बदल दी जाय, तो वह अनुचित है। उसके लिए आप मेरे कमरे में आ सकते हैं और मुझसे विचार कर सकते हैं।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जनस्वास्थ्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब हम वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—जनस्वास्थ्य पर विचार जारी रखेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, उसका विरोध करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने इस विभाग को जनसेवी बनाने के लिए प्रयत्न किये हैं और जिस ऊंचे आदर्श पर लाकर उन्होंने इस विभाग का संगठन किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अभी कुम्भ मेले में जिस ढंग से इस विभाग ने काम किया है, उसकी हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने काफी प्रशंसा की है लेकिन इसके साथ साथ एकाध मछली ऐसी होती है, जो सारे तालाब को गन्दा कर देती है। यहाँ एक सम्मानित सदस्य ने डाक्टरों के विषय में कहा था कि दवायें बेचते हैं, वह सच है। इसके साथ ही अस्पतालों का जो समय है, वे उस समय में बाहर जाकर प्राइवेट मरीजों को देखते हैं, और अस्पताल का काम नहीं करते। मेरे क्षेत्र सिकन्दराराऊ में एक अस्पताल है, उसके जो डाक्टर साहब हैं, वे अस्पताल के टाइम में अस्पताल में नहीं रहते और बाहर मरीजों को देखने के लिए जाते हैं। यही नहीं एक दूकान से उनका सम्बन्ध है। वहीं से दवायें खरीदने के लिए वे मरीजों को बाध्य करते हैं। उन्होंने कोड वर्डस इस्तेमाल कर रखे हैं। इसकी सूचना एक दूकानदार ने कोड वर्डस को पकड़ कर के वहाँ के सिविल सर्जन महोदय को दी लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि सिविल सर्जन भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार के पास उनके विषय में रिश्वतों की भी बहुत सी शिकायतें आ चुकी हैं तो जब खुद हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स का यह हाल है, तो जो उनके मातहत हैं, उनकी क्या हालत होगी, वह कही नहीं जा सकती। एक लड़की ८, १० मील से चलकर आयी। उसके नाक में कीड़े पड़े हुए थे। डाक्टर साहब से कहा गया कि इसको एक्जामिन कर लो। वह ताश खेल रहे थे। उनको मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी कि उसको एक्जामिन कर लीजिये, चिट्ठी फेंक दी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब अस्पताल खुलेगा, तब देखेंगे, चले आए, जाओ यहां से और जब अस्पताल खुलता है, तो वे मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी मछली सारे तालाब को गन्दा करती है, और सारे विभाग को बदनाम कर देती है। हमारे तहसील में चेचक फैला हुआ था। मैंने स्वयं ९७ विलेजेज को पैदल जाकर देखा। सैकड़ों बच्चे चेचक से मरे थे। लेकिन मुझे दुख है कि वहां हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुंची।

[श्री नेकराम शर्मा]

इसके बाद में एक खतरे की सूचना ... और वह यह है कि कोमली प्लानिंग के लिए ... राधाकमल मुकर्जी जो कि हमारे देश में अगले ... वर्ष में हमारे प्रदेश की आबादी दुगुनी हो जा... हुई आबादी के साथ की समस्या भी बड़ी ... रकम रखी गयी है। इस लिए मेरी मान... तवज्जह है।

माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा ... काम वह करना चाहते हैं, नहीं कर सके ... पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुंच पा... डिस्पेंसरीज हैं, उनको बिलकुल बन्द कर दिया ... मैंने देखा है कि देहातों में जितने भी बोगस ... होते हैं, उन्हीं के डाक्टरों के पास जाते हैं ... डिस्पेन्सरियों पर होता है, उस से ऐलोपैथी का ... साथ ही साथ मैं यह नहीं चाहता कि आयुर्वेदिक ... सुझाव यह है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में ... और उसके लिए वहाँ पर आयुर्वेदिक कोर्स ... आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज पर जो खर्चा होता है ... और मामूली दवाओं की आवश्यकता होती ... प्राइवेट हकीमों पर यह काम छोड़ा जा सकता ... अस्पताल ही खोल देना चाहिए।

एक दूसरी बात यह है सेन्टर से जो ... अनुसार डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए ... खास-खास दवाइयां देने की ट्रेनिंग देकर उन्हें ... मात्रा में ही जायेंगे, उनको निकाल दिया जाय ... निकाला जायगा तो वह हमारे समाज को ... क्यों, नीम हकीम खतरे जान।

इसके अतिरिक्त पब्लिक हेल्थ एजूकेशन ... है। लिटरेचर द्वारा या फिल्मों के द्वारा ... नहीं किया जायगा, तब तक जिस मकसद से ... हुई है, वह मकसद पूरा नहीं होगा। मैं यह ... अडल्ट्रेशन ऐक्ट के पास हुआ, परन्तु कोई ... जी से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में ठोस ... वनस्पति घी का आना बिलकुल बन्द कर दें। ... बन्द हो जायगा तो खुद बखुद बहुत सी बीमारी ...

एक तीसरी बात यह है कि हमारे ... काम कर सकते हैं जो कि बहुत विद्वान हैं। ... भेंट करदें तो वह बहुत से रोगों के इलाज में ... नहीं खर्च होगा।

...नीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं ... में बहुत कम रुपया रखा गया है। डाक्टर ... बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने कहा है कि २५ ... वाली १२ करोड़ हो जायगी। तो इस तरह ... तक हो जायगी। उनकी फिगर बहुत कम ... त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस तरफ काफी ...

हमारे पास रुपये की बहुत कमी है, और जो ... स कारण जिस आदर्श तक यह विभाग को ... लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जो आयुर्वेदिक ... । उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ... वह खाली जो एलोपैथिक की डिस्पेंसरियां ... लए मैं समझता हूं कि जो अच्छी आयुर्वेदिक ... सरियां और खोली जा सकती हैं। इनके ... यें, बिलकुल खत्म कर दी जायें, बल्कि मेरा ... दक का एक पर्चा कम्पलसरी कर दिया जाय ... हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाय, लेकिन ... वाया जा सकता है। देहात में चर्म रोगों ... युर्वेदिक उसको पूरा नहीं कर सकता। ... हमें इतनी बड़ी रकम बचा कर चलते फिरते ...

मेडिकल कोर्स की स्कीम ... नहीं है, उसके ... को मामूली तौर पर इंजक्शन लगाने और ... भेजा जायगा और जिस तरह डाक्टर्स अधिक ... मैं समझता हूं कि अगर उनको इस तरह से ... जायेंगे, और हमारे लिए ... सिद्ध होंगे ...

और मन्त्री जी का ध्यान ... आवश्यक ... की बहुत आवश्यकता है। जब तक ऐसा ... मारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थापना ... हूं कि पब्लिक हेल्थ की ... जाती है, ... नहीं उठाया जाता है। मैं माननीय मन्त्री ... वें, और मेरा सुझाव है कि वह हमारे यहां ... आशा करता हूं कि अगर ... का आना ... अपने आप दूर हो जायेंगे।

... से आनरेरी डाक्टर्स मिलते हैं, जो आनरेरी ... साव है कि अगर गवर्नमेंट ... अच्छे इन्टर... ...रेंगे, और इसमें सरकार ... पैसा भी ...

इसके अलावा जो स्पूरियस ड्रग्स बनती हैं उनसे सम्बन्धित जो इन्स्पेक्टर्स होते हैं, वह ठीक काम नहीं कर पाते हैं। अगर उनके लिए टा० ए० और दूसरी चीजों की उचित व्यवस्था हो तो वह ऐसी दवाओं को पकड़ सकते हैं। टी० बी० हेल्थ विजिटर्स के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। W. H. O. से रुपया मिला है, उसकी मदद से इधर क़दम उठाना चाहिए।

चौथी बात प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में है। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। मेरा सुझाव है कि जो अच्छे डाक्टर्स हों, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी जाय और जो उससे आमदनी हो, उसका कुछ भाग उनको दे दिया जाया करे और बाकी अस्पताल में फन्ड में जाया करे। इस तरह इस काम में काफी सफलता मिल सकती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। मैं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है, उसका समर्थन और साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूं तो सरकार और सरकार के सभी विभागों में बहुत सी कमियां हैं और जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने स्वयं माना है कि जो अनुदान इस प्रान्त की स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत ही कम है। यह जानते हुए भी अगर मैं यह कहूं कि बुलन्दशहर का क्षेत्र जो कि दिल्ली के करीब है, वहाँ सरकार की निगाह प्रायः नहीं जाती फिर भी मैं कह सकता हूं कि यह विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसके जिले के स्तर के कर्मचारी और प्रान्त के सभी लोग प्रदेश के कोने-कोने में जाकर समय-समय पर कभी डी० डी० टी० छिड़कने के बहाने या यकायक जो बीमारियाँ फैल जाती हैं, उनके सम्बन्ध में जनता के सम्पर्क में रहते हैं। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात कहूं, तो जहाँ सरकार के अन्य विभागों की तरफ से मैं यह कहता हूं कि कोई नहीं पहुंचता है वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समय-समय पर जो दवाओं के साथ पहुंचते रहते हैं उससे जनता यह समझती है कि वाकई हमारे यहाँ एक सरकार है। हमारे माननीय मन्त्री जी की एक खास मेहरबानी है। मैं आप से कई साल पहले की एक चर्चा करूं कि एक दफा मैं माननीय मन्त्री जी के पास एक साधारण जनसेवक की भांति आया और उन्होंने फौरन ही मेरे उस इलाके में जाने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैंने बहुत डर के साथ माननीय मन्त्री जी से कहा कि रास्ता बड़ा खराब है, आप की गाड़ी नहीं जा सकती। उन्होंने अपना बेंत हिलाते हुए कहा कि वह स्थान कितनी दूर है, और वह फिर सहर्ष पैदल चलने के लिए तैयार हो गये। माननीय मन्त्री जी ने वहां के किसी अधिकारी को भी सूचना नहीं दी। वहाँ जाकर माननीय मन्त्री जी उस खादर क्षेत्र के एक गाँव में ठहरे और वहां के क्षेत्र की समस्याओं को सुना और उसके फलस्वरूप माननीय मन्त्री जी ने एक अस्पताल देना स्वीकार किया। वह अस्पताल आज वहाँ पर बनने भी जा रहा है। इसके लिए मैं भी माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। यही नहीं कि माननीय मन्त्री जी वहां एक दफा गये, दूसरी दफा भी जब मैंने माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना की तो दूसरी दफा भी उन्होंने उस क्षेत्र को जा करके देखा। मैं सरकार और सरकार के अन्य लोगों से यही कहूंगा कि यदि वे प्रदेश के उन कोनों-कोनों में जा करके देखेंगे, जो शहर और सड़कों से दूर बसे हुए हैं, और वहां के ग्रामीण लोगों से सही बातें करेंगे, तो वह जनता की सही समस्याओं को समझ सकेंगे और उनको हल कर सकेंगे और सरकार के प्रति जो आम शिकायतें रहती हैं, अगर सब विभाग के लोग इस तरीके से काम करें, तो वह शिकायतें भी दूर हो सकती हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग के मेहतर से लेकर ऊंचे से ऊंचे अधिकारी हैं, उनमें कमियाँ हैं, उनके विरुद्ध शिकायतें हैं और ऐसा माननीय मन्त्री जी स्वयं महसूस करते हैं, लेकिन मैं इस विभाग के बारे में कह सकता हूं कि जो गंदे और खराब मरीज अस्पतालों में जाते हैं, उनकी कै, थूक और टट्टी जिस प्रकार अस्पताल के मेहतर साफ करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उस प्रकार कोई

[श्री राम चन्द्र किशन]

नहीं कर सकता है। इसी प्रकार डाक्टर
करते हैं, लेकिन वे स्वयं अपनी जान को ज
करते हैं। इन कारणों से इस विभाग के
छोटी मोटी शिकायतों को भूल करके
लेकिन पैसे को ले करके अपनी जान खतरे
सबसे बड़ी सेवा प्राप्त हो सकती है, तो

इसके पश्चात् मैं माननीय मन्त्री
तरफ दिलाना चाहता हूं। वहाँ दाइयों
सो ऐसी खराब बीमारियों से बचेगी, वहाँ
से ग्रस्त हो कर अपनी जीवन लीला समाप्त
भोली भाली बूढ़ी दाइयां हैं, यदि उनके लिए
कल्याण गांवों का हो सकता है। जब
और इस भवन में सुना तो ऐसा ज्ञात हुआ
अनुदान रखा गया है। अगर वह छुट्टी
दी जाती, और थोड़ी बहुत सफाई की बातें
में पुरानी हैं, वे बहुत सेवा कर सकती हैं

यहां सदन में होमियोपैथिक, एलोपैथिक
हुई। मैं यह कहता हूं कि ये नीतियां वही
वैज्ञानिक ढंग से मरीजों को अध्ययन करने
कि जो नतीजे निकलते हैं, जो दुआ और
वह मनोवैज्ञानिक ढंग से मरीजों का अध्ययन
करते हैं। यह बड़े भारी विश्वास की
जो मरीजों को दवा नहीं देते हैं, केवल
ऐसा किया जाय तो हमारे देश का बहुत
कर्मठ मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वाकई
उन्होंने किया है, हमारे और मन्त्री अगर
हो सकता है। यही कहते हुए मैं समाप्त

राजा बीरेन्द्रशाह (जिला
ग्रान्ट भवन के
विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे
देना है, क्योंकि उन्होंने १० अस्पताल ग्रामों
होता है कि मन्त्री जी का सम्मान देहात
बड़ी प्रशंसा की बात है। देहात में दवाइयों
आदमियों को
की ओर
इसलिए इसको यहाँ कहना
की कोशिश की और मन्त्री जी से कहा
को दूर करते हुए उन्होंने जब कि पिछले
दे कर हम को प्रोत्साहित किया और साल
करण हो गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां
कर दें। अगर पूरी चीजें, वहाँ मुहय्या
है। आप १० अस्पताल खोल रहे हैं।

ने टी० बी० के
त करके उन टी० बी० के
धन्यवाद के काबिल हैं
ाद देना चाहिए। वे
हैं। मैं समझता हूं कि

न देहात में जो दाइयों
ा होने से जहां हमारी
ड़ों मां बहनें जो
उनकी भी जान बचेगी।
ों की व्यवस्था
त्त मन्त्री जी का बजट
ागिक विभाग के लिए
ी ग्रांट गांवों
तला दी जाती,
देश का पैसा
इसमें

ुर्वेदिक के
सफल कर सकते हैं जिनसे
त्र हो। हमारे समाज में
, यह क्या चीज है।
हैं और फूंक मार करके
काफी डाक्टर
न कर के उनको अच्छा
कता है। तो
का कार्य जिस तरह से देहातों में जा जाकर
कार्य करें, तो हमारे प्रान्त
।

माननीय अध्यक्ष महोदय,
हस हो रही है,
मन्त्री जी को विशेष रूप से
ने का प्रयत्न किया है।
ली गरीब जनता की ओर
और अस्पतालों की कमी
हां जगम्मनपुर के लिए
हमारे यहां के
पताल न खुलने पायें,
यहां के लिए
को चलाया और उस अस्पताल का

तों में अस्पताल बनायें,
तो अस्पताल बनाना और
आप इनडोर पेशेंट वार्ड

भारतकोश

तो जो मरीज वहाँ आयेंगे, वे कहाँ ठहरेंगे। शहरों में तो लोगों को ठहरने की जगह मिल जाती है, लेकिन देहातों में जो २०, २० और ३०, ३० मील से लोग आयेंगे, अगर किसी मरीज को दवा लेकर रुकना पड़ा, तो वह किसकी झोपड़ी में रहेगा, और अगर किसी को छूत की बीमारी हुई तो कौन उसको ठहरायेगा। इस लिए उन अस्पतालों में इनडोर पेशेंट वार्डस का खोलना बहुत जरूरी है और मैं माननीय मन्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां जो अस्पताल आपने खोला है, उसमें अगर चार हजार रुपये सरकार और दे-दे तो चार हजार रुपये हम लोग अपने यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे, और वहाँ एक इनडोर पेशेंट वार्ड खोल देंगे, क्योंकि जो किराये की बिल्डिंग की समस्या ७५ रुपये माहवार की थी, वह भी नहीं है, क्योंकि अस्पताल के पास अपनी बिल्डिंग है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे और हमारे यहाँ इनडोर पेशेंट वार्ड के लिए कृपा करेंगे।

जहाँ तक देहात में डाक्टरों की कमी का सवाल है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। डाक्टर वहाँ जाना पसन्द नहीं करते हैं इसका एक कारण है और वह यह है कि डाक्टर बनने में उनका इतना पैसा खर्च हो जाता है कि देहात में उनको उतनी आमदनी नहीं होती है, जिसकी वजह से वे खुद इतने मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसके लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि जो डाक्टर देहात में काम करने जायं, उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, उनके ग्रेड को बढ़ाना चाहिए। दूसरे मैं यह चाहूंगा कि जो लड़के, मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिए आप भर्ती करें, उनके लिए एक शर्त आप रख दें कि जो पांच साल तक देहात में काम करेगा, उसी का दाखिला मेडिकल कालेज में होगा। यह एक ऐसी चीज होगी, जिस से लोग देहात में जाने लगेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हेल्थ आफिसर्स के काम से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका कार्य केवल इतना ही रह गया है कि वैक्सिनेटर्स को देखें और कुओं की दवाई बंटवा दें और कोई देख रेख और निरीक्षण का काम नहीं रहा है। इसलिए, श्रीमन्, अगर इनको सिविल सर्जन के अन्डर में रख दिया जाय और वह ऐडवाइजरी बोर्ड के अन्तर्गत काम करें, तो ये अधिक अच्छा काम कर सकेंगे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से जो अनुदान इस भवन के सामने उपस्थित है और इस पर बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण हो चुके हैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ी हुई हूं। सबसे पहले इस विभाग के कर्मचारियों ने जो कुम्भ मेले के अन्दर सुन्दर और उचित प्रबन्ध किया है उसके लिये मैं उन्हें विभाग के कर्मचारियों तथा मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देती हूं। कल माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया था कि पैसे की कमी होने के कारण अपने प्रान्त के देहात के अन्दर अस्पताल नहीं खोल सकते हैं, यह ठीक है और हम जानते हैं कि पैसा हमारे प्रान्त में कितना कम है और अस्पताल खोलने के लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ती है। यह बात भी हम लोगों से छिपी हुई नहीं है।

यह सब कुछ होते हुये भी मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं। आज शहरों के अन्दर जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अन्दर स्थान बहुत कम हैं। देहातों से जो मरीज आते हैं उनको ठहरने की दिक्कत होती है मैं उनका ध्यान अपने जिले के डफरिन अस्पताल की ओर खींचना चाहती हूं जब से देहात स्त्रियां डेलवरी के लिये आती हैं, काम्पलीकेटेड केसेज आते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारी बहिनों को अस्पताल के अन्दर स्थान नहीं मिलता है। वहां के प्रबन्धकर्ता पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनको स्थान नहीं दे पाते हैं क्योंकि स्थान का अभाव है। इसलिये मैं अपने मंत्री जी का ध्यान खींचते हुये प्रार्थना करूंगी कि डफरिन अस्पताल के अन्दर जच्चाओं के

[श्रीमती [illegible] सूद]

लिए और बैडस् [illegible] दिये जांय तो अच्छा [illegible] में जच्चाओं को [illegible] में लिटाना पड़ता है नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन बैडस् बढ़ाये [illegible]

इसके साथ में आपके द्वारा माननी[illegible] का कार्य मेरे जिले में कैसा है। मुझे यह [illegible] था जो पहले मेरे क्षेत्र में था। वहां साल के [illegible] कि जब इसका मौसम आता था तो गांव के [illegible] तरह से मेहनत करने पर आज दो वर्ष से [illegible] बतलाना चाहती हूं और धन्यवाद देना चा[illegible] मुक्त हो चुका है। आज दो वर्ष से वह [illegible] सुन्दर काय कर रहा है ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा [illegible] है बीमारियों को [illegible] न होने देने के लिए [illegible] सकें तो बहुत उचित होगा। भारतवर्ष में [illegible] यह काम होता था कि वह बीमारियों को दे[illegible] गांवों के अन्दर आने से रोकें, उसके लिए ब[illegible] की उन्नति की आवश्यकता होगी। यह सा[illegible] कर सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं उस[illegible] चाहती हूं। वह यह है कि जिन कारणों से अ[illegible] को आज हम रोक सकते हैं, मेरा यह विश्[illegible] की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान खींच[illegible] जानते होंगे, हमारे प्रान्त के अन्दर पहले की [illegible] बढ़ने के कारण जो इलाके पहले शहर से [illegible] शहरों के बाहर जहां पहले जंगल थे, कबरिस्[illegible] के अन्दर आ चुके हैं। आज वहीं मुर्दे गाड़े [illegible] वाले पी रहे हैं। मेरे विचार में और [illegible] यह फील करते होंगे कि जहां मुर्दा [illegible] पानी पीने से जनता का स्[illegible] महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय [illegible] हूं कि आज जो [illegible] कबरिस्तान आबादी के [illegible] कारण स्वास्थ्य [illegible] बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो [illegible] शिफ्ट कर दिया जाता है और दूसरी ज[illegible] नये मुर्दे पुराने कबरिस्तानों में न गाड़े जां[illegible]

मेरे बहुत से भाइयों ने इन दाइयों के [illegible] में भी दो चार शब्द कहना चाहती हूं। इन [illegible] बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि [illegible] कुछ डिब्बे जिसमें स्टिरियलाइज्ड लिटर, [illegible] मैं बड़े दुःख के साथ कहती कि डिब्बा तो दिया [illegible] मेरी नोटिस में दो तीन जगह से यह चीज [illegible] हैं कि उसमें बच्चों के नाखून काटना बहुत [illegible] मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहती हूं कि [illegible]

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान क[illegible] को बधाई देती हूं।

ने देखा कि जनवरी और फरवरी के महीने [illegible] रतों को देखते हुये हम देखते हैं अस्पताल हैं जो आसानी से सरकार [illegible] सकती है।

[illegible] को बताना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग [illegible] खुशी होती है मेरे जिले में एक इलाका ऐसा [illegible] दिनों प्लेग फैला रहता था। [illegible] फैलता था [illegible] हो जाते थे। आज स्वास्थ्य विभाग की पूरी [illegible] दय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को [illegible] वह इलाका [illegible] जैसी भयंकर बीमारी से [illegible] म नहीं है। इस लिये [illegible] विभाग [illegible]

हमारा देश गरीब है, हमारा प्रान्त गरीब [illegible] आवश्यकता है लेकिन अगर बीमारी रोक[illegible] डाक्टरों की कमी थी तो पुराने वैद्यों को [illegible] न दें। बीमारियों को [illegible] शहरों और [illegible] आवश्यकता है; हमें [illegible] के पदार्थों [illegible] यां होते हुए हुए उसको [illegible] दूर नहीं [illegible] अपने माननीय मंत्रीजी का ध्यान खींचना [illegible] के अन्दर बीमारियां फैलती [illegible] कारणों [illegible] ननीय अध्यक्ष महोदय, मैं [illegible] सम्स्या [illegible] हूं। वह समस्या है मेरे माननीय भाई [illegible] आबादी बहुत ज्यादा बढ़ [illegible] है। आबादी [illegible] वह शहर के रूप में परिणित हो गये हैं। [illegible] बादी बढ़ने के कारण वह कब्रिस्तान शहरों [illegible] और वहीं के कुओं का पानी वहां के रहने [illegible] दृढ़ विचार है कि [illegible] लोग [illegible] जाय उसके आस पास के कुओं का [illegible] बिगड़ता है। इसलिये अध्यक्ष [illegible] का ध्यान इस ओर खींचना चाहती [illegible] चुके हैं और वहां के रहने वालों पर [illegible] वहां से उठाकर कबरिस्तान [illegible] कहीं और [illegible] जाय और यह हुक्म दे दिया जाय कि [illegible]

ननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। [illegible] भाइयों के होते हुए भी जैसा कि पिछले साल [illegible] को ट्रेनिंग तो नहीं दे सकेंगे लेकिन उनको [illegible] कैंची और चाकू होंगे, वह दिये जायेंगे। [illegible] में कैंची, चाकू [illegible] सब दिये गये, लेकिन [illegible] ह कैंचियां इतनी बेकार थीं और नाजायज [illegible] और कठिन कार्य [illegible] सकता [illegible] इसलिए [illegible] बों की तरफ ध्यान दें।

करती हूं और मंत्री जी और [illegible] विभाग

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो श्री गंगाधर मैठाणी द्वारा कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था उसी के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मनुष्य का स्वास्थ्य ही जीवन है, परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है । इस रास्ते में प्रगति न देखकर सरकार की उदासीनता प्रगट होती है । हाँ, बड़े-बड़े नगरों में कुछ एलोपैथिक हास्पिटल खोले गये हैं जहाँपर सफेदपोश लोग या पैसे वाले लोग ज्यादा पहुंचते हैं, जो पैसे से भी अपनी दवा करा सकते हैं । जहाँ पर प्राइवेट डाक्टर्स अक्सर दूकान खोल कर बैठे रहते हैं । परन्तु हमारे देहातों में गरीब और निरीह जनता बिला वारिस छोड़ दी गयी है जिससे कि हजारों लोग तरह तरह के रोगों से ग्रसित होकर कुत्ते और बिल्ली की मौत मर रहे हैं । सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है । जो एलोपैथिक अस्पताल खोले गये हैं उनमें भी दवाओं का अच्छा प्रबन्ध नहीं है । सिवा छोटी बड़ी शीशियों के जिनमें दवा की मात्रा बहुत ही कम होती है और कोई प्रबन्ध दवा का वहाँ नहीं है । एलोपैथिक दवाओं से जितने पैसे में हम सौ पचास रोगियों को अच्छा कर सकते हैं उतने पैसे में अपने हिन्दुस्तान के अन्दर बनी हुई औषधि से हम इसके कई गुना अधिक लोगों का उपचार कर सकते हैं । पहले जमाने में हमारे यहाँ जंगलों में ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो जंगलों से जड़ी-बूटियाँ लाकर हमारे रोगों को आसानी से अच्छा कर दिया करते थे । लेकिन हमारी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है । ज्यादातर बिलायती दवाओं की तरफ ही सरकार का ध्यान है । पहले बापू के समय में हम लोग विदेशी चीजों की पिकेटिंग किया करते थे, लेकिन आज बिलायती चीजों को ही अपनाया जा रहा है । हमारे यहाँ आयुर्वेद की परीक्षा पास डाक्टर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है । अगर सरकार की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन मिले और देशी दवाओं का प्रयोग किया जाय तो हम लोगों का ज्यादा कल्याण हो सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । गाजीपुर जिले में बहादुरगंज कस्बा दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। पानी बरसने पर जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ से रास्ता बन्द हो जाता है। वहाँ पर अस्पताल का कोई प्रबन्ध नहीं है । आये दिन गंगा के किनारे बसे हुये गाँवों में लोग मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित रहते हैं । वहाँ पर गौतपुर ग्राम में एक महावीर राष्ट्रीय औषधालय बीस पच्चीस वर्ष से जनता की सेवा कर रहा है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है । अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ सहायता मिले तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की सेवा कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष--चूंकि बहुत से सज्जन बोलना चाहते हैं इसलिए मैं ५ मिनट से अधिक नहीं दूंगा ।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और अपने स्वास्थ्य मन्त्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं । हमारे उत्तर प्रदेश में कुल ५३७ राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय हैं । ५ मील के हिसाब से अभी ७०० औषधालय खुलने चाहिये । हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया कि सन् १९५४-५५ में वह १० औषधालय और खोलने जा रहे हैं । इसके लिये भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । अब मैं दो एक बात और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे भारतवर्ष में हमेशा से आयुर्वेदिक पद्धति चलती आयी है और सरकार को भी चाहिये कि वह इस पद्धति की ओर प्रोत्साहन दे । आयुर्वेदिक कालेजों में जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी के निकलते हैं उन्हें विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाय और उनके अनुदान को भी बढ़ाया जाय । लखनऊ में जो कालेज आयुर्वेदिक का वह खोलने जा रहे हैं उसको पूर्णरूपेण बढ़ावा दिया

जाय और उसे काफी प्रोत्साहन देकर आयुर्वे
इसके अलावा हमारे यहां बाराबंकी जिले
का निश्चय
कि वहां इमारत
फिर क्यों बन्द कर दिया गया इसका कारण
अलावा कुछ कस्बे ऐसे हैं जैसे (१) सवरिख, (
(५) बदोसराय वगैरह जहां पर दवाखाने क
रस्तोगी एक पक्का मकान तथा ५०० रुपया
एक औषधालय अवश्य खोल दिया जाय जिस
का वन जो है वह सरकारी वन है। उस वन
जाय तो बहुत सुन्दर होगा। उस वन में
के अस्पताल को भी उससे बड़ी सहायता मि
का वर्णन करना चाहता हूं। इस समय हमारे
वह रोग मानस या हृदय का रोग है। हमारे

मानस रोग कछुक मैं गाये।
हैं सब के लखि बिरलन

मानस रोग प्रत्येक मनुष्य के अन्दर

हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ने हमें
मिलने के बाद इस देश में रामराज्य स्थापि
व्यवस्था उस राज्य में थी। उस जमाने
स्वस्थ थे, सभी निरोग थे।

दैविक दैहिक भौतिक तापा।
रामराज्य नहिं काहुहिं

रामराज्य में किसी प्रकार का
प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। अतएव मैं अप
में इस प्रकार का अस्पताल खोला जाय जिस
हो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि राम राज्य
बनाने को हमारी नीति हमें यह सिखाती

सचिव, वैद्य, गुरु तीनि जो
राज, धर्म, तन तीनि व

रावण के राज्य में ऐसा हो था। मं
की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच गई तो र
जब अपने मन्त्रियों को बुलाया तो उन्होंने यह
प्रहस्त अपने पिता को समझाने आया तो उ

सचिव कहहिं सब ठकुर सुहाती
नाथ न पुर आव इहु

राज्य नाश की यह शिक्षा रावण को
चाहता हूं। आजकल हमारे चिकित्सालय
होने जाता है उसी तरह नारायण दिये बिना

को एक ऊंचे स्थान तक
बाद में एक ए० बी० अस्पताल खोलने
गित कर दिया गया है। मैं समझता हूं
। तो वहां पर खोलने का निश्चय करके
में नहीं आया। बाराबंकी जिले में इसके
द्धौर, (३) सफदरगंज, (४) कोटी और
न्ध नहीं है। बदोसराय में मोहन लाल
ये देने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि वहां
आवश्यकता है। इसके अलावा सफदरगंज
टियां और औषधियों के वृक्ष लगाकर लगाये
जड़ी-बूटियां मिलती हैं। जहांगीराबाद
थी। इसके अलावा एक विशेष रोग
बहुत बड़ा भीषण रोग फैला हुआ है।
मी जी ने कहा है कि,:

।

दिलायी और वह चाहते हैं कि आजादी
रामराज्य में क्या था? कितनी सुन्दर
गी नहीं दिखायी पड़ता था। सब लोग

नहीं था, आज हम देखते हैं कि मानस रोग
मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रदेश
रोग दूर हो। और राम राज्य से निमूर्ति
वण राज्य में क्या अन्तर था। रामराज्य

भय आश।
नहीं नाश

हुते थे? जिस समय भगवान श्री रामचन्द्र
नंदोदरी ने समझाया। लेकिन रावण ने
हाती समझाया और जब रावण का लड़का
पिता जी,

वैद्य कैसे थे मैं वैद्य को भी परिभाषा देना
होता है। चिकित्सालयों में जो करता
में किया जाता। मैंने प्रयाग यह देखा है

कि जब कहीं गरीब के सर पर लाठी की बौछार होती है और अस्पताल जाने पर जब वह वहां के कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकते तो उसके ऊपर निर्दयता पूर्वक उपचार और व्यवहार हुआ करता है। उनसे नगद नारायण की मांग होती है। बिदाई के समय कहते हैं कि कुछ इनाम मिलेगा ? मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि हमें रामराज्य स्थापित करना है अतएव मैं ठकुर सुहाती नहीं कहता। नहीं तो हम भी वही कहते कि,

हमहुं कहब अब ठकुरसुहाती ।
नाहिं तो मौन रहब दिन-राती ।।

रावण राज्य में वैद्य कैसे थे राम राज्य और रावण राज्य में अन्तर जानने के लिये यह भी आवश्यक है। रावण राज्य में सुषेण वैद्य थे। उन्होंने रावण के साथ बेईमानी की थी। जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वे मुर्छित होगये तो सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी बता दिया और हनुमान जी उसे ले आये। जिससे लक्ष्मण जी जीवित हो गये। परन्तु रावण और उसके अनेकों वंशजों का नाश हो गया किन्तु सुषेण वैद्य ने कोई कल्याण का उपाय नहीं बतलाया।

फूलहिं फरहिं न बेत यद्यपि सुधा बरसहिं जलद ।
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं विरंचि सम ।।

रावण के गुरु श्री भगवान शंकर थे लेकिन रावण को उनकी भी शिक्षा सफल न करसकी इसलिये उसका राज्य नष्ट हो गया। और हमें तो राम राज्य स्थापित करना है और राम राज्य की हमें नीति को अपनाना है और पूज्य बापू की हृदय भावना को पूर्ण करना है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान भवन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं माननीय मन्त्री जी को इसके लिये हृदय से बधाई देता हूं।

पारसाल मैंने माननीय मन्त्री जी से एक प्रार्थना की थी कि मेरे जौनपुर जिले में जो अस्पताल है उसकी इमारत की हालत बड़ी खराब है। उस समय माननीय मन्त्री जी का ध्यान वहां पर गया और उन्होंने इतना रुपया दे दिया कि जिससे उसकी मरम्मत थोड़ी सी हुई। अब मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन उनके रहने के लिये स्थान नहीं है, बेड्स भी कम हैं और परदे भी नहीं हैं जिससे मरीज सुरक्षित स्थान पर रह सके। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी उस तरफ भी ध्यान दें। और वहां पर एक स्थान खुटहन है। वहाँ पर डाक्टर नहीं था जिसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी। तो डाक्टर की व्यवस्था तो मंत्री जी ने करदी है, लेकिन वहां दवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दवाओं की ओर भी ले जाना चाहता हूं। दूसरे शाहगंज और खेतासराय की जनता ने कई दरख्वास्तें सरकार के पास भेजीं कि वहां पर अस्पताल खोला जाय लेकिन पता नहीं चला कि क्या उन पर कार्यवाही हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह वहाँ की जनता का हित ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अस्पताल खोलने की व्यवस्था करें।

अतिरिक्त इसके हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर काफी जोर दिया कि देहातों में जो दाइयां काम करती हैं उनको औजार दे दिये जांय तो ज्यादा अच्छा वे काम कर सकती हैं। इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बच्चा जच्चा पैदा करने के लिये थोड़ी बहुत चीजें उनको मिल जाँय, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाय तो वे जच्चा बच्चा का काम बाखूबी कर सकती हैं और सेवा सुश्रुषा का काम भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी उनको भी प्रोत्साहन दें ताकि वे देश की सेवा कर सकें और हृष्ट पुष्ट बच्चे जनवा सकें।

[श्री बाबूनन्दन]

अतिरिक्त इसके मैं माननीय मंत्री जी ... हूं जिनकी वजह से देहातों में मुश्किलें ... हैं वे रुपये के लालच में झूठे सर्टिफिकेट दे ... मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई सर्कुलर ... सर्टिफिकेट ईश्यू न हों ... और जो सुपरवाइजर ...

श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी (... जो जेरेबहस है, वक्त बहुत कम है, उसके ... मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक तो यह कि मैं जिस हल्के से ... तौर पर सड़कों की हालत इतनी खराब है, ... है, तो घरों में गर्द ही गर्द हो जाती है। ... अस्पताल ऐसा है कि अगर वह न होता तो ... खासा अस्पताल है, लेकिन उतरौला के अस्पताल में आना भी बहुत मुश्किल है। ... देगी और मेरा कहना हवा में न उड़ जाय।

दूसरी चीज जो आम उसूलों के ... कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है, तमाम चीजों के ... से इन्कार करना होगा। हमने हर-हर ... है, सिवा एक तरीके इलाज के। आप ... खुदा जाने यहां के माहौल में जो गैर मुल्क ... वैद्यक और तिब्बे-यूनानी को अख्तियार ... गवर्नमेंट की है और कुछ आम रुझान भी ... करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर को उधर ... हुकूमत में वैद्यक और यूनानी इलाज की तरफ ... किया जा रहा है, उसका वह हिस्सा जो ... हिस्सा जो यहां समझा जायगा। मैं यह भी ... में मुझे जाने का इत्तिफाक रहता है, कम से ... वाकया समझें कि जहां-जहां पर आपके अस्पताल ... डाक्टर हैं, उनके तर्जेबेकार में, उनके ... आदमी वहां पर जख्मी होकर आता है, तो ... आम तरीके पर होना चाहिए। मैं आपके ... हुये, इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में ... होकर आया था दाखिल हुआ। डाक्टरों ... अगले रोज बाहरी असरात की वजह से ... कर दिया गया और बावजूद बार-बार कहने ... यह आपके अस्पताल की हालत है इसकी तरफ ... एक्जीक्यूटिव आर्डर से ही आप काम लें ... अस्पतालों की तरक्की का खास ध्यान दिया ... ऐसा है जिसकी तरफ हमारी हुकूमत ने और ...

जहां तक उन अस्पतालों का ताल्लुक ... हालत में चल रहे हैं, और वहां पर अच्छी ... इमारत में कुछ तरमीम कर दी जाय, या ... ान उन डाक्टरों की तरफ ... जाना चाहता ... रही है। देहातों में जो डाक्टर भेजे जाते ... बाजों बहाने हैं। ... जिससे इस किस्म से गजट ... पर भर्ती ... है वह खत्म हो।

डा)—जनाब स्पीकर साहब, यह अनुदान ... लिए तीन चार बातों की हीं ... आनरेबिल ...

ोकर आया हूं, ... उतरौला ... वहां आम ... उड़ती है कि अगर एक सवारी गुजर जाती ... हत वहां की बहुत खराब है और वहां का ... यादा दुरुस्त रहती। ... तो अच्छा-हालत बहुत नाजुक है, और वहां से शहर के ... ार हूंगा अगर सरकार इस तरफ तवज्जह ...

झे अर्ज करनी है, वह यह है कि जब से ... ोश में तरक्की हुई है, ऐसा ... हुना है कि ... ी में बनिस्बत ... हले के ... तरक्की ही ... न की तमाम चीजों को अपनाया, लेकिन ... र और असरात आ गये हैं, ... इसके ... डाक्टरी की ओर ज्यादा तवज्जह हमारी ... या जाता है। मैं बहुत अदब से गुजारिश ... र से ध्यान देना है। ... आपने अपनी ... ह न दी तो मेडिकल पर ... रुपया खर्च ... र खर्च किया जाता है, उसमें से बहुत बड़ा ... कि इलाहाबाद, कानपुर और जिन शहरों ... ले में एक चीज की ... बिला शुबहा ... ोजूद हैं, और वहां पर जो ... पाउन्डर और ... में, तब्दीली की भी चाहिए। अगर कोई ... साथ में अच्छा ... नहीं होता, जो कि ... ाकये का जिकर करता हूं ... अभी ६ महीने ... ताल में एक जख्मी जो फौजदारी से जख्मी ... दिन तक उसकी काफी देखभाल की ... नेविन ... जह की नहीं गयी और ... उसको अलग ... मामूली तवज्जह भी उसकी ... की गयी। ... ो ध्यान देने की निहायत जरूरत है। अगर ... हालत दुरुस्त कर सकते हैं ... और शहरों में ... बदकिस्मती से शहर इलाहाबाद हो एक ... जीर साहब ने तवज्जह नहीं ... की।

नको गवर्नमेंट ... देती है, ... वह प्रचुरी ... देखभाल होती हो, लेकिन अगर वहां की ... क्वार्टर बढ़ा दिये जायं, या ... मरीजों के रहने

के लिए जगह बढ़ा दी जाय, तो वहां की और भी हालत अच्छी हो सकती है। मेरा खयाल है कि इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल है और दूसरे भी अस्पताल हैं अगर वहां पर थोड़ा सा रुपया लगा दिया जाय तो उस से उनकी हालत अच्छी हो सकती है।

इसी तरीके से जहां तक दवाइयों का ताल्लुक है, जो कि अस्पताल में मरीजों को दी जाती हैं, तो उसके मुताल्लिक भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी तरफ आप काफी तरीके से ध्यान दें। जो नुस्खा लिखा जाता है, फौरन डाक्टर उसको यह लिख देते हैं जाओ बाहर से दवा ले आओ, और बाहर से दवाई लेने में काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि वह सेहत हासिल नहीं कर सकते हैं। इस लिए आप हिदायत दें कि वह इसकी तरफ खास तवज्जह दें। जो दवाई वहां पर मिलती है, वह सेहतमन्द नहीं होती है। मैं अर्ज करता हूं कि एक दफा यह ख्याल करने से ठीक हो जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, जिस दृढ़ता व दक्षता के साथ हमारे इस प्रदेश के स्वास्थ्य का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे इस प्रान्त ने इसमें शक नहीं है कि इस दिशा में काफी प्रगति की है। किन्तु हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि हमारी मुसीबत जितनी कम होनी चाहिए थी, उतनी कम हो गयी। मैं इस सरकार का ध्यान जिला गढ़वाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस जिले के अन्दर एक भी अस्पताल स्त्रियों के लिए नहीं है। सरकार इस नितान्त आवश्यकता को महसूस करे तो मैं समझता हूं कि जनता का और हमारी सरकार का भला इसी में है। इसके बाद मैं आपको यह बतलाऊं कि १४ एलोपैथिक डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ऐसी हैं जिसमें कई वर्षों से डाक्टर नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि उस जिले के अन्दर देहाती जनता के लिए क्या व्यवस्था होगी। हमारी सरकार की ओर से दवाई वहां के लिये भेजी गयी। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय मन्त्री जी खुद हमारे जिले के अस्पतालों की दयनीय दशा को अपनी आंखों से देख आये हैं, और मुझे दुख है कि हमारी सरकार ने सन् ४८ से सन् ५० तक में बराबर जिला अस्पताल पौड़ी के सुधार के लिए बजट में प्राविजन किया और जब जनता के नुमाइन्दे इस सदन में आये, तो जो प्राविजन कागज में मौजूद था, वह भी गायब हो गया और अब उसका नाम निशान दिखायी नहीं देता। मुझे अफसोस है कि इस डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में १३, १४ ही बेड्स हैं और मरीजों को एडमिशन से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है, और दुरुस्त भी है, कि डाक्टर्स अवेलेबिल नहीं हैं, पहाड़ पर जाने के लिए तैयार नहीं, वहां इतनी सुविधायें नहीं हैं, इस लिए वे नहीं जाते। मुझे व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं वहां प्रेसिडेंट रहकर वहां के अस्पतालों को देख चुका हूं। इसलिए वहां के लिए खास अलाउन्स होना चाहिए। और आयुर्वेद इत्यादि की जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी या और कहीं से परीक्षा पास की है, उन्हें कुछ और ट्रेनिंग देकर एल० एम० पी० की मान्यता दी जाय। उन्हें हमारे यहां दिया जाय तो काम चल सकता है।

श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने देहात की ओर पिछले दिनों स्वास्थ्य सुधार में काफी तरक्की की है। इस सदन के काफी सदस्यों ने अंग्रेजी दवा पद्धति की प्रशंसा की। परन्तु देहात में मिलने वाली देशी दवाइयों का स्वागत नहीं किया, तो हमारा इलाज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां अच्छी सड़कें नहीं हैं, जिन पर मोटरें चल सकें, इसीलिए डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते। जो इतनी मेहनत करके और अधिक पैसा खर्च करके पढ़ते हैं, वे लोग अच्छी जगह चाहते हैं। इस लिए आयुर्वेद की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, ताकि देहात के ८० फीसदी रहने वाले काश्तकारों को थोड़ी बहुत सुविधा इलाज के सम्बन्ध में मिल सके। जो

[श्री नाथू सिंह]

सैनिटरी इन्सपेक्टर रखे गये हैं, वे ऐसे हैं, जो रहने वालों से सम्बन्ध होता है। वे डिस्ट्रि और उन्हीं सम्बन्ध होने से अपना काम ठी हों, वहां न रखे जावें। मैं अपने जिले ए एक बहुत बड़ी तहसील है, और वहां अस्पताल में दिहातों के इलाज की सुविधा अस्पताल खोलने की ओर ध्यान देंगे

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला मन्त्री जी ने अपने भाषण में कल ठीक ही चिकित्सा बहुत सी अन्य बातों पर वि मन्त्री महोदय ने बजट पेश किया है और वि की ओर प्रयत्न किया, मैं उनको बधाई अपनी तहसील ललितपुर की ही तरफ ध्या है। २५-३० वर्ष पूर्व ललितपुर एक ही होता था। वहीं शक्ति केंद्रित थी। तहसील की दशा बहुत ही खराब हो गयी भी सरकारी अस्पताल और आयुर्वेदिक का अस्पताल है जिसका कि इस सदन में मैं दशा ऐसी है कि १७ रुपया महीना मरीजों दवाइयों पर खर्च किया जाता है, डाक्टरों महीना है। उस अस्पताल की खराब ह उस अस्पताल का तुरन्त प्रान्तीयकरण कर जहां अस्पताल सर्दी से जल्दी खोले जा में कहा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मन्त्री जी सारे जिलों की स जिनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, और इन्दराज कागज पर होता है, लेकिन किया जाना चाहिए। चोरी में एक लगाकर उसको खत्म कर दिया गया और जायगा। वहां पर लाख डेढ़ लाख की रहा है। वहां पर अस्पताल खोला जा बिल्डिंग्स मिल सकती हैं। इसके साथ ही भी अपनी जहनियत को बदलना चाहिए के आदी हैं, उनको उन्हें छोड़ना चाहिए। अगर वे कुछ अपनी जहनियत को बदल आजकल देखने में आता है कि जो जितन उसके द्वारा होती है। यह सच है कि कहे जायं, लेकिन जनता से वे सैकड़ों और ह अथवा बलरामपुर अस्पताल कहीं भी चले नहीं किया जा सकता। अगर मुझे स्वयं सिफारिशी पत्र मिले मुझे वहां दाखिल न लोगों की जहनियत में तब्दीली होनी च

रहने वाले अधिकतर हैं और जिनका वहां के डों की मारफत मुकर्रर किये जाते हैं, कर पाते। इस लिए जरूरी है कि वे रहने वाले ल बहेड़ी की ओर ध्यान दिया जाएगा, जो कि ा बहुत होता है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जनता

—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय के किसी देश में या प्रदेश में स्वास्थ्य और इस लिए इस परिस्थिति में जो कुछ भी हत देने की इस प्रान्त की जनता को कोशिश मैं इस भाषण में केवल अपने जिले और न्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता ला था और वहां का इलाका ललितपुर से कि वह झांसी जिले में मिल गया तो उस कल वहां की यह अवस्था है कि वहां एक र नहीं है। ललितपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिक्र कर चुका हूं। वहां का अस्पताल की क को दिया जाता है। १०० रुपया जब कि म्पाउन्डरों आदि का खर्च ५,००० रुपया खते हुए मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि य। उस तहसील में दूसरा भी स्थान है। माननीय मन्त्री जी ने इमारतों के बारे से स्थान हैं जहां इमारतें मिल सकती हैं। ो उनको बहुत सी ऐसी इमारतें मिल जायेंगी ों के अध्यक्ष वहां रहते हैं जिनके विभाग का तत्व कहीं नहीं है। उनका रिक्वीजीशन ा था, लेकिन उसमें २०-२५ लाख रुपया के बाद तय हुआ कि यह भवन नहीं बनाया ड़ी हुई है, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा इसी तरह से और स्थानों पर भी ऐसी बात और कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को तड़क भड़क, जिस आसायश और सुविधाओं इन सहन में उनको तब्दीली करनी चाहिए। ो जनता की काफी सेवा कर सकते हैं। डाक्टर हैं, उतनी ही कम जनता की सेवा द्वता की तारीफ होनी चाहिए, वे एक्सपर्ट दूर रहते हैं। आज आप मेडिकल कालेज ई भी गरीब आदमी अरमानों के साथ भर्ती श्यकता हो तो बिना माननीय मन्त्री जी का जा सकता। अतः इन चीजों में और उन

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने इस साल स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ३,९५,४३,३०० रु० खर्च करने का निश्चय किया है और यह पिछले साल से ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल में ३,८७,६८,५०० रु० इसके लिए रखा गया था, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे यह मालूम पड़ता है कि यह रकम गलत है, बल्कि इस साल पिछले साल से काफी कम ही खर्च किया जा रहा है। क्योंकि पिछले साल की रकम ३,९७,९३,००० रु० है न कि ३,८७,६८,५०० रु० है। तो मेरा ख्याल है कि यह यहां गलत रखा गया है। या तो डिपार्टमेंट वालों ने जोड़ने में गलती की है, या यह गलती बजट डिपार्टमेंट की है। क्योंकि यह लिखा है मीन्स ऐंड इन्क्रीज इन दि एस्टिमेट फ्राम रुपीज़ ३ करोड़ ८७ लाख्स, टु ३ करोड़ ९५ लाख्स। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, इसको स्पष्ट कर दें। यह सदन समझता है कि इस साल जैसे और महकमों पर ज्यादा खर्च किया जाता है, उसी प्रकार से चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के मुहकमे पर भी पिछले साल से ज्यादा रखा जाय। इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें सुझाव के रूप में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो अस्पतालों में, जो शहरों के अस्पताल हैं, उनमें अभी बहुत ज्यादा कमियां हैं। वहां आम तौर पर नर्सों, वार्ड ब्वायज की कमी है और किचेन्स जो रहती हैं, उनमें भी आदमियों की कमी है, और इस से जो मरीज वहां रखे जाते हैं, उनको इस से काफी असुविधा होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दें। दूसरे हमारे प्रान्त में डाक्टरों की काफी आवश्यकता है। इस वक्त जो कालेज हैं, उनमें जितनी जगहें हैं, नये भर्ती किये जाते हैं, अगर युनिवर्सिटीज को थोड़ा सा और रुपया दिया जाय, तो सम्भव है कि ज्यादा संख्या में भर्ती की जा सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी ज्यादा संख्या में हम अपने कालेजों में विद्यार्थियों को चिकित्सा की शिक्षा दे सकें उतना ही अच्छा होगा।

दूसरे जहां तक जनस्वास्थ्य का सम्बन्ध है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। अभी भी आप शहरों में या बाजारों में जायं, तो देखेंगे कि दूकानों पर जो चीजें बेची जाती हैं, उनका मक्खियों से कोई बचाव नहीं होता है, सड़क की गर्द से उनका कोई बचाव नहीं होता है। आप चाहे गांव की सड़क की किनारे की दुकानों को देखें, या शहरों की दूकानों को देखें, सभी जगह यह स्थिति आपको मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनस्वास्थ्य और चिकित्सा पर जितना रुपया खर्च किया जाय उससे ज्यादा लाभ होगा। मुझे दुख है कि जितना रुपया मलेरिया और प्लेग की रोक के लिए पिछले साल जितना खर्च था, उस से बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि इस साल करीब करीब या तो उतना ही है, या उससे भी कम रखा गया है।

जहां तक ल्युनेटिक्स एसाइलम की बात है, नर्वस डिजीज बढ़ती ही जा रही हैं। आगरा में यह देखा जाता है कि वहां पर जितनी दरख्वास्तें आती हैं, और जितनी लोगों के लिए सिफारिशें होती हैं, उतना स्थान नहीं है। हमारी सरकार रांची में भी कुछ लोगों को भेजती है, लेकिन अगर आगरा में ही और ज्यादा इन्तजाम करें, तो वह मुनासिब होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो तस्वीर हमारे सामने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने खींची थी कि हमारे प्रदेश में इस साल बहुत कम लोग मरे हैं और उसका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत कम है, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। माननीय मन्त्री जी इस बात को नहीं देखते हैं कि आज बहुत से डाक्टर्स जो स्कूल्स और कालेजेज को विजिट करते हैं, उन लोगों ने क्या राय जाहिर की थी, वे उस राय को सदन के सामने नहीं रखते। हमारे डाक्टरों ने कहा है कि हमारे बच्चे अन्डर नरिश्ड रहते हैं, उनके खाने के लिए उत्तम प्रबन्ध नहीं है, और जेनरल एवरेज आफ हेल्थ जो है, वह बहुत खराब है। माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस ओर नहीं गया। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के लोगों की तन्दुरुस्ती की हालत है। ... आदि की तरफ जायें, जहां लोगों को एक ... के दस्तगत ... देवरिया के लोगों की ... के लिए नहीं है। मैं कहता हूं कि अग ... दल के नेता राजनारायण जी की तन्दुरुस्ती ... देखकर या माननीय पहलवान ... देखकर प्रान्त की तन्दुरुस्ती का अन्दाजा ...

श्री अध्यक्ष ---अगर इस विषय ... ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--- ... स्कीम को सफल करना चाहते हैं, तो उन ... लोगों की ओर नहीं देखना चाहिए, क्यों ... करते हैं, तेल मालिश करते हैं, तब यह ... तन्दुरुस्ती की हालत यह नहीं है। जैसा ... डाक्टर्स हैं, वे एक्सपर्ट्स हैं, उनका फायदा ... ठीक है। हमारी जो गरीब जनता है, वे ... के बारे में मैं भी अवश्य कहना चाहता हूं कि ... चलना चाहिए कि आयुर्वेदिक, यूनानी या ... सकते हैं ... आज देहातों में दूर दूर तक ... नहीं उठा सकते। इसलिए इन चीज ... सरकार का ध्यान जाना चाहिए। ... न दवायें मिलती हैं, और न उनको एक ... पढ़ने के लिए ठीक इन्तजाम नहीं होता है। ... ट्रेन्ड डाक्टर होकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं ... यह होता है कि चूरन की गोली के लिए ... मिलता है। वैसा उनको मिलता नहीं है ... इस तरफ जाना चाहिए। २० और २१ ...

जहां तक डिवाइज का सम्बन्ध है ... ध्यान नहीं दिया है। कोई कारण नहीं है ... इस काम के लिए न मिल सकें। उनको ... एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी कम ... इन्तिजाम भी करना पड़ेगा। अगर ... हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि ...

मुझे इस बात की खुशी है कि ... कर हम को ... और डाक्टरों के रहने के ... खुलवा ... ठीक है, अध्यक्ष महोदय, ... उनके यहां अस्पताल खुलवा दें, उनके लिए ... भावना होगी तो वे बिल्डिंगें बनवायेंगे, ... डाक्टरों और दवाओं के देने का प्रबन्ध ...

हमारे लखनऊ में जो बलरामपुर ... है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी ...

देखना चाहते हैं, तो वह ... बलिया, गोरखपुर ... ना नहीं मिलता है। ... ६ हजार रोगी ... आये हुए हैं कि हमारे पास ... एक दफा भी खाने ... मन्त्री जी यह समझते हों कि हमारे विरोधी ... कर या माननीय ब्रजराज ... मिश्र की तन्दुरुस्ती ... माननीय किशन चन्द शर्मा की तन्दुरुस्ती का ... तो वह ठीक नहीं है।

प्रश्न की सप्लाई के अनुसार ... वक्त कहें, तो ...

महोदय, मैं यह कहना ... कि अगर हेल्थ ... देहातों की ओर जाना चाहिए। ... उन्हें उन ... ना चाहता हूं कि ये सब ... बैठकर ... रहे हैं। लेकिन देहातों में ... जनसाधारण की ... कृष्ण चन्द्र जी शर्मा ने कहा था कि जो हमारे ... ग जनता को नहीं पहुंच सकता वह बिलकुल ... डाक्टरों से फायदा नहीं उठा पाती। आयुर्वेद ... र इसकी ओर ध्यान दें। ... इस नीति से ... थिक सिस्टम्स की चीप हैं, ... गांवों में चला ... जा सकते और दूर दूर के ... उन से फायदा ... की तरफ और विशेषकर ... आयुर्वेद की तरफ ... आयुर्वेद के जो अस्पताल हैं, उनको ... हमारे जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, उनको ... रे जो वैद्य लोग हैं, वे मुश्किल से थोड़ा बहुत ... फकेट भी देने लग जाते हैं। ... उसका नतीजा ... आप जाइये, वहां ... पिसा हुआ ... मैं कहता हूं कि सरकार का ध्यान सचमुच ... उनका काम चलने वाला नहीं है।

... ता हूं कि सरकार ने उसकी तरफ भी विशेष ... रे गांवों में लड़कियां, ... और सिखवायें, ... हत करने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ ... ा। इसके साथ ही उनको ... का प्रबन्ध ... ी तरफ ध्यान देगी तो लड़कियां मिल सकती ... हमारे पास इसके लिए ...

... री जी ने कहा है कि जहां ... बिल्डिंग्ज बना ... कान आदि ... दे देंगे, ... हम अस्पताल ... सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार ... ट्रस्ट केस होगा। अगर ... लोगों में सच्ची ... रों के रहने का इन्तजाम ... तो सरकार ...

... है, उसके लिए धन की ... व्यवस्था बहुत कम ... ज्यादा रुपया दिया जाय।

अब अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ी सी बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि हमारे नारायण दत्त तिवारी जी को यह शिकायत बराबर बनी रहती है कि फेमिली प्लानिंग नहीं हो रही है। हमारी फेमिली प्लानिंग का नमूना माननीय मन्त्री जी स्वयं हैं, जो बाल ब्रह्मचारी रहकर फेमिली प्लानिंग का आदर्श हमारे सामने रखते हैं, लेकिन सरकार ने एक भूल की कि हमारे आदरणीय नारायणदत्त जी तिवारी को जिनकी २६ फरवरी को शादी थी, गिरफ्तार करके जेलखाने भेज दिया और वह शादी भी न करा पाये। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान अवश्य देगी। इस ओर तो सरकार ध्यान देगी ही, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि बलरामपुर अस्पताल में वुल्फ ब्वाय के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अमेरिका, कनेडा, चीन, डेनमार्क, और हालैन्ड जैसे मुल्कों में से पूछ ताछ हो रही है कि वह किस किस्म का है। उसकी रक्षा करना हमारी सरकार का फर्ज है, जब कि दूसरी जगहों के लोग उसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं ने तो यहां तक सुना है कि एक अमेरिकन लड़की ने यह लिखकर भेजा है कि वह उस वुल्फ ब्वाय से शादी करना चाहती है। अब तो कुछ लोग उसको क्लेम भी करने लगे हैं। अमेरिका के लोग उसे यहां से ले जाना चाहते हैं, और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि उसकी ओर अवश्य ध्यान दे। बल्कि मैं तो माननीय मन्त्री जी को एक राय यह देना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास रुपया न हो कि वह अस्पतालों के लिए कुछ काम करें और एक सर्व स्कैंडल बनाये, और इस किस्म के जितने बच्चे हों उन्हें इकट्ठा कराये और उन पर टिकट लगादे इस से सरकार को बहुत आमदनी होगी। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो यही करे। जहां तक इस वुल्फ ब्वाय का मामला है, अगर विशेषज्ञों को जरूरत हो, तो उन्हें भी बाहर से बुलाइये। यह एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि हमारे यहां के डाक्टर्स मनोविज्ञानिक की डिस्कवरीज कर सकें। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

*श्रीमती ब्रजरानी मिश्र (जिला कानपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूं। मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहती हूं। हमारे जिले में एक जगह छोटासा गांव है, जहां कि आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी खुली है, और वहां पर डाक्टर और कम्पाउन्डर भी काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ ही साथ मुझे एक सुझाव यह देना है कि वहां ऐसे डाक्टर भेजे जायं, जिनकी गांवों के कार्यों के लिए रुचि हो। डाक्टर साहब वहां गये जरूर हैं, लेकिन वह काफी समय छुट्टी लेकर अपने घर में रहते हैं और कम्पाउन्डर साहब वहां इलाज किया करते हैं। तो मेरी आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि खासकर ऐसे डाक्टरों को भेजें, जिनको गांव के कार्यों के लिए रुचि हो। ऐसे डाक्टरों से जो कि छुट्टी लेकर घर ही बने रहते हैं, उनसे बड़ी दिक्कत होती है।

इसके अतिरिक्त वहां पर दवा की भी कमी है। वह डिस्पेंसरी ऐसी जगह पर है जहां कि आसपास दवा का और कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां पर मरीज ज्यादा आते हैं। इसलिए अगर वहां दवा की मात्रा और बढ़ा दी जाय, तो वहां के लोग और ज्यादा फायदा उठा सकेंगे।

एक दूसरी बात यह है कि पिछले साल मैंने माननीय मन्त्री जी से कहा था कि हमारे जिले कानपुर में ६ तहसीलें हैं और हर तहसील में सेन्टर पर एक अस्पताल है। उन अस्पतालों पर हमारे यहां की लेडी डाक्टर जाती थीं, और वहां पर आस पास के गांवों से जो बहनें आती थीं, उनका वह भलीभांति से इलाज करती थीं, और रुचि से उनको सलाह देती थीं, और यदि जरूरत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती ब्रजरानी मिश्र]

होती थी, तो वह शहर में आकर भर्ती हो थीं। उससे हमारे यहां लाखों बहनें स्कीम बन्द कर देनी पड़ी। अगर मा हो सकती है। हमारी वह डाक्टर हो सकती है वह ६ तहसीलों में फायदा होगा।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां उसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहती हूं

मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थ खोल देंगे, तो वहां की रहने वाली स्त्रि सभी की आवाज है कि आज गांवों में ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि वहां की बहनें अस्पताल में आती हैं, तो कभी कभी को अस्पताल में आकरके दो चार दिन की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया में आशा करती हूं कि यदि माननीय म की व्यवस्था कर देंगे, तो बहुत अच्छा

एक बात मुझे यह कहनी है कि प्रान्त में टी० बी० की बीमारी बहुत टी० बी० की बीमारी बहुत ज्यादा फै लाजपत राय अस्पताल में शायद २० ४० पलंग कर दिये जायं। मुझे मान बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि फायदा हो जायगा।

प्रश्न मंत्री के सभासचिव (श्री जनस्वास्थ्य के इस अनुदान पर सदन सभालोचना की है, उसके लिए मैं उन्हें के बहुत से सदस्यों ने उठाया वह यह मौलिक प्रश्न है और इसको केवल स राष्ट्रीय सिस्टम चिकित्सा का एलोपैथी हो। यह प्रश्न बहुत समय से चल सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में विज्ञान ने रखती है, बड़ा महत्वपूर्ण है और हमा शब्द कहा गया है। इसमें बहुत खो किया है कि जितनी प्रणालियां इस और यूनानी, वे सभी जिन्दा रही हैं यह निश्चय करना कि किस प्रणाली को जाय, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है दलगत राजनीतिक दृष्टि से विचा कल श्री पदमनाथ सिंह जी ने कहा कि को उनका दिल रखने के लिए, उनके जाता है मैं कहना चाहता हूं कि उनका

करती थीं, और अपना इलाज करा लिया करती दा हुआ। परन्तु कुछ धन अभाव के कारण वह ती जो इसमें मदद दें, तो वह स्कीम फिर से शुरू पी हैं, और उनकी मदद से वह स्कीम चालू वंगी, जिस से हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा

जनाना अस्पताल खोले जाने का विचार है अस्पताल कब तक खुल जायेगा।

कि यदि वे जल्दी से जल्दी इस साल में इसको लाभ होगा। जैसा कि माननीयों ने कहा और त है। गांवों में बहुत ऐसे स्थान हैं, जहां कोई ा अपना इलाज करा सके और जब वे शहर को उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत सी बहनों मृत्यु हो जाती है। ऐसी हालत में अगर गांवों स्वास्थ्य के विषय में बहुत तरक्की होगी, और स रूरल अस्पताल को खोलने से जल्दी होगी

लाला लाजपत राय का अस्पताल है। हमारे और हमारे प्रान्त में विशेषकर कानपुर में टी० बी० के मरीजों के लिए इस समय लाला मेरी प्रार्थना यह है कि वहां इससे दुगने पलंग जी से यही प्रार्थना करती हूं कि वैसे तो आप पर दुगने पलंग कर देंगे, तो कुछ और लोगों को

सी दास)—अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा तथा सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं, तथा ता हूं। एक बड़ा मौलिक प्रश्न जो इस सदन री चिकित्सा प्रणाली क्या है। यह एक बड़ा श के द्वारा सही तय किया जा सकता कि हमारे होमियोपैथिक है, नेचरोपैथी है, या आयुर्वेद है, और जहां तक स्वास्थ्य और चिकित्सा का तक खोजें की हैं, क्योंकि यह मनुष्य से सम्बन्ध कते कि इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम रत है, और जब कि समय इस बात के सिद्ध है, होमियोपैथी, नेचरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद ी जनता का उपकार करती रही है, इसलिए दिया जाय, किसी प्रणाली को रिजेक्ट कर दिया ह प्रश्न ऐसा भी नहीं है कि जिसको हम एक यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसलिए जो होमियोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और अन्य प्रणालियों ने के लिए इस अनुदान को बढ़ाकर रखा दिया तर ज्यादा सही नहीं है, और यह भी समझता

हूं कि यदि सदन के सम्मुख यह प्रश्न रखा जाय कि हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली क्या हो तो इसके लिए भी इसका तय करना कठिन होगा। जहां तक चिकित्सा का सवाल है, इसमें हर एक व्यक्ति को आजादी हो यही हमारे प्रदेश को सरकार की नीति रही है। हम प्रत्येक प्रणाली को जिन्दा रहने, प्रत्येक प्रणाली को विकास करने का, प्रत्येक प्रणाली को अपनी उपयोगिता को जनता के सामने सिद्ध करने का एक अवसर देना चाहते हैं, और यही कारण है कि हमारे यहां बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन हैं और अभी गत साल बोर्ड आफ होमियोपैथी को मान्यता प्रदान की गयी और इस वर्ष के बजट में भी होमियोपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ रुपया रखा गया है, और देहातों में सबसिडी देने के लिए बोर्ड आफ होमियोपैथी को सहायता देने के लिए भी इनमें रुपये का प्राविजन किया गया है।

सदन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत से सदस्यों ने यह पैदा किया--मैठाणी जी ने और दूसरों ने भी कि आज जब कि हमारे देश में शासन बदल गया है, सभी जगह उन्नति हुई है, तो क्यों नहीं हम अपनी चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं, हम विलायती दवाओं को मंगाने पर रोक क्यों नहीं लगाते। मैं नहीं समझता हूं कि दवाओं के ऊपर यदि हम रोक लगायेंगे, तो कहां तक वह जनता की सहमति प्राप्त कर पायेंगे और कहां तक इस सदन के सदस्य इस नीति को सही बतायेंगे। किसी भी इन्सान की जान के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और संसार के जितने देशों में वैज्ञानिक खोज हो रही है, और नयी दवायें, निकाली जा रही हैं भारतवर्ष को उस स्रोत से हटा देना, अलग कर देना मैं समझता हूं कि यह प्रगति की सुई को पीछे की तरफ ले जाना होगा। विज्ञान किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता है, और प्रगति के इस युग के अन्दर इस प्रकार के सुझाव मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी प्रगतिशील सरकार या व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यह अवश्य सही है कि हमारे देश में इस बात की कोशिश हो कि हमारे यहां की जितनी जड़ी बूटियां हैं, हम उनसे अपनी औषधियों का निर्माण करें, और इस सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में और देश में आजादी आने के बाद में कदम भी उठाया गया है। आपके लखनऊ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्रग रिसर्च इन्स्टीटयूट है और भावनगर में देसी दवाओं की खोज करने के लिए एक रसायनशाला का स्थापित करना उस दिशा की ओर एक कदम है। प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह दिन बहुत नजदीक है जब कि हम अपनी दवाओं के मामले में स्वतंत्र होंगे, और यही नहीं, बल्कि दूसरे देशों की आवश्यकताओं को भी हम पूरा कर पायेंगे।

सदन के कुछ सदस्यों ने इस अनुदान पर इस प्रकार के विचार प्रगट किये कि हमारा सुझाव शहरों की तरफ अधिक है और देहातों की उपेक्षा की जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस दृष्टि कोण से हम चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे विषय के ऊपर गौर करते हैं। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसे वैज्ञानिक और इस प्रकार के विषयों के ऊपर भी एक पुरानी राजनीतिक परम्परा का दखल हो जाता है राजनीतिक भेद पैदा करने के लिये और मैं समझता हूं कि निर्पेक्ष दृष्टि से विचार करने का यह तरीका नहीं है। यदि आप गौर करें तो देहातों में इस समय सन् १९४६ से लेकर अब तक कितनी बड़ी संख्या में डिस्पेंसरी कायम की गई हैं। उनकी तादाद आप देखें तो लगभग साढ़े तीन सौ के हैं और आयुर्वेदिक अस्पताल और यूनानी अस्पताल लगभग साढ़े पांच सौ के हैं। तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमारा पूरा पूरा ध्यान देहातों में आयुर्वेकि और यूनानी तथा आधुनिक दवाओं की सुविधायें प्रदान करने की ओर है। इससे मुझे इन्कार नहीं और मन्त्री जी ने स्वयं अपने भाषण के अन्दर कहा कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, अभी वह मंजिल बहुत दूर है। उस रास्ते पर हमको चलना है और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमारे इस प्रान्त के जितने साधन हैं, वे इतने नाकाफी हैं कि हम कल्याणकारी राज्य के आदेशों की पूर्ति के लिए जिसे सेकिन्ड लाइन आफ डिफेंस कहते हैं, उसको बना सकें। अभी नारायण दत्त जी और मैठाणी जी ने जब इस अनुदान पर अपने विचार

[श्री बनारसीदास]

प्रगट किया, तो भी शोक रहा था कि यह ज[illegible] कहां स्थान दिया जाय। यह सही है कि [illegible] गया है। लेकिन इन प्राथमिकता देने [illegible] दवा क्या काम कर सकती है। सब से प[illegible] इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है [illegible] लिए। इसमें सन्देह नहीं है कि इसके [illegible] लेकिन यह तो एक आम बहस से सम्बन्ध [illegible]

हमारे साधन सीमित हैं और हम [illegible] विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मैं [illegible] लम्बी बनाने में प्राथमिकता न दी जाय [illegible] सवाल यह नहीं है कि हम हृदयहीन हैं [illegible]

अन्य प्रान्तों के मामले में, हमारे [illegible] में कम मालूम पड़ती है। लेकिन हमें [illegible] शुरू की, तो वह हमसे थोड़ा आगे थे। [illegible] जैसे कि हमारे साथी श्री उपाध्याय जी कह [illegible] रहे थे। वह तो मेरी बात का समर्थन [illegible] उन्होंने बतलाया कि मृत्यु संख्या [illegible] की। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों की [illegible] था कि लोग अन्डर नरिशमेंट हैं उनके [illegible] पहले कम था। यह तो पहले सरकार [illegible] कि अन्डर नरिशमेंट है। लेकिन यह [illegible] का कोई आधार नहीं है। यदि पहले के [illegible] होता। अभी जो हमारे डाक्टर हैंकरता [illegible] रिपोर्ट होती, तो हम कह सकते थे कि [illegible] ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे [illegible] है कि हम कल्याणकारी राज्य की पूर्ति [illegible] जनता की सेवा के लिए अपने साधनों का [illegible] सकता है। मलेरिया, प्लेग और चेचक [illegible] होता था। उन पर कठोरता के साथ प्रहार [illegible] है। देवरिया, जौनपुर वगैरह पूर्वी जिलों में और साढ़े पांच लाख प्राणियों को मलेरि[illegible] सिंह जी ने कहा कि अलीगढ़ में चेचक का [illegible] हमारे प्रान्त में वह काला हो गया है [illegible] मालूम होगा कि चेचक की महामारी जो [illegible] तक कम कर दी गयी है।

आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि [illegible] जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विशेषकर मारवाड़ी लोग जो बहुत ही [illegible] खुर्जे में एक अस्पताल खोला है, और उन्हों[illegible] मारवाड़ी धर्मनारायण होकर आयुर्वेदिक [illegible] के लिए, उनके नेताओं के लिए चुनौती [illegible] से कायम करें? और मैं यह कह सकता [illegible] कायम करें, जनता के धन से तो सरकार [illegible]

की बहस में भाग ले रहे [illegible] कि किस को रुपया रखा गया है, वह इ[illegible] ताकाफी रखा यदि हमारे प्रदेश के अन्दर भुखमरी हो तो सवाल तो यह है कि लोगों [illegible] भोजन मिले। लिए, ऐग्रीकल्चर के लिए [illegible] एजुकेशन के थ्य तथा चिकित्सा का स्थान रखा गया है। [illegible], क्योंकि यह प्रायोरिटी का सवाल था।

मांगें हमारे कोष पर निर्भर करती हैं। यह [illegible] कता हूं कि प्रांत को खाने के मामले में स्वाव[illegible] ान के साधनों से प्रांत को [illegible] रखा जाय। [illegible]कार से उपेक्षा की दृष्टि है।

[illegible]न्नति बंगाल, बम्बई तथा [illegible] के मुकाबले गौर करना पड़ेगा कि [illegible] उन्होंने यात्रा पहले प्राविजन किया इसके बाद वह चले। वह देवरिया की एक लम्बी [illegible] बतलाया [illegible] आज जरूरत है जनता को [illegible] मिलने की। जा रही है। आगे उन्होंने थोड़ी प्राप्ति लिए एक कमेटी बैठी थी, [illegible] उसने बतलाया क्या आधार है कि इस [illegible] अधिक है और क्या। इससे कौन इन्कार कर सकता है [illegible] है कि पहले से यह [illegible] है पहले आंकड़े लिये गये होते, तब [illegible] आपको विदित [illegible] की रिपोर्ट है, अगर उस [illegible] पहले की कोई बढ़ा है। इस लिए देवरिया के लिए कहना [illegible]री है। यही वजह है जो हमें चुनौती देती [illegible] कीर्ण भावनाओं के ऊपर [illegible] और प्रांत की [illegible] करें। लेकिन इस से इन्कार नहीं किया जा [illegible] महामारियां हैं जिनका [illegible] हमारे यहां और उसमें हमें आशातीत [illegible] सफलता भी मिली [illegible]त लाख से घटकर डेढ़ [illegible] पर आ गये हैं [illegible]ने में क्या सफलता नहीं है। श्री मलखान [illegible]दा है। मैं यह नहीं कहता कि चेचक का [illegible] दे इस पुस्तिका को आप देखेंगे, तो आपको [illegible] लिए बड़ी घातक थी, आज उसको बहुत हद [illegible]

[illegible]ी जाती है, और उसको प्रोत्साहन नहीं दिया हमारे देश के अन्दर बहुत [illegible]नियों ने और [illegible]ोते हैं, उन्होंने साढ़े पांच लाख रुपया लगाकर सैनीटोरियम कायम किया है। [illegible] तो जब पद्धति नहीं चाहते हैं, तो [illegible] वृहद समाज [illegible] वह इस तरह के सैनीटोरियम जनता के धन [illegible]र ये सब सैनीटोरियम आयुर्वेद के आधार पर [illegible]हयोग देगी।

कैन्सर का सवाल है। क्या कैन्सर को दूर करने के लिए आयुर्वेद की तरफ से कोई प्रयत्न किया गया है? अब यह कहना है कि हम अपनी तरफ से प्रयत्न करें तो यह कठिन होगा। लेकिन कितना प्रोत्साहन हम आयुर्वेद को देना चाहते हैं, आप अन्दाजा लगायें कि फाइव इयर प्लान के अन्दर आयुर्वेद के लिए ८० लाख रुपया रखा गया है और अब तक ४९ लाख से ज्यादा खर्च कर दिये गये हैं और हम फाइव इयर प्लान के अन्दर ८० लाख से ज्यादा रुपये खर्च करना चाहते हैं। जब यहां पर रूरल डिस्पेंसरीज को कायम करने के लिए केवल ५० लाख रुपया ही रखा गया है। तो भी क्या इस सरकार के इस इरादे का सबूत नहीं है कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं?

मैठाणी जी ने और नारायण दत्त जी ने कहा कि फाइव इयर प्लान में जो योजना हमने बनायी थी, हम उस से पीछे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा भ्रम था। फाइव इयर प्लान में जितना रुपया रखा गया था, ३ करोड़ ४९ लाख हजार उसमें अब तक २,०००-२,००० रुपये से ज्यादा खर्च किया जा चुका है और जब यह पंचवर्षीय योजना सन् १९५६ तक पूर्ण होगी तो इसके अधीन ३,५५,८१,००० रुपया खर्च करना चाहते हैं। अब जो पंचवर्षीय योजना थी उससे ६ लाख ३ रुपया अधिक होगा। मैठाणी जी ने टी० बी० के बारे में कहा तो टी० बी० के लिए शुरू में १३ लाख रुपया रखा गया था और १२,१२,००० रुपया खर्च कर दिये गये हैं और अगले सालों में हम ६ लाख से अधिक खर्च करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना में टी० बी० पर लगभग १९ लाख रुपया खर्च होगा। तो पंचवर्षीय योजना में केवल १२ लाख रुपये थे, ये ७ लाख अधिक खर्च होंगे।

जहांगीराबाद में सैनिटोरियम को बन्द करना इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हम पीछे हटना चाहते हैं। चूंकि वहां भवन बनने में दिक्कत हुई और उसके लिए ताल्लुकेदारों ने अपना वह भवन नहीं दिया, इसलिए यह सोचा गया कि फिरोजाबाद, मेरठ और अन्य जगहों में शय्याओं की व्यवस्था करें। तो इस दिशा में हमने प्रगति की है, और इस प्रगति को बराबर जारी रखना चाहते हैं।

इसी प्रकार हेल्थ के अन्दर आप देखेंगे कि जहां पर मास वैक्सीनेश आफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट टी० बी० हुआ, उसमें ओरिजिनल प्लान के अन्दर ७,१५,००० रु० था और ७,०६,००० रुपया व्यय किया जा चुका है और हम एक योजना के अन्दर १०,१५,००० रु० खर्च करना चाहते हैं। तो उसको पूर्ण स्थान दिया गया है। काटजू साहब ने मलेरिया के बारे में कहा था, तो इस पंचवर्षीय योजना में ८० लाख रुपया रखा गया है, अब तक ३४ लाख रुपया से ज्यादा व्यय किया जा चुका है। और इस कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं और पंचवर्षीय योजना में लगभग ७० लाख रुपया व्यय करना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---स्टेट प्लान पढ़िये, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं।

श्री बनारसी दास---स्टेट प्लान ही पढ़ रहा हूं। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उसी में है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस लक्ष्य को पूरा किया गया है और पूरा करना चाहते हैं। उसमें इस साल अगर कुछ रुपया कम रखा गया है तो माघ मेले की वजह से। अगर आप चिकित्सा का बजट देखें तो उसमें १९ लाख से ज्यादा है। हेल्थ के बजट के अन्दर केवल २ लाख रुपये की कमी है और इसमें दोनों अनुदान शामिल हैं। यानी दोनों में मिलाकर यह कमी है। वह इस वजह से है कि माघ मेले में इस साल व्यय कम होगा।

एक आम नीति के सम्बन्ध में एक आम प्रश्न यहां पर नेकराम जी ने किया तो जो शिकायत व्यक्तिगत होती है, उसके सम्बन्ध में जांच की जायगी, और जांच करने के फल के

[श्री बनारसीदास]

अनुसार इस पर अमल किया जायगा। जो ४ हजार रुपया देने का वचन दिया है, इस कि वहां पर वार्ड्स स्थापित हों। इसी प्रकार कि चिकित्सा की सुविधायें कम हैं, वहां पर का प्रयत्न किया जायगा कि ज्यादा से ज्यादा

शिशु केन्द्र और स्त्रियों की चिकित्सा और मजबूती के साथ कदम बढ़ाना चाहते हैं देखें, तो मालूम होगा कि ६६ मैटरनिटी सेन्टर को बनाये रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कठिनाई यह तनख्वाह पर रखी जाती है, वह कम संख्या में कि उनको जो सुविधायें मिलती हैं, उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ शिकायत की। तो उस को कोशिश की जायगी। जहां तक डाक्टर चीज है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस प्रान्त के बहुत से डाक्टरों के व्यवहार से होगी, और जनता का प्रभाव भी आगे बढ़ेगा इस बात की कोशिश करेंगे कि वह अपने अधिक जनता का सेवक समझें। वह अपने और न कि पैसे को ज्यादा कमाने में। भगवान तरफ तो मेडिकल कालेज की शिकायत और डाक्टरों का वेतन बढ़ाया जाय, मैं समझता जो प्रोपेगैन्डा था, उसके शिकार माननीय जो वेतनक्रम है, वह किसी प्रकार से भी कम अन्य प्रान्तों में मेडिकल से मिल सकती है। सम्बन्ध में श्री कृष्णचन्द्र शर्मा तथा और मिसाल दे देंगे, तो अवश्य उसकी जांच जायगा। मुझे आशा है कि मेडिकल कालेज भवन ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनको दे जनता की सेवा कर सकें, जिस से कि तरक्की में एक बार फिर मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल): कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर प्रगट किये हैं, और यह तो सही है कि उस विचार प्रगट किये हैं, वह उन्होंने अपनी जितने लोगों ने व्याख्यान दिये हैं, उनके प्रकार से मेरे कटौती के प्रस्ताव के विरोध यह स्पष्ट है कि जो उस विभाग के माननीय ध्यान देना है। दो बातों का लोगों ने जिस ध्यान नहीं दिया जाता है, जितना कि देने प्रस्तुत की गयी है कि इस प्रदेश की ६ करोड़ बजाय इसके कि ऐसा बजट बनाया जाय, [illegible]

[illegible] जी ने अपने यहां वार्ड्स बनवाने के लिए [illegible] विचार करने की कोशिश की जायगी [illegible] बंकी के जिले में या अन्य [illegible] में जहां पर [illegible] करने की कोशिश की जायगी। इस बात में हम आगे बढ़ें।

[illegible] में हम स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं, और आगे [illegible] ले साल तथा इस साल में [illegible] अगर अन्तर [illegible] म किये गये हैं। आगे भी हम इस प्रगति [illegible] नों के अन्दर कोशिश है, जहां तक कि दाइयों [illegible] दाइयां पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस रुपया [illegible] ी हैं। श्रीमती प्रकाशवती [illegible] जी ने कहा [illegible] शकायत है और सामान्य [illegible] ुग के बारे में [illegible] य ध्यान दिया जायगा [illegible] र सुधार करने [illegible] वहार का सवाल है तो यह [illegible] व्यक्तिगत सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को इस तथापि मैं जानता हूं कि [illegible] जैसे प्रगति डाक्टर लोग भी समय की मांग के अनुसार शिष्टता लायें, तथा अपने को अधिक से लोगों के दिलों को जीतने के अन्दर समझें [illegible] जी ने दो परस्पर विरोधी बातें कहीं। एक [illegible] रफ यह कहना कि स्तर ऊंचा करने के लिए वह थोड़ा इन्स्टेड [illegible] की तरफ से [illegible] हाय जी भी हो जाये। मेडिकल कालेज में और हमारे यहां जो सुविधायें उनको हैं वह [illegible] कल कालेज और बलरामपुर अस्पतालों के भी शिकायत की। तो [illegible] कोई खास [illegible] ी और उनको दूर करने का प्रयत्न किया बलरामपुर अस्पताल के [illegible] लोग इस स बात का प्रयत्न करेंगे कि [illegible] अधिकाधिक [illegible] ो उनकी सेवाओं से सन्तोष हो सके। अन्त इस विवाद के अन्दर भाग लिया धन्यवाद

-माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो मैंने न के ३४ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में उन्होंने जो वचारों के अनुसार प्रगट किये हैं। लेकिन के अन्दर जो भाव था, वह अब किसी को ह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए महोदय हैं उनको इस विभाग पर विशेष। एक तो यह कि जन स्वास्थ्य पर उनका यकता है। दूसरी बात इस सदन में यह पर शहरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अभी माननीय बनारसीदास जी ने कहा इस

में शक नहीं है, पहले भी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना स्थान है। लेकिन हमें, तो यहां पर जो बजट बनाना होगा, वह इस दृष्टिकोण से बनाना होगा कि इससे हम अपने उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, और यहां यह आवश्यकता है कि हर तीन, चार, पांच मील की दूरी पर औषधालयों का प्रबन्ध हो। यह सब मौलिक प्रश्न हैं जिस पर स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं, जैसे जोशीमठ से नीती तक पचास मील है और वहां पर चारों ओर आबादी है। लेकिन एक भी औषधालय इस बीच में आबादी होते हुए भी नहीं है। जोशीमठ से बद्रीनाथ १९ मील है। हिन्दुस्तान भर के लोग वहां जाते हैं। वहां पर बारहों महीने आदमी रहते हैं। लेकिन वहां पर कोई चिकित्सालय का प्रबन्ध नहीं है। मेरा अनुभव अपने जिले का अन्य जिलों का अनुभव मुझे नहीं है। लेकिन इसी प्रकार के विचार अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रगट किये हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों की सुविधा का कैसे प्रबन्ध कर सकते हैं—यह सब से प्रमुख बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे और कहनी है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हमें नर्सेज और मिडवाइव्ज नहीं मिल पातीं। लेकिन मैं देखता हूं कि शिक्षा के अनुदान में भी करीब २० हजार रुपया हमारे प्रदेश में जो वैश्यायें हैं, उनके लिए रखा गया है। अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनको मिडवाइफरी और नर्सिंग की शिक्षा दे, तो बहुत सी वैश्यायें अपनी वैश्यावृत्ति छोड़ कर मिडवाइफरी और नर्सिंग का काम शुरू कर सकती हैं। उनको आप सामाजिक शिक्षा दें। जैसा कि महात्मा गांधी जी की योजना थी, उनको सिखाइये जिससे वे समाज सेवा की ओर प्रेरित हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे एक मिनट में और कहनी है, और वह यह है कि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के अनुदान में जो थोड़ा सा रुपया रखा जाता है, वह भी हम देखते हैं कि खर्च नहीं हो पाता है, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के होते हुए भी। जैसा कि मैंने कल कहा था सरकार को धन्यवाद देने के लिए मैंने नहीं कहा था। लेकिन उसके विभाग में अन्य विभागों से अच्छा काम होता है। पिछले साल एक लाख रुपया बदरीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में पक्की टट्टियां बनाने के लिए रखा गया था, लेकिन वह टट्टियां नहीं बनीं और वह रुपया लैप्स हो गया। इस वर्ष भी वह रुपया रखा गया है। लाखों आदमी तीर्थ यात्रा पर वहां जाते हैं लेकिन उनके शौचालयों का कोई प्रबन्ध नहीं है, और जो रुपया टाट वगैरह के खरीदने में खर्च किया जाता है, अगर वह रुपया इस प्रकार से रख दिया जाता है, और पक्की टट्टियां बना दी जाती हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सकता है।

*अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के बजट की बहस में हिस्सा लिया, सुझाव रक्खे और आलोचनायें कीं उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कुछ सदस्यों के विभाग के बारे में जो आलोचनायें कीं उनकी आलोचनाओं में कई जगहों पर सत्यता है। मुझे इस बात का दुःख है कि जिन बातों का जिक्र सदन में माननीय सदस्यों ने किया है अभी किसी मात्रा में हमारे अस्पतालों में प्रचलित हैं। अस्पतालों में डाक्टरों का कहीं-कहीं दुर्व्यवहार है यद्यपि हम बार बार और बराबर इस बात की चेष्टा करते रहे हैं कि ये कुरीतियां हमारे डाक्टरों से जायं परन्तु उन खराबियों को दूर करने के लिये हमें आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के लिये सदन के सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे सामने ऐसी बातें आई हैं जब किसी डाक्टर की शिकायत मेरे पास आयी और जब उसके खिलाफ कोई एंक्वायरी प्रारम्भ की गयी तो यदि दो शक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलभान गुप्त]

उस डाक्टर के खिलाफ शिकायत करते हैं और इस तरह से काम में हस्तक्षेप करते पहुंचने में दिक्कत होती है। यह सब हमारे विभाग में भी खराबियां हैं इसके मानने में चेष्टा रही है कि ये खराबियां और दोष हमारे से जल्दी निकल जायें। मैं यह भी जानता प्रयोग करते हैं, कुव्यवहार करते हैं, वहां अच्छे हैं, जो जनता के बीच में काफी ख्याति प्राप्त को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता शिकायतें की गयी हैं और जिनके कुव्यवहार जांच करेंगे और उनके प्रति उचित कार्य

एक बात के बारे में मैं कहना चाहता जो बात सदन में कही गई मैं सदस्यों का बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। प्रत्येक वर्ष जब तबियत को मार कर इन अनुदानों को अपने प्रदेश की समस्याओं को देखते हुये मुझे इस बात स्वास्थ्य के लिये व्यय किया जा रहा है वह जन संख्या हमसे कम है यदि उन के अनुपात में अनुदानों की जो धनराशि है उसे देख कर सामने है उसका निराकरण कैसे किया जाय दानों को इस की स्वीकृति के लिये उपस्थित में आर्थिक समस्यायें इस प्रकार की हों और हम हम स्वास्थ्य की रक्षा के लिये अधिक अस्पताल को हालत सुधार सकती है, तो हमारा कर्तव्य जगह-जगह कोष का निर्माण करें और पैसा उन अस्पतालों की हालत को सुधारने के लिये कोष द्वारा उन अस्पतालों की आवश्यकता को जगमनपुर साहब ने कोशिश की कि वे अपने एक अमुक धन देने के लिये तैयार हैं। मैं सदस्यगण उसी प्रकार की भावना से प्रेरित हैं के लिये आगे निकलें और हमारे सहयोग समस्या को हल करने के लिये आगे कदम बढ़ हल कर सकेंगे और अपनी दिक्कतों को दूर कर केवल सरकार की तरफ ध्यान देते रहे तो वर्षों व्यतीत हो जायेंगे और प्रदेश के स्वास्थ्य

मैं अधिक न कहता हुआ माननीय हूं और उनको यह विश्वास दिलाना चाहता के सामने हरदम रहेंगे और सरकार इन अमल करेगी और इस प्रकार स्वास्थ्य को सदैव उसकी चेष्टा रहेगी।

अच्छे व्यक्ति उसकी सिफारिश करते
मम बातें ऐसी हैं जिनसे कुछ निर्णय पर
दोष है और इसी कारण से स्वास्थ्य
गुरेज नहीं है। परन्तु हमारे बराबर यह
रों, अस्पतालों और औषधालयों से जल्दी
हां कुछ डाक्टर अपने प्रोफेशन का दुरुप-
भी डाक्टर हैं जो जनता की सहायता करते
हैं, जनता उनकी प्रशंसक है। मैं सदस्यों
न डाक्टरों के बारे में अभी इस सदन में
जिक्र किया गया है आधार उनको
गी।

त में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिये
ाना चाहता हूं कि मैं इस अनुदान को
बजट पर विचार करते हैं मुझे आपको
के बीच में बैठ कर मंजूर करना होता है।
भली-भांति अहसास है कि कितना मुश्किल
र बहुत से प्रदेशों के मुकाबले में जिनको
अनुदानों का मुकाबला करना है तो मुझे इस
शर्म आती है। लेकिन जो समस्या हमारे
ल जब अपना भाषण दिया था और अनु-
तो यह निवेदन किया था कि जब प्रदेश
स्याओं को हल करना चाहते हों, और जब
निर्माण करना चाहते हों और अस्पतालों
हम जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वहां पर
और वह पैसा व्यक्तियों से इकट्ठा करके
ार एक कोष बनायें और उसे जिलेवार
रें। आज ऐसा करने की हमारे राज
की आवश्यकता को पूरा करने के लिये
कि जनता से पैसा इकट्ठा करने में सदन के
ने विभिन्न क्षेत्रों की समस्या को हल करने
ायक बन कर इस प्रदेश के स्वास्थ्य की
व शीघ्रता के साथ स्वास्थ्य की समस्या को
यदि हम सब और प्रदेश के रहने वाले
कोष पर ही ध्यान देते रहे तो हमको
मस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

को सुझावों के लिये धन्यवाद देना चाहता
की आलोचना और उनके सुझाव सरकार
र सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और
को थोड़ी बहुत मात्रा में पूरा करने में

उपाध्याय जी ने कहा कि उल्फ ब्वय के बारे में अन्वेषण किया जाय। मैं न तो विशेषज्ञ हूं और न वैज्ञानिक हूं किन्तु अधिक से अधिक इतना ही कह सकता हूं कि उल्फ ब्वाय उनके ही क्षेत्र से आया है। मैं उसको उनके लिये जिले के अस्पताल के डाक्टर के पास रख सकता हूं जिससे उपाध्याय जी जिसका अन्वेषण अधिक कर सकें और बता सकें कि जिस क्षेत्र से वह आया है उस क्षेत्र के जानवरों और आदमियों के बीच रह कर वह किस तरह से रिएक्ट करता है। मैं इसके लिये तैयार हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है उसको देखते हुये मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या १९--चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा) के अन्तर्गत २,६५,२३,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जनस्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,३०,२०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २,२४,८८,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय तथा उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४३,१४,७०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों अनुदानों को इस सदन के समक्ष उपस्थित करने में थोड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों की रक़म में सदन के सामने उसकी स्वीकृति के लिये उपस्थित किया करता, पर आज ऐसा मौक़ा आया कि वह रक़म घट कर इतनी कम हो गयी। यह आमतौर पर प्रसन्नता की बात है, क्योंकि जो सारी रक़म प्रोक्योरमेंट और वितरण में ख़र्च की जाती थी वह रक़म अब विकास की योजनाओं में लगायी जा सकेगी। लेकिन यह सदन अवश्य ही मुझसे इस बात को जानने का उत्सुक होगा कि जब हमारे बीच से विभिन्न प्रकार के नियंत्रण उठ से गये हैं और थोड़ा बहुत ही नियंत्रण हमारे बीच में लागू है तो आज इतनी लम्बी रक़म स्वीकृति के लिये क्यों उपस्थित की जा रही है। मैं सदन की जानकारी के लिये यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बता देना चाहता हूं कि जो कुछ आज नियंत्रण हमारी केन्द्रीय नियंत्रण व्यवस्था से भी है। का नीति प्रकाशित की थी उस समय सारे किया था जिसके अन्तर्गत प्रदेश की सरकार अनुसार हमने उन दो वर्षों में कार्य किया जितने क्षेत्र से हम नियंत्रण को हटा सके, आने वाला है। सदन को यह अच्छी से गल्ले की कमी थी और किस प्रकार की कमी कम होती जा रही है और बाद कदाचित हमारे प्रदेश में ऐसी इस पैदावार से कुछ गल्ला हम बचा कर सन् ५२ की वह घोषणा की गई असुविधा से बचाने के लिये रिलीफ द्वारा गल्ले का वितरण कुछ समय तक कर लोगों को असुविधा उठानी न पड़े। हमारे डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट गल्ले के ऊपर जो उन तमाम नीतियों का यह फल हुआ क़रीब उस दर पर आ गयी है जो दर हम जिनके द्वारा गल्ला आम आदमी को दान सकता था। हमने उसी नीति के अन्तर्गत शाप्स चालू किया था, रिलीफ कोटा शाप बड़े शहरों से रिलीफ कोटा शाप्स को हटा नगर थे वहाँ से उन रिलीफ कोटा शाप्स

इस के बाद अब भी हमारे प्रदेश में रहता है। खास कर लगभग ८० लाख जहां वर्षा से गल्ले की कमी चली आ रही है जाता है कि जब अतिवृष्टि के कारण या का अभाव अखरने लगता है। इसी तरह उचित मात्रा में पैदा नहीं होता और जो नियंत्रित सब्सिडी कीमत पर, गल्ला पहुंचाने बीच में कुछ मिकदार में अपने गोदामों में स्थानों पर काफी गल्ला समय समय पर में काफी गल्ला है और इतना काफी ग

जो रक़म इस अनुपात से रखी है व ट्रांसपोर्ट चार्जेज से सम्बन्ध रखती और कुछ रक़म इन दोनों अनुदानों में ऐसे स्टाफ पर जो कि अब भी कुछ नियंत्रण जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश पर नियंत्रण है, मकानों के ऊपर नियंत्रण है और इस नियंत्रण की अ तरह से जानता है कि जो निर्माण की

स्था हमारे प्रदेश में चल रही है उसका संबंध ने ३० जून, ५२ को खाद्य समस्या पर सरकार का चित्र मैंने अपनी उस घोषणा में प्रकाशित न्दा कार्य करने वाली थी। उस घोषणा के उत्तरोत्तर हमने इस बात की चेष्टा की कि का प्रत्यक्ष फल पिछले और आयन्दा वर्ष से विदित है कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार समस्या हमारे बीच में आ जब कि गल्ले ात की आशा करते हैं कि की फसल के सकेगी जब हम आयन्दा के लिए अपनी स्टाक के रूप में रख सकें। जब ३० जून क प्रदेश में राशनिंग को बंद कर लोगों को ाप्स का निर्माण किया जाय और उनके जससे कि इस बदलती हुई नीति के जमाने में मय यह निर्णय किया था कि हमने जो इतर लगा रखा था, वह भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर ल्ले की कीमत घटती गई और वह करीब कोटा शाप्स के द्वारा निर्धारित हुई थी और जहां आस्टरिटी राशनिंग हुआ करती थी मिल ई से उन २६ शहरों में जहां रिलीफ कोटा बन्द किया। फिर अक्तूबर के महीने में १२ अब जनवरी से हमने बाकी जितने प्रदेश के ा लिया।

त्र बाक़ी है जहां अक्सर गल्ले का अभाव दी के पूर्व जिले हमारे देश के वे क्षेत्र हैं यय-समय पर उन क्षेत्रों में एक समय पैदा हो र्षा न होने के कारण वहां के लोगों को गल्ले देश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां गल्ला सिट एरियाज समझे जाते हैं ऐसे स्थानों पर ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने वें जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम इन । यही वजह है कि आज भी हमारे गोदामों वे हमें शीघ्र से शीघ्र निकाल भी देना है।

काफी रक़म तो उस गोदाम से सम्बन्ध रखती को इधर से उधर ले जाने में व्यय होता है के हमारे स्टाफ के ऊपर व्यय होती है। उस नन कर रहे हैं। यह तो हम अच्छी तरह से सभी सीमेंट पर नियंत्रण है, अभी नमक और फियूएल व लाइट कोल के ऊपर भी ावश्यकता है। हममें से हर एक अच्छी है उसकी मांग किस तरह से जगह जगह पर

है। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए उनकी मांग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की मांग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मांग है। जो आम जनता की मांग निर्माण सामग्री के लिये है वह उसकी आवश्यकता के अनुपात से पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि जो कोटा हमारे प्रदेश में सीमेंट का मिलता है वह कम है। २४ हजार टन प्रतिमास हमें सीमेंट मिलता है जब कि आवश्यकता हमारी ४० हजार टन प्रतिमास के करीब है। वह आवश्यकता कैसे पूरी की जावे, यह प्रश्न सदैव हमारे सामने रहता है। इसी तरह से लकड़ी की व्यवस्था है। लकड़ी की भी जगह जगह पर आवश्यकता है। जो सरकारी जंगल हैं उनकी लकड़ी, जो बाजारों में आती है वह हमारी उस लकड़ी के मुकाबले में जो कि बाजारों में प्राइवेट फारेस्ट से आती है, उससे कहीं सस्ती होती है। इसलिये उस पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि हमारे सरकारी जंगलों की लकड़ी प्राइवेट फारेस्ट से आने वाली लकड़ी के दामों को रोकने में मदद पहुंचाती रहे।

इसी तरह से साफ्ट कोक भी आज एक रोजमर्रा के जीवन की आवश्यक चीज बन गयी है क्योंकि उसके इस्तेमाल को हम उस गोबर के मुक़ाबले में अच्छी तरह से कर सकते हैं जिसको हम दूसरे इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसका वह इस्तेमाल जो खेत से सम्बन्ध रहता है अधिक मूल्यवान है और इसलिये इसको भी प्रसारित करने के लिये और साथ में लकड़ी को कम चलाने की समस्या को हल करने के लिये भी उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ रहा है।

इसी तरह से हमें ईंटों के पाथने के लिये कोलडस्ट के ऊपर भी नियंत्रण रखना पड़ रहा है और यह सब चीजें केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली नियंत्रण की चीजें हैं।

मकानों को किराये पर उठाने के बारे में जो नियंत्रण है उसके लिये तो सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के समय में मकानों की कितनी बड़ी समस्या है। इन्हीं सब नियंत्रणों को जारी रखने के लिए हमें इतनी बड़ी रक़म सदन से स्वीकृत कराने के लिये रखनी पड़ी है। यह न समझना चाहिये अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदन से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि जो भी नियंत्रण आज हैं उनकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो सदैव उन व्यक्तियों में से रहा हूं जो यह कहते रहे हैं कि नियन्त्रण यदि अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। इस माने में कि नियंत्रण तो किसी ध्येय की पूर्ति के लिये हमारे बीच में लाये गये हैं यह ध्येय मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का है। यदि वस्तुओं और पदार्थों की कमी है तो आज के युग में उन्हें लोगों तक कुछ न कुछ मात्रा में पहुंचाने के लिये नियंत्रण के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिये ऐसे समय में जब डिकंट्रोल की पालिसी बारम्बार जगह-जगह दोहरायी जा रही थी मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं जिन्होंने उस ग़लत समय में भी डिकंट्रोल की आवाज का विरोध किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज बहुत से क्षेत्रों में खास कर अन्न के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है कि अब हमारे बीच में ऐसा समय आ गया है कि जब हम विनियंत्रीकरण की नीति को अपना सकते हैं और नियंत्रण के झमेले से इस प्रदेश की जनता को छुटकारा दे सकते हैं। हम इस नीति को अपनाते जा रहे हैं और उत्तरोत्तर इस बात के प्रयत्न में लगे हुये हैं। जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है वहां तक क़रीब क़रीब हमने हर प्रकार का नियंत्रण हटा लिया है और जब से केंद्रीय सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि मोटा गल्ला जो अब तक प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता था अब वह जा सकता है, तब से हमारी नीति और स्पष्ट हो गई है। आज अब मोटा गल्ला भी प्रदेश के बाहर जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन कभी रहा करता था वहां अब वह भेजा जा सकता है। अलावा पूर्वी जिलों के जहां आज भी हमने नियंत्रण लगा रखा है यह जानते हुये कि पूर्वी जिलों में गल्ले की कमी है, वहां हमने अवश्य इस प्रकार का नियंत्रण केन्द्र की राय से लगा रखा है ताकि वहां की जितनी पैदावार होती है वहां जितना ग़ल्ला है वह बाहर न जाने पावे। वहां से प्रदेश के किसी हिस्से में या प्रदेश से बाहर जाने की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अनुमान नहीं है। उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न आने पावे इसके लिये समय-समय पर हम अन्य जिलों से गल्ला भेजते रहे हैं। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में जहां गल्ले का अभाव सदा रहता है सरकार की नीति के अन्तर्गत वहां समय समय पर हमारे सरकारी गोदामों से गल्ले का वितरण होता है और एक बंधी हुई कीमत पर गल्ला वहां की जनता को दिया जाता है ताकि श्री मदनमोहन जी के क्षेत्र के व्यक्ति भूख से तड़पे नहीं और अपने बीच में अधिक बुलफरोशी को जन्म न दें। नियंत्रण को जो कुछ थोड़ी बहुत मशीनरी हम अपने बीच में रखना चाहते हैं उसके यही कारण हैं जिनका जिक्र मैंने अभी सदन के सामने किया। हमारी राज्य सरकार को जैसा मैंने अभी बतलाया कि वह नियमित वस्तुएं केंद्र के द्वारा ही करता है। और केंद्र ही उसका कोटा निर्धारित करता है।

हमारे प्रदेश में अब शुगर पर से भी बहुत कुछ नियंत्रण हट गया है। केंद्र ने मिलों की ७५ फीसदी पैदावार बिल्कुल फ्री कर दिया है और सिर्फ २५ फीसदी अपने कब्जे में रखा है। अगर कहीं शक्कर की कीमतें बढ़ जाती हैं तो केन्द्र की सरकार विभिन्न प्रदेशों में उनकी मांग पर शक्कर को भेजवाती है। वह शक्कर जहां आती है वहां वह बंधी हुई क़ीमत पर बेची जाती है। इससे उन प्रदेशों में जहां यह बेचने के लिये जाती है वहां शक्कर की क़ीमतें बढ़ने नहीं पातीं बल्कि क़ीमतें गिर जाती हैं।

सीमेंट के बारे में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे यहां आवश्यकता के अनुपात में वह नहीं आ रही है इसलिये हमने इस वर्ष इस बात की कोशिश की है कि हम और क्षेत्रों से जहां कि सीमेंट की फैक्टरीज ज्यादा पैदा करती हैं जो कि हमारे जोन में नहीं हैं उनसे हम अधिक सीमेंट लेने का प्रयत्न करें। इसमें हम सफल भी हुये हैं यद्यपि उन फैक्टरियों से जो हुई सीमेंट के लिये हमें अधिक क़ीमत देनी पड़ती है। वह इसलिये कि वह फैक्टरीज हमारे यहां से बहुत दूर पर है और उस सीमेंट को यहां लाने में अधिक रेल का किराया देना पड़ता है। यही कारण है कि वह सीमेंट अधिक दामों पर उन क्षेत्रों में बेची जाती है जहां कि हमने उसके बेचवाने का प्रबन्ध किया है। हमने अपने प्रदेश में अधिक दामों पर सीमेंट बेचने की योजना इस लिये मन्जूर की क्योंकि जैसा मैंने बतलाया कि हमारे यहां देहाती क्षेत्रों में सीमेंट की बहुत आवश्यकता थी और खास कर हमारे पश्चिमी जिलों में उसकी मांग थी और इसीलिये हमने अपने प्रदेश में ज्यादा क़ीमत वाली सीमेंट मंगवाली। वह सीमेंट हमारे यहां जिस भाव पर कभी-कभी चोर बाजार में अभाव के कारण बिक जाती है उससे फिर भी कम दामों पर बिक सकेगी। हमने कुछ जिलों में इस सीमेंट के भेजवाने की योजना तैयार की है और उस योजना के अन्तर्गत यह क़ीमती सीमेंट उन जिलों में भेजी जा रही है। ऐसे जिलों के रहने वालों को यह शिकायत हो सकती है कि हमारे ही जिले में क़ीमती सीमेंट क्यों भेजी जावे और कम क़ीमत वाली सीमेंट हमारे क्षेत्र में क्यों न भेजी जावे। उनका यह एतराज जा एतराज भी हो सकता है परन्तु हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां गरीबी अधिक है और जहां पर सीमेंट की आवश्यकता है वहां ऐसी व्यवस्था करें कि वहां की गरीब जनता भी सीमेंट प्राप्त कर सके तो वहां तो हमें कम क़ीमत वाली सीमेंट भेजनी चाहिये और इसीलिये हमने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में खास कर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कम क़ीमत वाली सीमेंट भेजवाने का प्रबन्ध किया है परन्तु इस तरफ बुन्देलखंड के इलाके के लिये ऐसा प्रबन्ध हो रहा है कि ऐसी ज्यादा क़ीमत वाली सीमेंट को भेजवायें क्योंकि वहां के लोग जो इस सीमेंट की आवश्यकता समझते हैं और मांग करते हैं वह कदाचित इस अधिक क़ीमत वाली सीमेंट को भी खरीद सकें। हमारा ऐसा विश्वास है कि जब हमारे बीच में मिर्जापुर की फैक्टरी स्थापित हो जायगी और अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी तो यह अधिक क़ीमत वाली सीमेंट की खोज में हमें ऐसी फैक्टरियों में नहीं जाना पड़ेगा जो प्रदेश से दूर स्थापित हैं और जिनसे मंगाया हुआ सीमेंट यहां अधिक क़ीमत पर बिक सकता है। पांच छः महीने के बाद हम समझते हैं कि मिर्जापुर की फैक्टरी हमारे प्रदेश में कार्य करने लगेगी और फिर उसका बनाया हुआ सीमेंट हमारे प्रदेश के उन क्षेत्रों में ऐसी क़ीमत

पर बेचा जा सकेगा जो कि केंद्रीय सरकार से निर्धारित है और जो उन फैक्ट्रियों की है जो कि हमारे जोन में रखी गयी हैं।

इसी तरह से अभी साल्ट के नियंत्रण का आप के सामने मैंने जिक्र किया। हर महीने हमें लगभग २७००० वैगन नमक की जरूरत पड़ती है। नमक भी हमें कोई एक स्थान से नहीं मिलता है। पहले हम अपनी आवश्यकताएं सांभर से जो नमक आता था उससे पूरी करते थे और राक साल्ट से पूरी करते थे। राक साल्ट तो अब हमारे देश में पैदा नहीं होता क्योंकि वह तो पाकिस्तान के हिस्सों में पैदा होता था और जब से पाकिस्तान हमसे अलाहिदा हुआ, केंद्रीय सरकार की यह नीति रही कि हम अपने देश के अन्दर ऐसा नमक पैदा करें जिससे हमें विदेशों को न जाना पड़े और पाकिस्तान से न मांगना पड़े, अदन से न मांगना पड़े, इटली से न मांगना पड़े क्योंकि अलावा पाकिस्तानी नमक के हमारे यहां बाहर का सी साल्ट भी आता था। हमें इस बात की खुशी है कि इन तीन चार वर्षों से केंद्रीय सरकार के प्रयास से हमारे देश में इतनी मात्रा में नमक पैदा होने लगा है कि अब हमें विदेशों से नमक मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खास कर लाहौरी नमक बहुत से लोग खाते थे और पसन्द करते थे। परन्तु जब से हमारा और पाकिस्तान का बटवारा हो गया, उस नमक का आना तो बन्द ही हो गया, हमने यह भी मुनासिब समझा कि विदेशों से नमक मंगवा कर जो हम व्यय करते थे उसके बजाय हम अपने देशीय नमक का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके इस्तेमाल करने से हम अपने देश का करोड़ों रुपया भी बचा सकते हैं और साथ ही अपने देश की एक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। परन्तु आज हमें सांभर से उतना नमक मिलता नहीं जितना हमें पहले मिला करता था। क्योंकि आज सांभर में उतना नमक पैदा नहीं होता जितना सांभर लेक में पहले पैदा होता था पहले हमारे प्रदेश में २७, २८ सौ वैगन्स मोटर गाज के आते थे, परन्तु अब वे ७, ८ सौ वैगन्स रह गये हैं। इसलिये केंद्र ने हमारे प्रदेश को ऐसे स्थानों से जोड़ दिया है जहां और नमक पैदा हो रहा है। कांधला जो कि कच्छ में है, धरमधा जो कि सौराष्ट्र प्रदेश में है और एक और खारागोड़ा जो कि बम्बई प्रदेश में है जहां से हमको नमक मिलता है। इस तरह से चार स्थानों से हमको नमक मिलता है और वह सारे स्थान अब हमारे प्रदेश को नमक भेज रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जो कि सांभर के जोन से जोड़े गये हैं, कुछ धरमधा से जोड़े गये हैं, कुछ कांधला से जोड़े गये हैं और कुछ खारागोड़ा से इस तरह से हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नमक आता है। सांभर से जो नमक आता है वह सस्ता पड़ता है बनिस्बत उस नमक के जो उन क्षेत्रों से आता है जिनका नाम अभी मैंने आप के सामने लिया। उसमें भी हमको यह नीति बरतनी पड़ती है कि कुछ जिलों में हमने सांभर का नमक भेजवाया है और कुछ को उन स्थानों से जोड़ा है जिनका जिक्र मैंने अभी किया। अभी कल कुछ सदस्य मुझ से शिकायत कर रहे थे। वे खास कर पश्चिमी जिलों के थे, वे यह कह रहे थे कि हमारे यहां आप सी साल्ट भेजने लगे हैं यद्यपि हमारे स्थानों से नजदीक सांभर लेक है और वहां का नमक सस्ता आता है,। हमारे यहां अधिक क़ीमत का नमक क्यों भेजा जाता है। यह तो हमारे लिये संभव नहीं है कि हम दोनों क़ीमत वाले नमक को एक ही जिले में भेजें क्योंकि यदि दोनों क़ीमत वाले नमक को एक ही जिले में भेजें तो नतीजा उसका यह होगा कि जो कम क़ीमत वाला नमक है उसका बेचने वाला ही अधिक क़ीमत चार्ज करेगा और वह अधिक मुनाफा कमाने की चेष्टा करेगा। कल एक सुझाव कुछ सदस्यों ने हमारे सामने उपस्थित किया और वह यह था कि आल्टर्नेटिवली इन स्थानों पर कम क़ीमत वाला और ज्यादा क़ीमत वाला नमक भेजा जाना चाहिये। इस प्रश्न का सम्बन्ध वैगन्स की पोजीशन से भी है। जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है मेरी पूरी सहानुभूति इस मांग से है और मैंने अभी आदेश अपने विभाग के कर्मचारियों को दिया है कि वे इस प्रकार की कोई योजना तैयार करें जिससे कि आल्टर्नेटिवली कम क़ीमत वाला और ज्यादा क़ीमत वाला नमक एक जिले में आता रहे जिससे कि किसी एक जिले के रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर अधिक बोझ न पड़े।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैंने आप से कोल्ड डस्ट के बारे में भी कहा। कोल्ड डस्ट हमारी ईंटों के पकाने के लिये इस्तेमाल होता है और इसकी भी आज विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी मांग है। हमारी सरकार की आवश्यकताओं के लिये, नियोजन समितियों की आवश्यकताओं के लिये, पब्लिक वर्क्स की आवश्यताओं के लिये, रीवर वैली प्रोजेक्ट्स की आवश्यकताओं के लिये और तरह तरह की मांगों के लिये आज कोल डस्ट की बड़ी आवश्यकता है। ईंटें तो तभी अधिक मात्रा में तैयार की जा सकती हैं जब अधिक मात्रा में कोल डस्ट हमारे यहां आये। पहले जितना कोल डस्ट हमको मिला करता था उसकी मात्रा में कुछ वृद्धि हुई है। हमने केंद्रीय सरकार से उसके मंत्री द्वारा, कोल कमिश्नर के द्वारा और विभिन्न आदमियों से मदद ले कर अपने प्रदेश में अधिक मात्रा में कोल डस्ट लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन जितने कोल डस्ट की आज आवश्यकता है, उतनी मात्रा में नहीं आया क्योंकि देहात के क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में भट्ठे खुल रहे हैं और देहात में भी ईंटों की मांग है उनके लिये भी हम प्रबन्ध कर रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में कोल डस्ट आये, लेकिन पिछले तीन महीनों में हमारे प्रदेश में कोल डस्ट इतनी मात्रा में नहीं आया और उसका कारण यह था कि जिन स्थानों से वेगन्स ट्रान्सशिपमेंट के लिए हमें मिलते थे उसमें बहुत कमी आ गयी और कुम्भ के मेले के कारण बहुत सी गाड़ियां जो कि हमें इस कोल डस्ट के लाने के लिये मिल सकती थीं उनमें रुकावट डाल दी गयी और इसलिये वे आंकड़े जो इस पुस्तिका में जो आप को बांटी गयी है उसमें दिये हुये हैं उसमें कुछ कमी आप को दिखाई देगी। हमें आशा है कि फ़रवरी, मार्च, अप्रैल और आगे आने वाले महीनों में कोल डस्ट की यह कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हम अधिक वेगन्स पा सकेंगे और उनकी मदद से हम अधिक मात्रा में कोल डस्ट अपने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज सकेंगे।

मैंने अभी फ़ुएल और साफ्ट कोक का ज़िक्र किया। यह भी उतनी मात्रा में उन क्षेत्रों में पहुंचाया नहीं जा सका कि बैगेंस की दिक्कत की वजह से जोकि कुम्भ के मेले के कारण पैदा हुई।

मैंने सदन के सामने यह भी बताया कि अभी हमारे यहां हाउस कंट्रोल, रेंट कंट्रोल इत्यादि चल रहे हैं। इनकी कितनी बड़ी आवश्यता है वे आंकड़े जो कि इस पुस्तिका में दिये हुये हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि मकानों की आज कितनी आवश्यकता है। किरायेदार किस परेशानी में और अस्त-व्यस्त अवस्था में रहते हैं और किस तरह से वर्षों तक इन्तजार करने के बाद भी उन्हें मकान नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहां दुर्भाग्य से मकान अधिक संख्या में बन नहीं रहे हैं। शहरों में किन्हीं कारणों से मकान पहले जितने बना करते थे उतनी मात्रा में अब नहीं बन रहे हैं यद्यपि शहरों की जब संख्या बढ़ती जा रही है, एक तो रेफ्यूजी भाइयों की वजह से और कुछ और कारणों से जो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं लोग अधिक संख्या में अब शहरों में रहने लगे हैं। तो ऐसी अवस्था में मकानों की आवश्यकता है और यदि आज हाउस कंट्रोल या रेंट कंट्रोल हमारे बीच से हटा लिया जाय तो वे लोग जो आज किराये के मकानों में रह रहे हैं बहुत परेशानी में पड़ जायेंगे और उन्हें अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मुझे आज मालूम है कि रेंट कंट्रोल की व्यवस्था के रहते हुये भी बहुत से लोग मकानों के न मिलने के कारण तकलीफ से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मकानों के नियंत्रण के द्वारा दिये जाने की प्रणाली में कई प्रकार के दोष हैं। अक्सर इस बात की शिकायत आती है कि जो मकान खाली होते हैं वह सरकारी कर्मचारियों को मिल जाते हैं और गैर सरकारी आदमी जो वर्षों से मकान के इंतजार में रहते हैं और दौड़ धूप करते हैं उनको मिल नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि यह शिकायत जो है और दुःख की बात है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिये भी बड़ी परेशानी की बात होती है। वह किसी दूसरे स्थान से लाये जाते हैं। अगर उनके रहने के लिये मकान का प्रबंध नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं, अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिये प्राथमिकता मकानों के एलाटमेंट में उनको दी गयी है। मौजूदा अवस्था में आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि उन्हें मकान मिलने चाहिये यदि सरकार उससे काम लेना चाहती है और यदि उनको ठीक तरह से काम करने के योग्य बनाना चाहते हैं।

इससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज रेंट कंट्रोल की व्यवस्था चालू रखने की आवश्यकता है। इसी कारण से मैंने सदन को यह बतलाया कि आज जो यह लाखों की संख्या में अनुदान उपस्थित कर रहे हैं उसके पीछे एक ही भावना है कि नियंत्रण उन चीजों के ऊपर अवश्य रखा जाय जब तक उसकी आवश्यकता प्रतीत हो और जब उनकी आवश्यकता न रहे और उस मात्रा में चीजें मिलने लगें और वस्तुएं तथा पदार्थ उपलब्ध होने लगें जिसमें कि जरूरत है तो नियंत्रणों को नहीं रखना चाहिये।

प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजना जो बनायी है देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए। उसने कह दिया है कि यदि हम देश के अन्दर ठीक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं तो बहुत सी वस्तुओं के लिये फ्री मार्केट में रख कर इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इसलिये नियंत्रण थोड़े समय तक रखना पड़ेगा। खास तौर से उस समय तक जब चीजें उतनी मात्रा में पैदा होने लगें जितनी की आवश्यकता है।

इन्हीं कारणों से मैंने इन अनुदानों को जिनको कि मैंने आप की स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है, आप के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इन तमाम दिक्कतों, खामियों और कमियों के रहते हुए, इन शिकायतों के रहते हुये जो भिन्न-भिन्न लोगों की हैं, उनमें तथ्य भी हैं। सदन इन अनुदानों के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा कि अब यह दो डिपार्टमेंट्स कुछ ढीले से पड़ते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले कट मोशन पेश कर दें।

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**--- जी हां, मुझे दुख है। मैं प्रत्येक अनुदान में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं इससे सदन के सदस्यों को दिलचस्पी बहुत कम है इसी लिये ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हैं। हमारी सरकार बराबर कहरही है और हमारे साथ मंत्री जी जो सोशलिस्ट होने का दावा करते हैं और बार-बार उन्होंने उस सदन में और सदन के बाहर भी घोषणा की है। सोशलिस्ट पार्टी भी कंट्रोल आफ इकोनोमी में विश्वास करती है। हम भी यह बतलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी कंट्रोल में विश्वास करती है और जैसा कि आम तौर पर लोग साधारणतया कंट्रोलों के बारे में कह जाया करते हैं, हम ऐसी बात नहीं कहते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार प्लांड इकोनोमी की बात कहती है तो हमें ताज्जुब होता है। उस समय हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार प्लांड इकोनोमी कह सकती है लेकिन पूंजीवादी सरकार में यह बात नहीं हो सकती है। आज प्लांड इकोनोमी, केपीटेलिस्ट इकोनोमी और मिक्स्ड इकोनोमी, इन तीन इकोनोमी की बात कही जाती है। वास्तव में कैपीटेलिस्ट इकोनोमी और मिक्स्ड इकोनोमी में कोई फर्क नहीं है और जब सोशलिस्ट पार्टी करती है तो ऐसे राज्य की कल्पना करती है जिस में मीन्स आफ डिस्ट्रीब्यूशन और मीन्स आफ प्रोडक्शन वगैरा सब पर कब्जा हो। लेकिन हमारी सरकार एक तरफ तो डिस्ट्रिब्यूशन का, राशनिंग का नाम लेती है मीन्स आफ प्रोडक्शन पर उसका कोई अधिकार नहीं है और इसलिये ऐनोमलीज पैदा होती हैं और इस विभाग का काफी क्रिटिसिज्म होता रहा है। मैं तो जानता हूं, हम लोगों को तो आशा नहीं है इस सरकार से कि कोई सही कदम उठाये जायंगे और सोशलिस्ट प्लांड इकोनामी इस प्रदेश में हो सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

एक तरफ आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश में पंचवर्षीय योजना चल रही है और देश में चल रही है, लेकिन हमारी सरकार गलत चीजों से नतीजे निकाल लेती है और अपने को संतुष्ट कर लेती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा है कपड़े का और चीनी की खपत ज्यादा हो जाती है इसलिये स्टैंडर्ड आफ लिविंग ज्यादा है, लेकिन इस तरह के नतीजे निकालने से प्रदेश की जनता को एक तरफ से हम धोखे में डाल देते हैं। एक तरफ तो आप फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्लानिंग की व्यवस्था हर वस्तु की नहीं कर पाते, यह एक अजीब सी व्यवस्था है।

आज हमारे प्रदेश में सरकार का यह दावा है कि कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसके साथ-साथ सरकार इस चीज पर नजर नहीं डालती कि कपड़े की खपत इसलिए कम हो गयी कि परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गयी है और उधर कपड़े की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कपड़ा मार्केट में भरा पड़ा है। जनता खरीद नहीं सकती, इसलिए कपड़ा ज्यादा दिखाई देता है और इसलिए यह कहना कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, यह अजीब सी बात है। फिर यह भी समझने की चीज है कि यह फाइव ईयर प्लान है जो सन् १९५६ में पूरा होगी और अभी से कपड़े और चीनी का प्रोडक्शन बढ़ जाय और अपने लक्ष्य से घट जाय यह व्यवस्था को सुचारु-रूप से चलाने का द्योतक नहीं है। इसलिए नियंत्रण या प्लानिंग एक गलत तरीके से चलाया जा रहा है। जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री ने एक दो वर्ष पहले यह स्वीकार किया था कि उनको यह ठीक-ठीक पता नहीं कि प्रदेश के लोगों को गल्ले की कितनी आवश्यकता है और कितना गल्ला पैदा होता है और किस तरह से आप प्लानिंग चला करके यह सुचारु रूप से कमी दूर की जा सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने सभल कर कहा कि उस विभाग ने जन-संख्या से और ८ छटांक के राशनिंग से यह हिसाब लगा लिया, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह असल में सही चीजों का परिचायक नहीं है। मैं यदि बहुत ही माडेस्टली कहूं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदेश में ५० लाख आदमी दोनों वक्त में से कम से कम एक वक्त बिना खाये रहते हैं और उनको भोजन नहीं मिलता और यह संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। प्लान्ड इकोनामी में इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, केवल सोशलिस्टिक नारे लगाने से, सामाजिक स्लोगन्स से प्रदेश की समस्या हल नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों अनुदानों को मैंने देखा तो मुझे इस विभाग की चतुरता अवश्य नजर आई कि अनुदान संख्या ४० में लिखा हुआ है कि लेखा शीर्षक ८५-क में २ करोड़ रु० का संक्रमण होगा और अनुदान संख्या ४९ लेखा शीर्षक ८५-क राज्य व्यापार की योजना में ४३,१४,७०० रुपया दिया हुआ है। तो यह गलत आंकड़े इस खयाल से रखे गये कि सन् १९५२-५३ में जहां राज्य व्यपार में ३४ करोड़ की व्यवस्था हो रही थी और १९५३-५४ में १९ करोड़ का अनुमान था और वह केवल ८ करोड़ का ही बैठा, तो इस बजट में यदि ३९,९७,७०० रुपया दिखलायें तो वह शुभ सूचक होगा। लेकिन उसमें यह दो करोड़ की मद भी शामिल है और वास्तविक स्थिति यह है कि कुल २,३९,९७,७०० रुपया लगेगा। तो यह कैसा गलत इम्प्रेशन इस प्रदेश की जनता पर रखने की कोशिश की जा रही है।

गुड़ की योजनाओं में घाटा होने का संकेत इस में किया गया है। मैंने समझने की कोशिश की। मैंने मेमोरेंडम भी देखा, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ। बजट से भी पता नहीं चला। मैं नहीं समझता कि इसकी स्थिति क्या है और यह लगातार घाटा क्यों हो रहा है। ईंधन, रेलवे स्लीपर की बात और व्यापार की बात भी लिखी हुई है जिसमें मैं यह २ करोड़, ४३ लाख का खर्चा अनुपातत: ज्यादा मालूम होता है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और मुझे आशा है कि मुझे इसका समुचित उत्तर मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मालूम हुआ कि १०,००० से अधिक सरकारी कर्मचारी राशनिंग विभाग में थे। धीरे-धीरे जब हमारी सरकार एक तरफ तो प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की बात करने लगी लेकिन उनको फिर से दूसरे कामों में लगाने की कोई

सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं हो पायी । मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसमें काफी प्रयत्नशील हैं और कभी कभी कैबिनेट लेवेल तक भी ऐसे झगड़े हुए हैं जिसमें कि उन्होंने राशनिंग विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लड़ाई की है । लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जब हमारे प्रदेश में १८ हजार लेखपाल भर्ती किये जा रहे थे और उसमें १५ हजार नये रखे गये तो उस समय क्यों नहीं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास राशनिंग विभाग के कर्मचारी थे, उनको लिया गया । उसमें फ्रेश आदमियों को रखना और साथ साथ स्टाफ पर इतना रुपया फिर भी खर्च करना मैं समझता हूं कि कोई सुनियोजित चीज नहीं है । अब इधर ट्रांसपोर्ट विभाग में कुछ जगहें खाली हुई हैं और हमारी सरकार का ध्यान भी उसमें इनको खपाने की तरफ है । लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि लेखपालों में उनकी भर्ती क्यों नहीं की गई और नये अप्वाइंटमेंट क्यों किये गये जब कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग बेकार थे ।

आस्टरिटी और हिल प्राविजनिंग के लिए माननीय मन्त्री जी ने जो कहा और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि यह स्कीमें धीरे-धीरे खत्म होने जा रही हैं । पर वास्तविकता कुछ और है । सरकार का दृष्टिकोण देखने का दूसरा ही है । अभी जब भुखमरी का सवाल पिछले साल सदन में आया था तो मुख्य मन्त्री तक ने यह व्यवस्था की कि अगर अन्न न मिले और उसके बाद बीमारियां फैलें तो आदमी भुखमरी से नहीं मरते हैं बल्कि बीमारी से मरते हैं । जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने पिछले अनुदान के समय बताया था कि अंडर नरिशमेंट की भी समस्या बहुत है और मैं तो समझता हूं कि आस्टरिटी प्राविजनिंग और हिल प्राविजनिंग का जहां तक सवाल है उसमें घाटा उठाकर भी काफी सहायता उन गरीब क्षेत्रों में पहुंचानी चाहिए जैसे कि मिर्जापुर का दुद्धी क्षेत्र है और हिली प्रदेश हैं जिनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय आप स्वयं बहुत काफी जानते होंगे, जहां पर कि अन्न की समस्या कठिन है और पानी की भी कमी है । मैं समझता हूं कि वहां पर इस समय और भी सुनियोजित ढंग से अधिक से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाने की जरूरत है ।

रिपोर्ट में इस बात का संकेत है कि मिलों के प्रोडक्शन पर कुछ धोतियों और साड़ियों पर प्रतिशत कम कर दिया जाय ताकि हैंडलूम इंडस्ट्री को कुछ शक्ति मिले । लेकिन यह भी गवर्नमेंट का एक हाफ हार्टेड मेजर है । राष्ट्रीयकरण की बात तो इस सरकार से करना फिजूल है क्योंकि उसके लिए तो भारतीय संविधान जो कि उसी का बनाया हुआ है, उसके रास्ते में झूठे रोड़े की शकल में खड़ा हो जाता है । लेकिन साथ ही साथ इतना तो अवश्य किया जा सकता है कि कुछ नम्बर के सूत जो हैं उन पर पाबन्दी लगा दी जाय, मिसाल के तौर पर यह व्यवस्था हो सकती है कि ३० नम्बर के नीचे का सूत हैंडलूम वाले बनायें और बाकी मिल वाले लेकिन इस प्रकार का सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है । प्रोडक्शन कम होता है । लेकिन यह देखा गया है कि उचित नियंत्रण न होने से यह होता है कि जाहिरा तो प्रोडक्शन कम दिखाई देता है लेकिन चोरी से प्रोडक्शन करके या सरकारी कर्मचारियों को घूस देकर वह सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देते हैं । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

सीमेंट के लिये मैं मानता हूं कि काफी प्रयत्न सरकार की ओर से किया गया है और दूसरे प्रदेशों से भी सीमेंट लाया गया है । इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो मेरा अनुभव है वह यह है कि आज जो राशनिंग स्टाफ जिलों में है, वहां काफी धांधलियां होती हैं । अगर किसी कस्बे में आज सीमेंट जाता है या लोग परमिट पर सीमेंट ले जाते हैं, उनकी छान बीन की जाय तो पता चलेगा कि कई नामों से या गलत नामों से परमिट लेकर कुछ लोग काफी मुनाफा-खोरी करते हैं और दूसरों को बेचते हैं । इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

समुद्री नमक और दूसरे खारागोरा नमक की समस्या के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि ये बारी-बारी से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जायंगे । मैं समझता हूं कि यह कोई नया सुझाव नहीं है । यह ठीक है कि दोनों तरह के नमक एक साथ नहीं जाने चाहिए, टर्न बाई टर्न भेजे जायं तो इसके बारे में जो शिकायत है वह काफी दूर हो सकती है । गोदामों के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, काफी कहा गया है । मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे राशन के गोडाउंस हैं जहां गल्ला रखा गया है वहां काफी सख्त आडिटिंग की जरूरत है । अभी मुझे मालूम हुआ है कि काफी शोर मचाने के बाद वहां आडिट हुआ और १४ हजार रुपये का गबन निकला । उसके बाद सरकार मुकदमा चलाने में ढिलाई कर रही है । आवश्यकता इस बात की है कि इन हिसाबों का अधिक से अधिक आडिट होना चाहिए । यह बड़ी आवश्यकता है ।

अन्त में एक बात और कहनी है । यहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज को कुछ राज्य सहायता की बात कही गयी है । सन् १९५२-५३ में उनको २२ हजार १०१ रु० की सहायता दी गयी और १९५३-५४ में १ लाख २६ हजार की रकम दी गयी थी लेकिन १९५४-५५ में वह बिलकुल जीरो है । कोआपरेटिव सोसाइटीज की आवश्यकता यह सरकार और हम सब मानते हैं लेकिन फिर भी उनकी रकम इस वर्ष जीरो क्यों कर दी गयी ? मैं समझता हूं कि यह अनुचित बात है । और तरह से बचत करके प्रदेश की कोआपरेटीव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सहायता देनी चाहिए ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने अपने इस प्रदेश को भुखमरी से बचा लिया । बंगाल में जब कि इस प्रदेश में पांच सेर का गेहूं बिकता था, लाखों आदमी भूख से मर गये । परन्तु हमारे प्रदेश में जब कि फी रुपया एक सेर गेहूं बिका उस समय भी आपने किसी को भूखों मरते हुए नहीं देखा था । उस समय कंट्रोल का होना अत्यन्त आवश्यक था । यदि कंट्रोल न होता तो उस समय हमारे प्रदेश की क्या स्थिति होती ? अतः मैं प्रसन्न चित्त से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके कार्य की अत्यन्त सराहना करता हूं जिस गति से वह कार्य कर रहे हैं । मैं अपने माननीय सदस्य रामनारायण त्रिपाठी जी के सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहता हूं । इतनी तीव्र गति से हमें कार्य नहीं करना है जिससे हमारे देश की हानि हो जाय । अब भी माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से बतलाया है, कुछ कंट्रोल की आवश्यकता है । मैंने बड़े ध्यान से सुना है कि यह होना चाहिए । यदि इस समय भी कंट्रोलों को तोड़ दिया जाय तो हमारे देश की बड़ी हानि हो सकती है । और हमको इसी प्रकार से जिस प्रकार से अबतक अपने देश को बचाया है, बचाना है और उस मंजिल तक पहुंचना है कि इस प्रदेश की सराहना सब स्थानों भर में हो और हमारे मंत्री जी से शिक्षा दूसरे राज्य प्राप्त कर सकें कि ऐसा अच्छा प्रबन्ध रहा ।

अब मैं कुछ सुझाव देता हूं । पहले नमक का मसला है । मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि नमक बारी-बारी से एक स्थान में भेजा जाय । इसमें दोष यह हो सकता है कि घटिया किस्म का नमक बढ़िया किस्म के नमक में मिला कर बेचा जा सकता है । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि दोनों प्रकार के नमक सांभर और समुद्री जिनकी बनावट और रंग एकसा भी नहीं होता है प्रदेश के हर हिस्से में उसी अनुपात से भेजा जाय और इस पर कड़ाई के साथ नियन्त्रण रखा जाय । हमारे यहां मिलावट विरोधी एक कानून भी है । उसके अन्तर्गत मिलावट करने वालों को सजा दी जाय ।

दूसरे सीमेंट के बारे में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आर्थिक दशा के सम्बन्ध में पश्चिमी जिलों को मंत्री जी ने कुछ अधिक धनवान और पूर्वी जिलों को गरीब बताया है । मैं इससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं । परन्तु मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पश्चिमी

जिलों में गरीब जनता भी है और पूर्वी जिलों में धनी मनुष्य भी रहते हैं । यदि पश्चिमी प्रदेश में कोई गरीब है तो ईंट सीमेंट को वह कैसे खरीदेगा । इसलिए पश्चिमी जिलों में एक-तिहाई कम कीमत का सीमेंट भेजा जाय और बढ़िया प्रकार का अधिक दामों का सीमेंट दो-तिहाई भेज दिया जाय, परन्तु ऐसा न होना चाहिये कि सब सीमेंट अधिक दामों वाला पच्छिम ही में भेज दिया जाय । इसी प्रकार पूर्वी जिलों में जो घटिया किस्म का सीमेंट है वह दूना भेजा जाय और जो कीमत में अधिक है वह एक-तिहाई भेजा जाय । इस प्रकार जैसा भी मनुष्य होगा वह वैसा ही सीमेंट खरीदने में सफल हो सकेगा और आवश्यकतानुसार उनका कार्य चल जायगा ।

इसके पश्चात लोहे के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोहे फौलाद इत्यादि को छोड़ कर दूकानों पर जो लोहा बिकता है उसमें और कंट्रोल दाम में कोई अंतर नहीं है इसलिये सरकार यह कंट्रोल शीघ्र से शीघ्र खत्म कर दे । अन्न गोदामों के सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि उनमें व्यर्थ में रुपया व्यय हो रहा है और उनका तीन करोड़ से अधिक किराया देना पड़ता है । फिर नियंत्रण भी कुछ नहीं होता है, देखने में यह आता है कि अधिक गेहूं बाहर बरसात में पड़ा-पड़ा सड़ जाता है, घुन जाता है । अतः उस ओर देखभाल करने की जरूरत है ।

मकानों के सम्बन्ध में आदरणीय मंत्री जी ने जो फरमाया उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि मकानों के बारे में विधेयक लाया जाय कि जो जिस मकान में बीस साल से रह रहा है उसको ही वह मकान दे दिया जाय क्योंकि इस प्रकार का बिल पास करने में मकान मालिकों को तो कुछ हानि न होगी क्योंकि उन्होंने जो मकान किराये पर दे रक्खे हैं वे उनके पास फालतू हैं और उनके पास रहने की बड़ी-बड़ी कोठियां हैं। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में आपसे प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र यह बिल लाया जाय और कीमत का तखमीना भी बड़ी सरलता से इंजीनियरों से कराया जा सकता है । बीस साल में जो रुपया किराये के रूप में दे दिया गया है उससे कीमत पूरी हो जायगी, लेकिन अगर किसी केस में कम किराया गया हो तो कुछ सालों के लिये किस्त कर दी जाय और वह किराये के रूप में चुकता कर दिया जाय । इसके बाद मैं श्रीमन् एक बात और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । रेलवे स्टेशन पर पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है, यदि किसी लड़की को उसका बाप कुछ चावल देता है तो पुलिस वाले बड़ा तंग करते हैं । मैंने सहारनपुर स्टेशन पर देखा कि एक औरत थी और उसका शौहर उसके साथ था । पुलिस वाले उसे पकड़े हुए थे । मैंने पुलिस वालों से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो पता चला कि उसके पास चार सेर चावल थे । मैंने सिपाही से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो पुलिस वाले ने मुझ से पूछा कि आप कौन हैं । मैंने कहा कि मैं आपका भी सेवक हूं तब उसने मेरी प्रार्थना कुछ स्वीकार की और उनको छोड़ दिया । इसी तरह से एस० एस० लाइट रेलवे पर जो सहारनपुर से दिल्ली शहादरा तक जाती है, श्यामली, नोनी बड़ोत के स्टेशनों पर पुलिस तंग करती है । वहां पर मुसाफिरों को लूटा जाता है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दुर्व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने की कोशिश की जाय ।

एक निवेदन मैं और कर दूं और वह यह है कि जिस प्रकार से अन्य माननीय सदस्यों का यह विचार है कि पश्चिमी जिले अत्यन्त धनी हैं और पूर्वी जिले बहुत गरीब हैं मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हम अपने प्यारे भाइयों की सेवा करना चाहते हैं, हमारा तन, मन और धन सब कुछ पूर्वी जिलों के लिये है परन्तु कुछ उनका भी ध्यान रक्खा जाय, यही मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है । जय हिन्द !

*श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि मानव समाज में सब से उच्चतम स्थिति तब होती है जब किसी नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं होती है । आज उनका विभाग जो धीरे-धीरे इसको हटा रहा है वह इस बात का द्योतक है कि किस कामयाबी और सफलता से उन्होंने इस राज्य की सेवा की है । मैं खासकर माननीय मुख्य मंत्री को और माननीय अन्न मंत्री को पहाड़ी प्रदेश के लिये इन तमाम कष्टमय वर्षों में जो विशेष दया उन्होंने रखी है उसके लिये उनको बधाई देता हूं । जैसा कि अभी अन्न मंत्री महोदय ने बताया कि अभी पहाड़ी प्रदेशों में और कुछ पूर्वी जिलों में अन्न की कमी है । इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह सस्ते अन्न देने की व्यवस्था या टैस्ट वर्क खोलने की व्यवस्था और जो दूसरी व्यवस्थायें हैं आज वहां की भूखी जनता को अन्न देने के लिये उनकी उदर पूर्ति के लिये जरूरी है और हम उनकी सराहना करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम यह भी समझते हैं कि यह एक मनोवृत्ति में कमजोरी पैदा करता है और इससे मांगने की आदत बढ़ती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां आज पूर्वी जिलों में कृषि विकास की योजनायें चालू हैं, वहां पर ट्यूबवैल बन रहे हैं, वहां पर नहरों की योजनायें हैं और वहां चीनी के कारखाने भी हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कह देना उचित समझता हूं कि केवल वहां पर पहाड़ी जनता के लिये केवल एक इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सरकार को ऐसी योजना भी शुरू करनी चाहिये जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और यह मांगने की आदत खत्म हो। बहुत वर्षों से पहाड़ी जनता की ओर से इस बात की मांग की गयी है कि वह सस्ता अन्न नहीं लेना चाहते हैं बल्कि उनको भूमि दी जाय, वह मेहनत करना चाहते हैं और प्रयत्न करना चाहते हैं और अपनी मेहनत से अन्न पैदा करना चाहते हैं लेकिन मुझे दुख है कि अभी तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया । आज तराई और भाबर इस्टेट का जो सुपरिंटेंडेंट है उनके यहां कई वर्षों से हजारों अर्जी पड़ी हुई हैं कि भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाय लेकिन मुझे दुख है कि बाहर के लोगों को दी जाती है, वहां पर शरणार्थी बसाये गये, बंगाली बसाये गये और दूर-दूर से लाकर बसाये जाते हैं लेकिन पहाड़ों पर उन लोगों को जो वहां पर हजारों वर्षों से रहते आये हैं और जिन्होंने उस मलेरिया का सामना किया है उनको कुछ भूमि नहीं दी जाती है । मेरा ख्याल यह है कि कुमायूं के पहाड़ी लोग वहां पर कम से कम ५ हजार वर्ष से उस तराई और भाबर में बसते आये हैं और उन लोगों ने वहां पर बहुत कुरबानी की है लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपके द्वारा माननीय अन्न मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर यह हो जाय तो इस वर्तमान बजट से भी कम से कम पहाड़ी जिलों का प्रश्न हल हो सकता है और अगर वहां पर भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाय और वह जमीन जो इस समय तराई भाबर में बेकार पड़ी हुई है वह उनको प्राप्त हो जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की । उन्होंने यह कहा कि हम ८ हजार एकड़ भूमि वहां लोगों को दे रहे हैं वह बाकी ब्लाक कहे जाते हैं । बाकी ब्लाक में भूमि हीन लोगों को भूमि देने की बात थी लेकिन सुना जाता है कि किसी को वह भूमि नहीं दी जायगी । वहां पर ३ हजार पेड़ काटे गये लेकिन जब भूमि वह किसी को नहीं दी गयी तो वह उतने ही बड़े हो गये। तो मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि एक दफा वहां पर इतना खर्चा किया गया जिसमें लाखों रुपया खर्च किया गया और फिर उस ३, ४ हजार एकड़ जमीन को बंजर में छोड़ दिया गया तो फिर उतना ही खर्चा आपको करना पड़ेगा तब वह जंगल साफ होगा । इसलिये अगर सरकार का ख्याल यह है कि भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाय तो उसको दे देना चाहिये, नहीं तो फिर उतना ही उस भूमि को साफ करने में खर्च करना पड़ेगा। यह चीज केवल मैं इसलिये कह रहा हूं कि वहां पर अन्न की कमी का प्रश्न है । यह बड़ा भारी प्रश्न है । एक तरफ तो अन्न की कमी है । बहुत दिनों तक आप सस्ता अन्न नहीं दे सकेंगे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । माननीय सदस्य एग्रीकल्चर पर बोल रहे हैं या प्रस्तुत अनुदान पर ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भूपाल सिंह खाती—मैं अनुदान पर ही बोल रहा था, पता नहीं, कैसे माननीय सदस्य ने यह समझा । हमें सीमेंट और लोहे की परमिट कभी-कभी कानपुर और दूसरी दूर दूर जगहों के दे दिये जाते हैं जिसके कारण कभी कभी तो लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं । पहाड़ के लोगों के लिये हल्द्वानी, टनकपुर, रामनगर या कोटद्वार के परमिट दिये जावें, तो वे पूरा फायदा उठा सकते हैं । कभी रुपये की कमी पड़ जाती है तो इन जगहों में उसका प्रबन्ध हो सकता है । हमारे यहां खासकर छत के लिये कारूगेटेड शीट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो कोटा पहाड़ी जिलों को दिया गया है वह बहुत कम है । आज बहुत से स्कूलों और इमारतों की छतें शीट्स न होने के कारण बगैर छाई पड़ी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी जिलों का कोटा बढ़ाया जाय । इससे वहाँ की जनता को काफी लाभ पहुंचेगा ।

मैं अन्त में एक बार फिर उनको इस विभाग को सफलतापूर्वक चलाने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को बराबर बधाई दूं । अभी जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के अनुदानों में माननीय मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है यद्यपि मुझे उन पर बोलने का अवसर नहीं मिला । लेकिन आपका मैं कृतज्ञ हूं कि जो आपने इन अनुदानों पर मुझे अवसर दे दिया । हमारा जिला गरीब तो है ही । यह पूरब और पश्चिम का प्रश्न नहीं है जैसा कुछ माननीय सदस्य कहते हैं प्रश्न है गरीबों और धनियों का । हम तो कहते हैं कि सारा सूबा ही गरीब है । लेकिन कम्पैरेटिव दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह पता चलता है कि बुन्देलखंड, पहाड़ और पूरब के लोग अधिक गरीब हैं । ईश्वर का भी कुछ कोप पूर्वी जिलों पर रहता है । हमारे यहां यह फसल बड़ी अच्छी थी लेकिन दुर्भाग्य से पानी बरस गया और पछुवा हवा चल गयी । हमारी रबी की फसल इन कारणों से इस साल भी खराब हो गयी तो कमी का प्रश्न हमारे यहाँ पूर्वी जिलों में रहेगा ही । दूसरी समस्या जो हमारे सामने है वह सीमेंट, लोहा और ईंटों वगैरह के कन्ट्रोल की है । जहाँ हम यह कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कन्ट्रोल लगाकर प्रांत की जनता को मरने से बचा लिया वहाँ अब यह भी कहते हैं कि अब इस कन्ट्रोल की आवश्यकता नहीं है । कन्ट्रोल के खत्म होते ही नतीजा क्या हुआ ? जो गेहूं दो सेर दो छटाँक का मिलता था वह अब ढाई सेर का मिल रहा है । लखनऊ में भी मिल जाता है । कोयले की समस्या हमारे जिले में बहुत ही गम्भीर है । कभी तो वैगन नहीं मिलते और कभी सप्लाई नहीं हो पाती । कोयला वहाँ पहुंच नहीं पाता इस कारण से ईंटों के भट्ठे भी वहाँ बहुत कम लग पाते हैं, लोगों की जो मांगें हैं पूरी नहीं हो पातीं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हजार कुयें स्वीकृत किये थे लेकिन बड़ी मुश्किल से २०० कुओं के लिये ही कोयला मिल पाया है । अधिकारियों का कहना है कि कोयला नहीं है । हमारे लिये यह समस्या बहुत ही भीषण रूप धारण कर रही है । नमक के लिये जो सुझाव श्री चन्द्र जी ने दिया है वह ठीक है उसे रक्खा जाय । दो प्रकार का नमक होता है वह दोनों प्रकार का नमक रोटेशन से लोगों को दिया जाय । ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक जगह अच्छा ही अच्छा नमक पहुंचे और दूसरी जगह खराब ही खराब ।

इस अवसर से लाभ उठाते हुए मैं यह भी कहूंगा कि हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है । माननीय मंत्री जी ने उनके लिये कोई अनुदान नहीं रक्खा है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये भी कुछ अनुदान वे देने की कृपा करें । इसमें आजमगढ़ के लिये कुछ भी नहीं रक्खा गया है । मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो जिले गरीब हैं माननीय मंत्री जी उनकी ओर भी ध्यान देंगे तथा उनपर भी कृपा रखेंगे ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अन्न मंत्री जी के सुन्दर और तर्कहीन भाषण को भलीभांति सुनता रहा। आज जिन तर्कों से माननीय मंत्री जी सीमेंट, लोहा, सोफ्ट कोक और नमक पर कंट्रोल कायम रखना चाहते हैं अगर उसी क्राइटेरिया को खाद्यान्न पर भी लागू किया जाय तो वे कह सकते हैं कि उस पर से भी कंट्रोल न हटाया जाय। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि सीमेंट हम पूर्वी जिलों को कम कीमत पर इसलिये देते हैं कि वह गरीब हैं और पश्चिमी जिलों में इसलिये भेजते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। जो अल्टरनेटिव तरीका नमक के लिये बताया गया है वही सीमेंट के लिये भी कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। या जिस आधार पर सीमेंट पूर्वी जिलों में जाती है वैसे ही नमक भी भेजा जाय।

श्रीमन्, मैंने उनको यह भी कहते हुए सुना कि लोग शहरों में मकान नहीं बनवाते, इसकी उनको कुछ शिकायत है। एक तो इन चीजों की वजह से भी मकान बनवाने में कठिनाई हो रही है दूसरे जो चीजें हैं जिससे लोग मकान बनवाने से भागते हैं वह यह है कि माननीय मंत्री जी की तरफ के ही लोग कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिस मकान में जो रहते हैं वह उन्हीं को दे दिया जाय और उनका किराया कम कर दिया जाय। फिर ऐसे लोग भी जिनके पास कुछ साधन भी हैं और शहरों में मकान बनवा सकते हैं, कैसे माननीय मंत्री जी का यकीन कर सकते हैं। जबकि आपकी सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये सदैव तैयार रहती है और जिसको प्रोत्साहन भी स्पष्ट मिलता है तो क्या आप कभी यकीन कर सकते हैं कि शहरों में कोई मकान बनवा सकता है? और श्रीमन् मैं यह नहीं समझता हूं जो माननीय श्री चन्द जी ने यह फरमाया, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस भवन में आयन्दा कोई विधेयक ऐसा नहीं आ सकता जिससे किसी के मकान पर आक्रमण किया जा सके और अगर आपकी नीति यही रही तो इसमें बदनीयती आपकी जाहिर होती है और आपके कराये धराये कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होता ऐसी नियत रखना प्रशोभनीय है। यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं आपके जरिये उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायरमेंट के बाद जब वे अपने घरों में जाना चाहते हैं जिनको कि उन्होंने अपनी सर्विस के समय में बनाया तो वे तो खुद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पड़े रहते हैं और दूसरे लोग उनके घरों में विराजमान हैं। मैं आपको इलाहाबाद जिले का एक किस्सा बतलाता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब मुलाजिम थे उन्होंने रुपया लगा कर अपना मकान बनवाया वे बेचारे तो अपने चाचा के मकान में रहते हैं और उनके मकान पर एक डि०प्रो० साहब कब्जा जमाये हुए हैं। तो श्रीमन् उन्हीं कर्मचारियों को जो अभी आपके साथ थे जो उस मकान का मालिक है उसके लिये भी आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिये या नहीं कि उसने अपने जीवन में जो मकान बनाया और जो उसकी अपनी सम्पत्ति है, जिसके ऊपर उसका पूर्ण दावा है, वह उसका अधिकारी है और वह उससे पूर्णतया लाभ उठा सके, इससे वंचित रखना यह कहाँ तक संगत है?

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान को उपस्थित करने के लिये माननीय खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि अबकी खाद्य मंत्री जी का विशेष ऋण मिर्जापुर पर उसे भूख से मरने से बचाने का है उसको यहाँ प्रकाशित करते हुये इसके लिये मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। मुझे वह दिन याद आता है जब हमारे सूबे में कफन के लिये हाय हाय मची थी और मुर्दे ढकने के लिये कफन तक भी नहीं मिलते थे, मुझे वह दिन याद आता है जब पांच-पांच सेर चीनी के लिये बड़े-बड़े पैसे वाले भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे और चीनी नहीं मिलती थी। उन अवस्थाओं को पार करके खाद्य मंत्री के मजबूत हाथों द्वारा धीरे-धीरे हमारी अभाव की नैया इतनी दूर निकल आयी और वे उसे पार निकाल

लाये। अब आज हम ऐसा दिन देखते हैं कि जब हमारे पास सारी चीजें सरप्लस दिखलायी देती हैं। यह अवस्था जो ५ साल पहले व्याप्त थी वह पार हो गयी। और यह उनकी विशेष योग्यता, विशेष क्षमता और विशेष सराहना की बात है। इन पाँच वर्षों में जो काम हुआ है इससे हमारे देश की जो काया पलट हुयी है वह हमारी आँखों को खोलने वाली है और जो समालोचना करने वाले लोग हैं उनके लिये तो वह बिलकुल प्रत्यक्ष दृष्टांत है। इसलिये मैं बार-बार इस अवस्था का परिज्ञान कराते हुए पिछली बातों की याद दिलाते हुए खाद्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

अब मैं एक विषय पर खास तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि ऐसा सोचा जा सकता है और है भी कि वह खास तौर से हमारे हाथ की चीज नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि इसका सम्बन्ध हमारे नित्य के जीवन से है इसलिये इसका जिक्र करना आवश्यक प्रतीत होता है। मैं सदन का ध्यान श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा खाद्य मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं वह है डालडा या बनस्पति घी। डालडा ऐसी चीज है जिससे हमारे स्वास्थ्य की बड़ी भारी हानि हो रही है। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखती है। जो गरीब हैं वे तो गरीबी से मर रहे हैं लेकिन जो पैसे वाले हैं वे भी डालडा खा खाकर अपने स्वास्थ्य को गिराते जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ओर हम अपनी तन्दुरुस्ती को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिये मैं केवल सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं यद्यपि इधर से आवाजें आ रही हैं कि यह विषय इस समय नहीं है, लेकिन मैं इसलिये यहाँ पर आवाज उठाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन की आवाज उठे और हमारे खाद्य मंत्री जी का इस ओर विशेष रूप से ध्यान हो क्योंकि यह ऐसा जहर है जो हमारे स्वास्थ्य को दिन बदिन गिराता जा रहा है। चाहे वह हजारों अस्पताल खोले चाहे कितनी ही दवाइयाँ बाँटें लेकिन दूसरी तरफ अगर बनस्पति घी खिला खिलाकर प्वायजनिंग करते रहेंगे तो हमारा साधारण स्वास्थ्य गिरता ही जायगा, चाहे कितना ही उत्तम से उत्तम उपाय आप करते रहे। वह सब खत्म हो जायगा और हमारी और सभी क्षेत्रों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय और इस दूषित खाद्य को जैसे भी हो रोकने का प्रबंध किया जाय।

मैं अब लोहे के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। अब भी फेब्रीकेटर्स को जो लाइसेंस की प्रथा है उसमें कड़ाई है। वह अब उदारता के साथ दिया जाय क्योंकि जो कच्चा लोहा है उसका जो दूसरे लोग सामान बनाते हैं वे बहुत ऊंचा दाम लेते हैं और वह महंगे दामों पर मिलने लगते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि लोहा या लोहे का सामान अधिक महंगा न पड़ने पावे और लायसेंस देने में उदारता का बर्ताव हो।

मैं अन्त में फिर एक बार खाद्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे दो बातें कहनी थीं उनको कहकर मैं अब अवकाश चाहता हूं।

*श्री शिवनाथ काटजू—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों अनुदानों का समर्थन करता हूं। माननीय श्रीचन्द जी ने बहुत ही सीधी सी बात कही लेकिन मेरे मित्र माननीय राजा साहब उत्तेजित हो गये। बहुत सीधी सी बात थी कि जो २० वर्ष तक किसी मकान में रहता है वह मकान उसी का हो जाय। मैं इससे सहमत हूं लेकिन इसमें एक संशोधन कर दिया जाय कि बजाय २० के तीन वर्ष कर दिया जाय तो कम से कम हम लोग दारुलशफा में रहते हैं उसमें ही हिस्सा मिलने की उम्मीद होजाय क्योंकि आजकल क्रांति का युग है और कानून और न्याय पूर्वक तो छोड़िये कि कंट्रेक्ट की सैक्टिटी बिलकुल बेकार सी चीज है, माननीय श्रीचन्द जी ने जो सुझाव रखा है वह बिलकुल गौरतलब है लेकिन मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि बीस वर्ष में कौन आवे कौन न आवे इसको तीन वर्ष कर दिया जाय तो ज्यादा फायदा होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने जो नक्शा रखा वह बहुत ही संतोषजनक है। कंट्रोल अच्छा था या बुरा था यह तो एक सिद्धांत का विषय है लेकिन आज स्थिति यह है कि बहुत सी चीजों पर से कंट्रोल उठ गया है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने हमको बताया खाद्य पदार्थ अब कंट्रोल के बाहर हो गये हैं और सरकार केवल इतना इंतजाम रख रही है कि कभी अगर आइंदा कहीं कोई जरूरत पड़े तो उस वक्त यह मौका न हो कि सरकारी मशीनरी उसको सम्हालने के लिये मौजूद न हो लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकारी गोदामों में जो गल्ला रखा हुआ है उसकी मुनासिब देखभाल की जाय क्योंकि अक्सर यह शिकायत रही है कि वहां गल्ला रखे-रखे खराब होता जाता है और जब बाद में उसका वितरण होता है तो अच्छा और खराब गल्ला दोनों ही बाजार में आजाता है। इसके लिये यह बहुत ही जरूरी है कि सरकारी गोदामों घरों में गल्ले की देखभाल बहुत ही मुनासिब तरीके से की जाय। मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने एक राजनीतिक भाषण किया। जब सरकार कंट्रोल करती है तो वह कंट्रोल के खिलाफ होते हैं जब सरकार डिकंट्रोल करती है तो उनको कंट्रोल अच्छा लगने लगता है। उन्होंने यह आक्षेप किया कि सरकार वितरण तो कर रही है लेकिन प्लान्ड एकोनामी नहीं है और प्लांड एकोनामी से उनका मतलब यह था कि सरकार मीन्स आफ प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान दे और उन्हें अपने हाथ में रखे। अगर उनका तात्पर्य यह है कि आज जितनी काश्तकारी है वह सब सरकार अपने हाथ में ले ले तो मैं उनसे कहूंगा कि एक तरफ तो आप प्रांत भर में कह रहे हैं कि सबको तीन तीन एकड़ या चार चार एकड़ जमीन और तीन-तीन बैल देंगे तो फिर यह प्लान्ड एकोनामी में कैसे आता है। जब वह मीन्स आफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर वह देहातवासियों के सामने ऐसा चित्र क्यों रख रहे हैं। यह प्लान्ड एकोनामी में किस तरह से आता है।

उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर बहुत सी बातें कहीं। उन पर मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां सरकार पूर्वी जिलों का ध्यान रखती है क्योंकि पूर्वी जिले वालों की संख्या काफी है और वह यहां पर अपनी बातें रखते हैं, पश्चिमी जिले वाले ज्यादा सम्पन्न हैं लेकिन जो बीच वाले जिले हैं वह बेचारे बीच में पिस जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जैसे प्रयाग है या और जिले हैं वहां सीमेंट, साल्ट इत्यादि भेजने की तरफ भी सरकार ध्यान दे। यह नहीं होना चाहिये कि सस्ती चीजें पूर्वी जिलों में निकाल दें या पश्चिमी जिलों में निकाल दें और हमारे यहां बीच के जिलों में न पहुंचे।

इस वक्त सरकार हमारे सामने इन दो अनुदानों के अन्दर एक तरफ तो कन्ट्रोल की मशीनरी रख रही है जिससे जरूरत के वक्त किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और दूसरी तरफ सरकार अपने हाथों में कुछ चीजों का वितरण रख रही है, इसमें किसी को आक्षेप नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं और सरकार की तरफ से हमारे सामने जो योजनायें रक्खी गयी हैं वह बहुत ही मुनासिब और सुन्दर हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को उनके दोनों अनुदानों के पेश करने के लिये बधायी देता हूं और समर्थन करता हूं। अभी जैसा कि श्री काटजू जी ने बतलाया कि उनके जिले की गणना न पूर्वी जिलों में आती है और न पश्चिमी जिले में है उसी तरह से मेरा जिला सुल्तानपुर भी है। उसकी भी गणना न पूरब में आती है और न पश्चिम में आती है। जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है उसमें ७ जिले आते हैं जिसमें सुल्तानपुर नहीं आता है और इसी तरह से पश्चिम में भी नहीं आता है। मैं आपका ध्यान सुल्तानपुर की तरफ इस लिये विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर सीमेंट की जो व्यवस्था की गयी है वह संतोषजनक नहीं है। प्रायः सीमेंट का जो कोटा निर्धारित किया जाता है वह विशेषकर कम्युनिटी प्रोजेक्ट के

हिस्से में चला जाता है और जिले की जो अन्य जनता है वह उससे वंचित रह जाती है । आजकल हमारे यहाँ बहुत लोग कुएं बनवा रहे हैं और मकान बनवा रहे हैं जिनके लिये सीमेंट का मिलना बहुत ही आवश्यक है । इसलिये हम चाहते हैं कि सीमेंट का कोटा जब निर्धारित किया जाय उस समय सुल्तानपुर का विशेष ध्यान रक्खा जाय। उसी प्रकार से कोल डस्ट का सवाल है । हमारे यहाँ प्राइवेट तरीके पर लोग भट्ठे लगाते हैं और कोआपरेटिव के भी भट्ठे हैं और उनका भी यह कहना है कि उनको कोल डस्ट पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती । इसी प्रकार से हमारे यहाँ नमक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है जिससे कभी-कभी जनता को विशेष कष्ट होने लगता है । इसलिये इन बातों की तरफ आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि सुल्तानपुर की तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले तो उत्तर प्रदेशीय सरकार के इस बटवारे पर धन्यवाद दूंगा कि पोर्ट फोलियो का कम से कम ऐसा बटवारा जैसा कि माननीय गुप्ता जी के साथ हुआ है वैसा दूसरी जगह नहीं हुआ है । स्वास्थ्य और अन्न दोनों का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ठ है कि दोनों को एक साथ करके यह बड़ी ही दूरन्देशी का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है ।

मुझे एक बात पर अफसोस होता है मैंने जेलखाने में भी पढ़ा था कि सिंचाई के प्रश्न को लेकर और आज भी कुछ उसी तरह की चर्चा पूर्व और पश्चिम की चल पड़ी है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पूर्व के जिलों की मिट्टी और पानी में ऐसी खूबी है कि वहाँ की आबादी बढ़ती चली जा रही है । पहले भी वहाँ की आबादी कुछ ज्यादा थी और आज भी वह आबादी उसी तरह से एक मर्तबा बढ़ जाने के बाद गुणा करके बढ़ती जा रही है । अब इसमें कोई क़सूर पूर्व वालों का तो है नहीं । हमने कई मर्तबा कई सुझाव भी इसके लिये दिये लेकिन उन सुझावों पर कोई विचार नहीं हुआ कि इस आबादी को किस तरह से कम करने की कोशिश की जाय । मैं इस सम्बन्ध में माननीय अन्न मंत्री जी के इस प्रबन्ध की बहुत तारीफ ही करूंगा लेकिन इस तारीफ में मैं यह भी कहूंगा कि आगे भी अन्न का बन्दोबस्त ऐसा रखना चाहिये कि जिसमें वहाँ लोग अन्न पा सकें । मैं आँकड़े देना चाहता हूं माननीय सदस्यों के सामने कि जो पिछले वर्ष आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम या पहाड़ की प्राविजनिंग स्कीम बनायी गयी थी उसमें इतना अनाज दिया गया । छः लाख मन अन्न पूर्वी जिलों को दिया गया था । मिर्जापुर को ४० हजार मन, गोरखपुर को १ लाख ६४ हजार मन, बलिया को ९७ हजार मन, आजमगढ़ को ८७ हजार मन, देवरिया को १ लाख ८० हजार मन, गढ़वाल को २ लाख ५६ हजार मन और अल्मोड़ा को १ लाख ६१ हजार मन दिया गया । इतना अनाज खरीदने से जाहिर है कि अगर इस तरह का मोटा अनाज वहाँ खरीदने की जरूरत पड़ती है तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिये कि वहाँ की आबादी, ज्यादा है और वहाँ की उपज कम है । इसलिये उनको ऐसा मोटा अनाज भी, जो अनाज कभी कभी खाने लायक नहीं रहता है, खरीद करके गुजारा करना पड़ता है । यह पूर्व और पश्चिम के जिलों की बात नहीं है, यह अभावग्रस्त जिलों की बात है और जो अभावग्रस्त जिले हैं उन जिलों पर इस सदन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनको अभावग्रस्त की हालत से उठा करके सेल्फ सफिशेंट बनाया जाय । इसके लिये चाहे सीमेंट देने की जरूरत पड़े, चाहे पानी देने की जरूरत पड़े, चाहे पश्चिमी जिलों को अपना पेट काट करके उनकी मदद करने की जरूरत पड़े, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिये हमारे पश्चिमी जिले या और कोई जिले कुछ उठा नहीं रखेंगे । मैं इसके लिये शुक्रगुजार हूं कि कभी पश्चिमी जिले के लोगों ने इस तरह का ख्याल जाहिर नहीं किया । मैं पूर्वी जिलों का नाम ही लेना गलत समझता हूं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदा सिंह]

मैं अभावग्रस्त जिलों का नाम लेता हूं चाहे वे पहाड़ के हों चाहे पूर्व के हों, कहीं भी हों, किसी भी दिशा में हों उन सभी के लिए इस बात की गुंजाइश पश्चिम जिले वालों को करनी पड़ेगी कि वे किसी तरह से अपना पेट भर अन्न और पहनने के लिये वस्त्र पा सकें। हम पश्चिमी जिलों की समृद्धि के कायल हैं और हम चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से समृद्ध होकर देश की तरक्की करें। तो इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह कर कि इस पूर्व और पश्चिम की कंट्रोवर्सी को न उठाया जाय, मैं दो एक बातें सुझाव की शक्ल में सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

नमक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अगर यह कहूं तो माननीय मंत्री जी क्षमा करें मुझे कहने के लिये कि उनके नमक के बटवारे में अराजकता है। नमक का जो नियन्त्रित भाव है उस भाव पर नमक कहीं नहीं मिलता है। मैंने जहां भी देखा है बाजारों में जा करके कहीं भी नमक साढ़े चार पैसे, पाँच पैसे या छै पैसे सेर, जो भी भाव हो इसको माननीय मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे नहीं मिलता है। देवरिया जिले में मैंने जा करके देखा कि दो आने सेर से कम भाव पर नमक मिलना संभव नहीं है। कहीं-कहीं पर जहां पर कि सरकार कचेहरियां हैं वहां पर जब बहुत कोशिश इस बात की की गयी तो दो चार रोज तक ६ पैसे सेर या ५ पैसे सेर नमक मिल गया। तो नमक के सम्बन्ध में चाहे वह मुजफ्फर-नगर की बात हो चाहे देवरिया की बात हो झगड़ा इस बात का है कि नियंत्रित भाव पर नमक लोगों को मिलता है या नहीं। मैंने पिछली मर्तबा भी यही बात कही थी और उस पर माननीय बलदेव सिंह ने एक पत्र भी लिखा था लेकिन मैं उदाहरण क्या दूं यह तो आम बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के सम्बन्ध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति चीनी के सम्बन्ध में बहुत गलत है। जहां निर्धारित कीमत कम की जाती है चीनी उप-भोक्ताओं को सस्ते दामों पर चीनी दिलाने के लिये तो गन्ना तो सस्ते दामों पर मिल वालों को मिल जाता है लेकिन चीनी उसी हिसाब से सस्ते दामों पर लोगों के पास नहीं पहुंचती। इसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये, भले ही वह कंट्रोल न हो, लेकिन मिल वालों को राजी करना चाहिये कि वे जिस भाव पर गन्ने की क़ीमत कम कराते हैं उसी हिसाब से चीनी भी कम दामों पर दिया करें।

साथ ही इसके मैं मकानों की बाबत भी कुछ कहना चाहता हूं। मकानों की जितनी परेशानी है उस परेशानी का अन्दाजा हमको भी है। मकानों के बटवारे में भी मैं समझता हूं कि काफी गड़बड़ी है और इतने कर्मठ माननीय गुप्ता जी के इस विभाग के मंत्री होने के बाद भी इस विभाग में मकानों के बटवारे के मामले में इतनी गड़बड़ी है उसको दूर करना चाहिये। इतने थोड़े समय में मैं हवाला नहीं दे सकता हूं नहीं तो मैं हवाला दे कर बताता कि इसमें बहुत गड़बड़ी है और जो लोग मकान चाहते हैं उनको मकान नहीं मिलता है।

साथ ही साथ मैं कैटेगरी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि जो लोग फूड ऐंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट से निकाले गये हैं या जो लोग आज भी काम कर रहे हैं इसमें गड़बड़ी है और मुझे निजी तौर पर इस बात की जानकारी है कि चाहे इन्सपेक्टर हो, चाहे नीचे का कर्मचारी हो, जो अपने हाकिमों तक पहुंचने में ज्यादा सफल रहा और जिसने इस तरह की गुंजाइश की कि वह पहुंच सकता है उसको "ए" कैटेगरी में आने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास इस तरह के कुछ उदाहरण हैं कि बड़े ईमानदार लोगों को भी "ए" कैटेगरी में आने में बड़ी दिक्कत पड़ी और जब तक खास तौर से उनके लिये कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ तब तक वे "ए" कैटेगरी में नहीं पहुंच पाये।

गुड़ के सम्बन्ध में एक बात मुझे कहनी है कि इस समय अगर हमारी सरकार गुड़ की तिजारत को अपने हाथ में ले तो मैं समझता हूं कि वह बहुत कारगर तिजारत होगी। गुड़ की तिजारत हमारे प्रदेश में, जैसा कि पिछले दिन माननीय उद्योग मंत्री जी ने बताया कि आज भी हमारे प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका ५६ या ५४ फीसदी का गुड़ बनता है। यह हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि मद्रास, सौराष्ट्र वगैरह दूसरे प्रदेशों में भी जाता है। लेकिन उसके लिये दिक्कत यह पड़ती है कि जिस वक्त चीनी बनने का मौसम होता है उस वक्त गुड़ के लिये वैगन्स सप्लाई नहीं होते हैं। उसको रोक दिया जाता है जिससे गुड़ सस्ता हो जाय ताकि मिल वालों को ज्यादा से ज्यादा गन्ना मिल सके। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। यह एक बड़ा भारी व्यापार हमारे प्रदेश का है और अगर सरकार उसको अपने हाथ में ले कर, चाहे कोआपरेटिव बेसिस पर चाहे किसी और तरह चलाये तो इससे लाखों आदमियों का फायदा हो सकता है।

श्री चन्द्र सिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, जिस दृढ़ता और चतुरता के साथ माननीय मंत्री ने हमारे प्रांत की खाद्य परिस्थिति को संचालित किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम आर्थिक दलदल से गुजरते हुये चले आ रहे हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे इस प्रांत और देश के ऊपर आयी हैं और उनका मुकाबिला जिस बहादुरी से किया गया है वह प्रशंसनीय है। परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि हमारे काम में कोई कमियां नहीं हैं। कमियां और खामियां रही हैं, रहती हैं और आज भी हैं और उन छोटी मोटी खामियों को, जोकि दूर की जा सकती हैं की जाय ताकि हमारी जनता को अधिक राहत मिल सके, मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे। हमारे पहाड़ के जिलों में आमतौर से और गढ़वाल जिले में खासतौर से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि लोगों की खाद्य स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है। अब सरकार जो अनाज पहाड़ों पर भेज रही है इसमें शक नहीं है कि सरकार ने बहुत बड़ा इम्दाद की है जिसके लिये मैं जनता की ओर से मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देता हूं परन्तु यह बात सर्व मान्य और सर्वसिद्ध है "people may die in thousands in the midst of plenty" लेकिन अनाज के होते हुये भी हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वहां लोग भूख से मर सकते हैं। मेरे जिले की परिस्थिति ऐसी खराब है कि मैं क्या बतलाऊं क्योंकि हमारी सरकार समझती है कि यह तो प्रोपेगेंडिस्ट हैं और झूठ बोलते हैं लेकिन मैं चैलेंज देता हूं और ठंडे दिल से सोचना चाहिये कि यह कोई भावना की बात नहीं है। हम तो इंसानियत की बात जानते हैं और इंसाफ की बात जानते हैं और इसी पर हम खड़ा रहना चाहते हैं। झूंठ के पांव पर हम खड़ा होना नहीं चाहते हैं।

हमारे मंत्री महोदय तथा अन्य साथी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां के लोगों की खाने पीने की कैसी दयनीय दशा है। सरकारी इम्दाद जरूर है लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय की ओर सरकार को सुझाव दूंगा कि अगर सरकार इन गरीबों की और खासकर इन शिल्पकारों को जिनके पास न जमीन है, न सर्विस है, न कोई तिजारत ही है और वह लोग जो कई दिन तक फाके करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक बार भी पूरा भोजन नहीं मिलता है उनके बच्चे भूख से तरसते हैं और पीड़ित हैं। उनके लिये मैं यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके हमारे जिले के अन्दर टेस्ट वर्क खोलने की महान् कृपा करें इसके लिये हमारा जिला बड़ा कृतज्ञ होगा।

पौड़ी और लैंसडान सब डिवीजन में स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ४-६ फसलें खत्म हो चुकी हैं और लोगों के हाथ कतई नहीं आयी हैं। मैं एक दिन फूड कमिश्नर साहब से पौड़ी के बस स्टैन्ड पर मिला था और डी० एस० ओ० भी थे। मैं यह बतलाना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय भी ध्यान दें। मेरा किसी को कंडम करने का

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

कभी ध्येय नहीं रहता है और मैं इसको नीचता समझता हूं । लेकिन मैं और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां पर जो डी०एस०ओ० हैं उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं । यह जो ठेके देते हैं वह खास लोगों को ही देते हैं और अनाज कम कीमत पर सरकारी खजाने से आता है वह सस्ते भाव पर लोगों को मिलता है । यह हमारी ड्यूटी है कि सरकारी खजाने का रुपया अधिक खर्च न हो कम से कम रुपया खजाने से बाहर निकलना चाहिये । इस प्रकार के हाकिमान के ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है ताकि हमारे देश में अच्छी व्यवस्था हो सके । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि फूड कमिश्नर साहब ने बड़ी कृपा की जो वह मुझ से मिल लिये । दो तीन जगह जहां गवर्नमेंट गोडाउन्स की जरूरत थी । मैंने मंत्री महोदय को भी दरख्वास्त दी थी और उनसे भी कहा था लेकिन उनका कहना था कि दस मील के अन्दर हम नहीं खोल सकते हैं जब कि पहाड़ों के अन्दर ६ मील तक एक ड्यूटियाल ले जाता है वह एक थैले के ६ रुपये लेता है । आप समझ सकते हैं कि एक थैले के ६ रुपये देने पड़ते हैं जिसमें डेढ़ दो मन अनाज होता है । इस तरह से ३ रुपये फी मन मजदूरी देना पड़ती है ।

मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि सरकार को इधर ध्यान देने की सख्त जरूरत है । अगर सरकार समझती है कि वह जनता की सरकार है । हम तो समझते हैं कि यह हमारी सरकार है और जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिये ही हम लोग यहां बैठे हुये हैं । मंत्री महोदय भी जनता के ही चुने हुये नुमाइन्दे हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि आपने भरपूर कोशिश की है लेकिन फिर भी कमियां हैं और उनको दूर करने की जरूरत है और खास कर हमारे इलाके में पौड़ी और लैंसडाउन सब डिवीजन में ध्यान देने की जरूरत है । इडवालस्यू सितोन स्यू बनगढस्यू पूर्वी मनियारस्यू पश्चिमी मनियारस्यू और बनेल स्यू वगैरह में अकाल की कंडीशंस हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे । उनकी परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गयी है । इसलिये वहां पर जल्द से जल्द टेस्ट वर्क जारी करे । तो उन गरीबों की कुछ इम्दाद हो सकेगी वरना आपका जो अनाज भेजा जाता है उसको अच्छे लोग ही खा सकेंगे और शिल्पकार और दूसरे गरीब लोगों की कोई इम्दाद इस दिशा में नहीं हो पायेगी ।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान हमारे सामने पेश है उस विभाग की नीति के सम्बन्ध में प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल के कारण जो सफलता मिली है उसके लिए मैं माननीय मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं और इस नीति से जनता में बहुत संतोष है और सब लोग चैन और आनन्द का अनुभव कर रहे हैं ।

मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं । आम तौर से कंट्रोल का विभाग प्रायः लाइसेंस का ही एक तरह से विभाग है । लाइसेंस के सम्बन्ध में बहुत से लोगों को इस विभाग की ओर से बहुत से नाजायज लाइसेंस मिल गये हैं । आज ऐसा अवसर है कि विभाग के पास कम काम है । वह जांच कर सकता है कि जो लोग कभी भी किसी व्यवसाय को नहीं करते थे । उनको इम्पोर्टर और दूसरे किस्म के लाइसेंस मिल चुके हैं और वह उसका फायदा उठा रहे हैं । विभाग की ऐसी नीति रही है कि जो लोग अपराधों में पकड़े जाते हैं वह इस विभाग की सहायता से अपनी बीबियों के नाम लाइसेंस ले लेते हैं और इस प्रकार उनको कोई दंड नहीं मिलता और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वयं अपने भी नाम लाइसेंस लेते हैं और साथ ही अपने लड़के और बीबी के नाम भी लाइसेंस लिया करते हैं और इस प्रकार से लाइसेंस के नाम से बहुत से नाजायज फायदे उठाया करते हैं ।

अन्न के सम्बन्ध में तो इस विभाग में काफी सफलता मिली है और फैजाबाद जो डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी अन्न के सम्बन्ध में काफी संतोष है।

वस्त्र के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से ऐसा आर्डर जारी हुआ था कंट्रोल के जमाने में कि जो मिलमालिक थे उन्हें भी जिलों में अपनी शाखाएं खोलने का अवसर मिल गया और वे इम्पोर्टर, प्रोडयूसर और रिटेलर तीनों का प्राफिट उन जिलों से उठा रहे हैं यहव्यवस्था बन्द होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाथ का काम कोआपरेटिव सोसाइटीज भी कर रही हैं। वह पहले इम्पोर्टर और रिटेलर का भी काम करती थीं। लेकिन मिलों की कमेटियों को बन्द कर दिया गया। कपड़े के जो भाव गिरे थे उसके कारण सोसाइटियों को काफी घाटा उठाना पड़ा और उनकी कमर टूट गई। कोई व्यवस्थित रोजगार उनके पास नहीं है। तो अगर कहीं सम्भव हो तो जो सोसाइटियां इम्पोर्टर का काम करती हैं तो उनको इम्पोर्टर और रिलेटर की सुविधा दे दी जाय। इससे उनकी आर्थिक हालत काफी सुधारी जा सकती है।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

नमक एक आवश्यक सामग्री है। कुछ जिलों में नमक महंगा आता था दूसरे जिलों में सस्ता आता था। फैजाबाद जिले में नमक मंहगा आता था। सुल्तानपुर में सस्ता आता था। फैजाबाद में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया में बराबर कोशिश की गई कि सुल्तानपुर का नमक न आये लेकिन इस पर भी फैजाबाद का महंगा नमक १०–१० हजार बोरे पड़ा रहा और वहां बराबर सुल्तानपुर का नमक बिकता रहा। एक सोसाइटी के आनरेरी सेक्रेटी की हैसियत से कई वर्ष का मेरा अनुभव इम्पोर्टर के नाते है कि गवर्नमेंट की यह नीति कहीं सस्ता और कहीं महंगे नमक की नीति चल नहीं रही है और मेरा दावा है कि ९० फीसदी ठीक रिटेल के भाव से नमक कहीं नहीं बिक रहा है और रिटेलर के लोग मनमाने तरीके से और मनमाने भाव से नमक बेच रहे हैं। जब कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में वह चीज लागू नहीं हो सकती तो कहीं भी नहीं हो सकती। वहां महंगा नमक कोई नहीं उठाता और सुल्तानपुर से खरीद खरीद कर बराबर नमक वहां बेचा गया। कहा भी गया और लिखा पढ़ी भी हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ और फैजाबाद में भी अब सस्ता नमक आने लगा है। मैं समझता हूं कि हर जिले में सस्ता और महंगा दोनों प्रकार के नमक देने चाहिये। नमक के विषय में एक और विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब नमक कंट्रोल शुरू किया गया तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को मजबूत किया गया कि जिले भर का कोटा उठावे और जिले भर में सोसाइटी को अपनी तरफ से नमक के लिए गोदाम का इन्तजाम करना पड़ा, क्योंकि गोदाम बनाने के लिये उनको कोई मकान नहीं देता था इस लिए कि व्यापारी लोग प्रतिस्पर्द्धा करते थे। तो इस प्रकार सोसाइटी को गोदाम की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी और कोआपरेटिव फेडरेशन को ६ सेंटर बनवाने पड़े। इसके बाद आज यह व्यवस्था है कि जहां उनको ४२ वैगन फी महीने मिला करता था आज केवल २ वैगन नमक उनको मिल रहा है। आज कोआपरेटिव फेडरेशन की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और इस सम्बन्ध में सरकार से जिला मजिस्ट्रेट के जरिये, सप्लाई आफिसर के जरिये बार-बार प्रार्थना की गई कि हमारा नमक का कोटा बढ़ना चाहिये लेकिन वह कोआपरेटिव फेडरेशन को और सब दूकानदारों के बराबर ही ट्रीट करते हैं और आज केवल २ वैगन नमक उन्हें दिया जाता है। हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि इस विभाग ने कोआपरेटिव सोसाइटी को कभी सोसाइटी की दृष्टि से नहीं देखा और वह आज भी उसको महज एक दूकानदार समझते हैं और उसी के जैसा उसके साथ भी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप कोआपरेटिव सोसाइटीज को कुछ प्रिफरेंस दे देने की कृपा करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्व पूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज इस सदन के अन्दर जितने भी व्याख्यान हुये हैं उन्हें मैं यहां बैठे बैठे सुनता रहा। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। मैं आपकी इजाजत से अपने सोशलिस्ट भाइयों से यह कहना चाहता हूं:
"if you will join hands we will also join hands otherwise we will march on"

हमारी गवर्नमेंट जब कंट्रोल की पालिसी को खत्म करना चाहती है, गान्धी जी के बताये हुए सिद्धान्त पर चलना चाहती है, देश में कंट्रोल को समाप्त करना चाहती है तो मैं देख रहा हूं कि उधर से इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिस चीज को हम नहीं कहेंगे उसको आप 'यस' कहेंगे। मुझे माननीय त्रिपाठी जी की बातें सुनकर खेद हुआ और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी मीठे मीठे शब्दों में उसी का समर्थन किया। तो मैं तो घबड़ाता नहीं और न हमारी सरकार घबड़ाती है। हम तो जो उचित काम होंगे उनको करेंगे। इस कंट्रोल को हम समाप्त कर रहे हैं और यह जा रहा है। आज कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। चन्द चीजें हमारे मंत्री महोदय ने निहायत सफाई के साथ सदन के सामने रखीं कि हमको इन इन चीजों की जरूरत है इस लिए हमने इनका कंट्रोल रखा। मैं फिर बताना चाहता हूं, एक सज्जन पहाड़ के हैं हमारे लायक दोस्त खाती जी रहते हैं पहाड़ पर मांगते हैं जमीन। पहाड़ वाला जमीन क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। किसी साहब ने कहा कि साहब मुझको सीमेंट भी चाहिए और भुखमरी है गल्ला भी चाहिये। एक गांव की कहावत है कि हम तो गदहिया कुम्हार की, हमको धाम से क्या काम। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उन सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह चीज जिसकी वाकई आवश्यकता है उसके लिये सरकार को तंग किया जाय तो ठीक है। मैं तो सरकार का आभारी हूं कि सरकार ने लाखों मन गल्ला पूर्वी जिलों को दिया और भुखमरी के जमाने में हमारे पूर्वी जिलों को बचाया, उसको खाने को दिया और एक एक बच्चे की जान बचाई। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम इसको नहीं चाहते। लेकिन उन्हीं के लाये हुए छोटे छोटे वे बच्चे थे जिनको वह पकड़ लाये थे यहां सिर्फ सरकार को दिखलाने के लिए और स्पीकर साहब को दिखलाने के लिए, उस जमाने में देवरिया से उनको लाये थे। बीसों रुपया किराया खर्च हुआ होगा। उसी बीस रुपया से गल्ला खरीद कर बांट दिया होता तो यह नौबत न आयी होती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वाकई आज गल्ले की जरूरत है तो सरकार से लड़ा जाय और मैं भी कन्धे से कन्धा भिड़ाकर उसके लिये लड़ूंगा। लेकिन आप सीमेंट भी मांगते हैं और कहते हैं कि गल्ला भी दिया जाय और सीमेंट भी दी जाय। मैं कहता हूं कि सीमेंट पश्चिमी जिलों में दीजिए और उनसे कहिये कि रोटी हमें दीजिए। डंके की चोट पर उनसे रोटी लीजिए। यहां पर पिछले दिनों एक प्रश्न आया था, मैं आपकी इजाजत से उसका जिक्र कर देना चाहता हूं कि पश्चिमी जिले वालों ने डिमांड किया कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि हमको छोड़कर आप जायेंगे तो आप पछतायेंगे। यह घर अपना है। पुराना घर सबको अच्छा लगता है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं यह इस्टर्न और वेस्टर्न का क्वेशचन है जो उठाया जाता है यह बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। कुछ लोगों ने ऐसी बात जैसे वह बीच में लटके हुए हों। बहुत बड़े माननीय सदस्य ने कहा। मैं उनसे निवेदन करना चहता हूं कि इस प्रान्त के मुख्य मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त एक मंत्री हैं सारे प्रान्त की देखभाल वह करते हैं। न उनकी समझ में पूर्वी जिले हैं और न पश्चिमी। राजा अवधेश प्रताप सिंह चले गये। श्रीचन्द जी ने कहा था जो आदमी बीस साल तक मकान में रह ले उसको किराया नहीं पड़ना चाहिये। हमने जमींदारी अबालीशन किया उसका हमने मुआविजा दिया। उन्होंने श्रीचन्द जी का नाम नहीं लिया कहा एक मेम्बर थे। हर सदस्य को इस सदन में अधिकार है कि वह अपना विचार प्रगट कर सके। श्रीचन्द जी ने एक सुझाव दिया उस पर अवधेश प्रताप जी बरस पड़े जामे से बाहर हो गये। मैं पुनः आपके द्वारा इस सदन से कहना चाहता हूं कि जो भी कोई माननीय सदस्य कहे उसको ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक सुनना चाहिए।

कुछ चीजों पर अब भी कंट्रोल रखा गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नमक को फ्री कर दिया जाय क्योंकि अभी आपने कहा कि कभी यह नमक दिया जाय कभी वह। नमक को इस लिए फ्री कर दिया जाय कि जो चाहे बेचे और जो चाहे जिस नमक को वह ले।

जिन लोगों ने इस विभाग में काम किया उन कर्मचारियों को कहीं न कहीं अवश्य लगाया जाय। सरकार ने ए० बी० सी० तीन कैटेगोरीज रखी हैं। ए लिस्ट में सबसे अच्छे कर्मचारी आते हैं। बी लिस्ट में नीचे और सी लिस्ट में सबसे नीचे रखे गये हैं। लेकिन मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन कर्मचारियों को जरूर मौका दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उनके उत्साह पूर्वक कार्य करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है जहां यह खाने की समस्या हमेशा के लिए रहेगी। यह कभी कम नहीं हो सकती है। अगर सरकार कहीं यह सोचे कि इस समस्या को एक दो साल चलायें और बाद में बन्द करदें तो यह बात नहीं है। न वहां जमीन है और न खेती हो सकती है जिस से हम अपने यहां के लोगों को खिला सकें। यह आवश्यक है कि हम लोग वहां से फल यहां भेज सकते हैं और माननीय मंत्री जी यहां के रहने वालों को खिला सकते हैं। इस लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो हमारे ईशू गोडाउंस हैं, वहां पर नाज खच्चरों वगैरह के जरिये जाया करता था। उसका कुछ खर्चा भी सरकार दिया करती थी। लेकिन इस साल माननीय मंत्री जी ने उसे बन्द कर दिया है। हमें यह नहीं मालूम कि यह क्यों किया गया है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट में लिखा है कि वह ईशू गोडाउंस देहातों में खोलेंगे, मुझे आशा है कि ऊपरी इलाकों में कि जहां पर एक एक मन सामान ले जाने पर १५ रुपये तक पड़ जाते हैं और माल बहुत मंहगा मिलता है, जैसे अगर बद्रीनाथ के लिए कोट द्वार से चलें तो १५ रुपया फी मन किराया पड़ता है। वहां जो यहां से ३ सेर की चीज चलती है, वह एक सेर बिकती है। इसलिए वहां पर बड़ी दिक्कत है क्योंकि ट्रांस्पोर्ट नहीं है। घोड़ों और बकरियों पर लोग अपना सामान लादकर गुजर बसर करते हैं इस लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि देहातों में काफी ईशू गोडाउंस खोल दिये जायं और सस्ती कीमत पर अन्न जनता को दिया जाय।

हमारे यहां डेवलपमेंट का काफी काम शुरू हो रहा है। लेकिन लोहे सीमेंट का भाव बहुत महंगा है। मेरा सुझाव यह है कि सीमेंट और लोहे को भी उन ईशु गोडाउंस पर पहुंचाया जाय और सस्ते दामों पर लोगों को दिया जाय। तभी हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं तो जो सीमेंट की बोरी यहां ५ रुपये कुछ आने की मिलती है वह जब हमारे यहां पहुंचती है तो वह १३,१४ रुपये की हो जाती है। उससे हमारा विकास नहीं हो सकता। नहरें तैयार नहीं हो सकतीं अगर सीमेंट सस्ती कीमत पर नहीं जा सका तो।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नमक बड़ा महंगा पड़ता है। अभी हाल ही में पौड़ी से चिट्ठियां आई थीं कि वहां एक आने का नमक फी हफ्ते मिलता रहा है। जब नमक की स्केयर सिटी है तो उससे माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करेंगे। बहुत से लोग तिब्बत से नमक लाया करते थे लेकिन अब उनको नमक लाने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। अगर इधर से नमक नहीं आता है तो तिब्बत से जो नमक आता था उसके आने का प्रबन्ध किया जाय ताकि तिब्बत के बार्डर पर जो लोग रहते हैं उनको काफी सहूलियत हो सके।

माननीय मंत्री जी ने इस बात की भी बड़ी कोशिश की है कि जो विभाग के कर्मचारी खाली हो रहे हैं उनको कहीं न कहीं सरकारी नौकरी मिल सके। बहुत से हमारे राशन में एकाउट्न्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो ग्रेजुएट्स हैं, बी० काम हैं बेकार हो जायेंगे। जो हमारे प्लानिंग के

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

ब्लाक्स खुल रहे हैं उनको उसमें लगाने का प्रयत्न किया जाय ऐसा न हो कि उनको बेकार कर दिया जाय। उनको कहीं न कहीं लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। जो गलत आदमी हों जिनकी शिकायत हो न एकत्र जांय।

एक सदस्य ने कुछ डालडा की बात कही। वे इस वक्त हैं नहीं। इसके लिये माननीय मंत्री जी क्या करेंगे। जब तक कोई दूसरा चारा न हो, कोई दूसरा साधन न हो, डेपोज नहीं खुल रहे हैं, जब तक तेल अच्छा नहीं मिलता तब तक डालडा ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या फूड की है। हमारे यहां के लोगों के पास पैसा नहीं है अन्न खरीदने के लिये। किसी से बात करते हैं पहाड़ों की तो कहा जाता है कि वहां के मुख्य मन्त्री गोविन्द वल्लभ पन्त हैं, इसलिये तुम हवा खावो। लोग ज्यादातर रानीखेत और नैनीताल गये हैं। जहां अंग्रेजों ने करोड़ों रुपया खर्च कर बसा दिया है। अगर देहात में जाइये और वहां की हालत देखिये तो पता चलेगा कि वहां की आज क्या स्थिति है। उस पर माननीय सदस्यों ने कभी ख्याल नहीं किया। हम आपको आधे दामों पर फल खिला सकते हैं। हमारे यहां से रेलवे फ्रेट में आधे दामों पर फल भेजे जाते हैं। जब इतनी सहूलियत उधर से दी जाती है तो इधर से जब कोई चीज मांगे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिये। इस लिये माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस ओर ध्यान देंगे। माननीय खाद्य मंत्री यह न समझें कि हम लोग केवल विरोध के लिये ही कोई बात कहते हैं। अस्पतालों वगैरह का जो इन्तजाम माननीय मंत्री ने किया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से वह आज तक काम करते आये हैं वैसे ही भविष्य में भी करते रहेंगे। खाने पीने के मामले में राजनीति का प्रश्न नहीं होता और आशा है कि आगे भी ऐसा ही होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग एक हफ्ते तक उठक बैठक करने के बाद आपने यह जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मानना ही पड़ेगा कि लड़ाई के बाद खाद्य की जो परिस्थिति है उसको हमारे माननीय मंत्री जी ने कितने अच्छे ढंग से हैंडिल किया और आज हमारे सूबे में खाद्य की जो स्थिति है वह बड़ी अच्छी है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां और अनुदानों में गांवों की अवहेलना की जाती है वहां इस सम्बन्ध में भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि जो सीमेंट, कोलडस्ट और और चीजों का वितरण होता है उसमें सम्भवतः देहातों को एक परसेंट भी नहीं दिया जाता। हमारे यहां हमारा यह प्रान्त वस्तुतः देहातों में ही बसा हुआ है और देहातों के लिये नव निर्माण से हमारे प्रान्त की वास्तव में उन्नति हो सकती है। लेकिन मुझे दुख है कि देहात के लिये कोई सीमेंट या और इसी तरह की वस्तुयें जिससे भवन का अच्छी तरह निर्माण किया जाय वे नहीं दी जाती हैं और फिर मैं यह कहूं कि जो कुछ दिया जाता है उनमें हरिजनों का नम्बर शायद लाखों के बाद ही एक का आता हो तो यह कहना भी ठीक ही है। अध्यक्ष महोदय, कंट्रोल तो माननीय मंत्री जी ने तोड़ दिया और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इस कंट्रोल को तोड़ने के बाद बेकारी की एक विशेष समस्या खड़ी हो गयी है। उन्होंने उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया है और इस वजह से कैटेगरी में रखने में भी अन्याय हुआ है। उसके लिये कई माननीय सदस्यों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे कई केसेज मालूम हुये हैं जिनको ए कैटेगरी में रखना चाहिये लेकिन उनको "सी" में रखा गया है। किसी उच्चाधिकारी ने अपने किसी क्लर्क की मारफत घूस ली है तो जब इस बात को ऊपर तक पहुंचाया या ऊपर तक यह बात गयी तो उससे नाराज होकर उनको उन्होंने सी कैटेगरी में रख दिया और फिर उसको उस विभाग से अलग कर दिया। मैं एक उदाहरण इसका देना चाहता हूं। एक जुगुलकिशोर हमीरपुर जिले के

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं आनी चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस सप्लाई डिपार्टमेंट के टूटने से बेकारी की समस्या खड़ी हो गयी है। उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि उनकी तादाद बहुत बड़ी है और अब वे मारे मारे फिरते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, आज कंट्रोल का अनुदान हमारे सामने पेश है सिद्धान्ततः कंट्रोल रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये यह तो विचारों की बात है परन्तु अब तो जनता ने उसकी पैदावार बढ़ा कर उसको पूरी तरह से तोड़कर कंट्रोल के चिराग को खत्म करने की ठान ली है। मैं यह समझता हूं कि कंट्रोल के सारे महकमों का यह आखिरी समय है और कुछ दिनों तक ही यह और चल पायेगा इससे आगे नहीं चल सकता है। मैं यह भी अर्ज करता हूं कि जो ४३ लाख रुपया हमारे इस अनुदान के अन्दर है जिसको हमसे आज पास करा रहे हैं यदि हम इस डिपार्टमेंट को बिलकुल ही तोड़ देते और किसी डिप्टी मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द हम यह काम कर देते तो यह रुपया बच सकता था और वह रुपया दूसरे कामों में आ जाता जहां पर कि रुपये की ज्यादा जरूरत है। परन्तु चूंकि यह रुपया हमने अनुदान में दे दिया है और यह किसी न किसी तरह से खर्च होना चाहिये तो फिर मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि उनका कदम किफायत की तरफ जा रहा है सोच समझ कर इस विभाग की तरफ वह इस तरीके से खर्च करेंगे कि कोई फालतू खर्च न हो ताकि जो कंट्रोल है भी वह फिर न चले।

मैं यह जानता हूं कि खाद्य की समस्या हमारे यहां पर भी रही मगर उसमें कुछ असन्तोष रहा। कंट्रोल के जमाने के पिछले पन्नों को आप उठाकर देखें तो यह मालूम होगा कि कुछ सन्तोष नहीं रहा। माननीय मंत्री जी ने आज से कई साल पहले एक घोषणा की थी वैजीटेबिल घी के बारे में जो खाने की चीजों के अन्दर आता है और उसके लिये १० हजार रुपया इनाम देने की भी घोषणा की थी कि जो कोई हिन्दुस्तान में या बाहर इस घी में मिलाने के लिये ऐसा रंग निकालेगा कि वह अलहदा किया न जा सके उसे यह रुपया दिया जायगा। कई साल हो गये लेकिन आज तक ऐसा रंग नहीं मालूम हो सका है। मैं तो समझता हूं कि यह एक तरीके से विभागीय अकर्मण्यता है। इसमें कहीं भी यह बातें नहीं पाई गईं कि ऐसा रंग मिलाने को कोई ढूंढ़ने की कोशिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने यहां इस सदन में पूर्वी और पश्चिमी जिलों की चर्चा लगातार कई माननीय सदस्यों से सुनी। मैं देख रहा हूं कि हर अनुदान के सिलसिले में ऐसे सवाल उठाये जायें और जब माननीय गेंदा सिंह जैसे व्यक्ति ऐसा कहने लगते हैं तो मुझे ताज्जुब और भी अधिक होता है। मैं समझता हूं कि हम सब पूरे सूबे के प्रतिनिधि हैं। मैं और भी अचम्भे में आ जाता हूं जब यह सवाल उठाया जाता है कि पूर्वी जिलों में भुखमरी है और इसके साथ ही साथ मांग की जाती है लोहे, सीमेंट और कोयले की।

श्री गेंदासिंह—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेशन देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शायद हमें सुनने में माननीय शर्मा जी ज्यादती कर गये। मैंने यह कहा था कि पूर्वी पश्चिमी सवाल उठाना गलत है। पूर्वी अभावग्रस्त है इसलिये यह बात उठाई।

श्री दीनदयालु शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यहां कई माननीय सदस्यों को और कई मर्तबा सुना पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात कहते हुये। हम यहां सबके सब सारे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ८१ करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं और उसे खर्च करने के लिये सारे के सारे बराबर सोचते हैं। सोचते हैं कि कहां और कितना रुपया खर्च करना है। सही माने में सोचने वाले और करने वाले तो और ही हैं मगर जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर भी आ ही जाती है।

[श्री दीन दयाल शर्मा]

जिधर ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत समझी जाती है वहां ठीक समझ कर ही ऐसा किया जाता है। कहां है पूर्वी जिले और कहां हैं पश्चिमी जिले, यह सवाल नहीं उठाना चाहिये। हां, अपनी कांस्टीट्यूएंसी के सवाल यहां लोग रख दें और मंत्रीगण उसकी ओर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें।

मैं समझता हूं कि उन लोगों को जरूर काम देना चाहिये जो इस विभाग से अलहदा होने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ लोग कल तक कोसते हैं और उनके लिये यहां रोते चिल्लाते थे आज वह उनको कैसे दयानतदार लगने लगे और उनके वास्ते आज वह कैसे कहते हैं कि उनको किसी और डिपार्टमेंट में लगाया जाय? हमारा एक तरीका होना चाहिये न कि केवल विरोध करने या किसी की हमदर्दी लूटने के लिये ही हम कुछ कहें, जो वाकया हो वही हमको सरकार के सामने रखना चाहिये तभी काम चल सकता है।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग की मांगों को प्रस्तुत करते हुये माननीय खाद्य मंत्री जी ने प्रदेश की खाद्य स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाल दिया है। यदि माननीय सदस्यगण उनके भाषण को भली प्रकार से मनन करें तो जो कुछ उन्होंने सुझाव दिये हैं और जो कुछ आपत्तियां की हैं वे उस भाषण की हैं वे उस भाषण से साफ-साफ जाहिर हो जावेंगी।

यहां पर यह कहा गया कि पूर्वीय और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न की कमी है। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पर प्रकाश डाल दिया है और इस चीज को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है जैसे ही सरकार को ज्ञात हुआ कि पूर्वीय जिलों में अन्न की कमी है तुरन्त ही कार्यवाही की गयी। मैं कुछ आंकड़े देकर यह बताना चाहता हूं कि पूर्वी और पर्वतीय जिलों को कितना गल्ला भेजा गया। और सरकार ने उस पर कितना व्यय किया। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में ए० पी० स्कीम काम कर रही है जिसके मातहत ७,३७,२४१ मन गल्ला भेजा गया है। ५३-५४ में जितना अन्न पूर्वी जिलों को भेजा गया उस अन्न को भेजने में सरकार ने जो सब्सीडी दी है वह २,९५,४८ रुपया होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा सदैव ही पूर्वी जिलों की मदद करने में रही है। यहां पर ऐसी बातें भी कही गयी हैं कि वहां पर नमक की कमी है सीमेंट और लोहे की कमी है। इसी कमी के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको और सदन के सब माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष महाकुम्भ का मेला हुआ। उस मेले के कारण यातायात की अनेक कठिनाइयां हो गईं। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें हो गयीं और खाद्य विभाग जितनी शीघ्रता से प्रत्येक चीज जनता तक पहुंचाना चाहता था उतनी तेजी से वह न पहुंचा सका। अब कुम्भ का मेला समाप्त हो गया है इसलिये प्रत्येक जिलों को सीमेंट, लोहा और कोयले का सामान आसानी से पहुंच रहा है और माननीय सदस्यों ने जो कठिनाई अपने भाषणों में बताई है वह भी निकट भविष्य में दूर हो जायगी।

यहां पर्वतीय जनता का प्रश्न भी उठाया गया। पर्वतीय इलाकों में अन्न का हमेशा से ही डेफिसिट रहा है। इसको सरकार भी मानती है। इस ५३-५४ में १५ फरवरी तक पर्वतीय इलाकों को जो सामान भेजा गया है उसमें ४३०१०३ मन गल्ला भेजा गया और उस पर ९३९६८७ रुपया व्यय हुआ। पर्वतीय जिलों में जो गल्ला भेजा जाता है उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी सरकार को देने पड़ते हैं। गढ़वाल और अल्मोड़ा के पिछड़े हुए क्षेत्रों में अन्न की कमी रही है और उसको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा अन्न भेजती रही है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि गेहूं जो यहां पर १८ या २० रुपया मन बिकता है उसको सरकार ने वहां के रहने वालों को १४ रुपया मन के हिसाब से दिया है। आप यह समझ सकते हैं कि बद्रीनाथ और पौड़ी गढ़वाल के इलाके में यदि इतना सस्ता गल्ला मिल जाय तो उनको यह कितनी बड़ी सेवा है।

इससे कितनी राहत वहां की जनता को मिली है, जिस पर सरकार लाखों रुपया खर्च करती है। यह कहा गया है कि वहां पर नमक की कमी है। नमक की कमी के सम्बन्ध में या दूसरी चीजों की कमी के सम्बन्ध में जैसा कि आपने बयान किया इस बीच में कठिनाई जरूर रही है लेकिन हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं कि पौड़ी गढ़वाल तथा पिठौरागढ़ के इलाके में नमक की कमी नहीं रही। यह तब की बात है जब कि कुम्भ का मेला चल रहा था। उस वक्त कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगा था, जिस से नमक की कठिनाई एकदम न हो जाय और इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी थी, जिस से ठीक तरह से लोगों को नमक मिलता रहे। तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक प्रतिबन्ध लगाने की वजह से नमक की कमी रही हो, लेकिन कुम्भ समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ प्रतिबन्ध नहीं है और आसानी से लोगों को नमक मिल रहा है, किसी प्रकार की कठिनाई वहां पर नहीं है। पिथौरागढ़ चूंकि नैपाल के बार्डर पर पड़ता है, लोगों की शिकायत हो सकती है कि नैपाल में नमक की स्मगलिंग होती है। पिछले दिनों इस विभाग के पास नैपाल के कुछ लोगों ने एक आवेदन पत्र दिया था, जो कि बोर्डर पर रहते हैं कि उनको भी यहां से नमक मिले, लेकिन नैपाल एक दूसरा देश है, इस लिए हमारे प्रदेश की सरकार उनको नमक नहीं दे सकती है। पिथौरागढ़ के इलाके में कभी कभी नमक की कमी हो जाया करती है।

यहां पर एक सवाल यह भी उठाया गया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को सहायता नहीं दी जाती। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे प्रान्त के शहरों में डिकन्ट्रोल हो जाने से सहकारी समितियों को गल्ला नहीं मिलता। वैसे अगर वे सरकारी गोदामों से खरीदना चाहें, तो किसी प्रकार की उनको रुकावट नहीं है। केवल जो रेट्स हैं, उन पर वह बिकेगा, क्योंकि सरकार अपने गोदामों से गल्ला तो बेचना ही चाहती है, तो इस प्रकार की सुविधा तो उनको मिलेगी लेकिन जिस प्रकार राशनिंग के समय में उनको सुविधा मिलती थी, अब उस प्रकार की सुविधा उनको प्राप्त नहीं है। इसी तरह से पूर्वीय क्षेत्रों मे ए० पी० शाप्स काम कर रही हैं और हिल एरियाज में जहां हमारे इश्यू गोदाम खुले हुए हैं, अगर वहां पर कोई सहकारी समिति सस्ते गल्ले के काम को अपने हाथ में लेना चाहे तो इसमें कोई रुकावट नहीं है और बहुत सी सहकारी समितियां बराबर इस काम को कर रही हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोई ऐसा स्थायी कार्य होना चाहिए जिस से उनकी स्थिति सुधर जाय। सचमुच यह चीज विचारणीय है। यद्यपि इसका इस अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता कि यह विभाग इस पर विचार करे। सरकार को विचार करना चाहिए, यह तो सही बात है। यह कहा गया है कि तराई के इलाके में जो लोग बसाये गये हैं, वहां पर्वतीय लोगों को ही बसाये जाना चाहिए था, दूसरे लोगों को नहीं बसाया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना तो गलत है। यह ठीक है कि चाहे मैदानी हों, चाहे पहाड़ के उनको जरूर स्थान मिलना चाहिए लेकिन इस प्रकार भेदभाव का सवाल ठीक नहीं है। फिर भी जो बात है उस पर विचार किया जा सकता है।

जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि यह कैपिटलिस्ट इकनामी है। हम तो इस तरह की इकानामी चाहते हैं जिस से लोगों को खाना, कपड़ा मिले, लोगों की रहने की व्यवस्था हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो और जिसका उल्लेख माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में किया है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारी सरकार की जो इकनामी पालिसी है उससे हमारे प्रदेश की सफलता होती जा रही है और हमें बहुत कुछ कामयाबी मिलती जा रही है। हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके हमारे प्रदेश में जिन चीजों का अभाव है वे काफी मात्रा में उपलब्ध होने लगें ताकि फिर कंट्रोल की कोई आवश्यकता न हो। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया था कि जैसे जैसे चीजें अधिक मात्रा में पैदा होने लगेंगी, वैसे-वैसे हमारे प्रदेश से कन्ट्रोल हटता जायगा। जिन चीजों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा है उन पर विचार किया जायगा। हम तो चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों की जैसी स्थिति है उसमें

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

जल्द से जल्द सुधार किया जाय और उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाय। यह सहायता तो उनको मिलती ही रहेगी, उस समय तक जब तक कि अभाव विद्यमान है।

*श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जिन प्रश्नों को मैंने उठाया था उनका किसी भी सरकारी दल के माननीय सदस्य की ओर से उत्तर आया नहीं। सिवाय प्लाण्ड एकोनामी की थोड़ी बहुत बातचीत आयी। इसके बारे में मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया था कि जो कांग्रेस की प्लाण्ड एकोनामी है वह असल में कैपिटलिस्ट एकोनामी है। प्लाण्ड एकोनामी वह होती है जो किसी भी देश या प्रदेश के लिये समुचित योजना बनाने के लिये कि वहां कितने लोग बेकार हैं, कितने लोगों का खेती से गुजर हो सकता है, कितने लोगों को घरेलू उद्योग धंधों में लगाया जा सकता है, मिलों का राष्ट्रीयकरण कैसे होना चाहिये इन तमाम समस्याओं का सामूहिक रूप से प्रोडक्शन, एक्सचेंज, और डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पर समाज का अधिकार हो वह सही माने में सोशलिस्ट एकोनामी है। समाज की एकोनामी बिल्कुल कैपिटलिस्ट एकोनामी है उसको धोका देने के लिये मिक्स्ड एकोनामी कही जाती है। यह दोनों एक ही शब्द हैं। अनुदान संख्या ४० में २ करोड़ ३९ लाख रुपया मांगा गया है उससे तो यह मालूम होता है कि अनुदान ४९ में असल में दो करोड़ ३९ लाख रुपया मांगा गया है। यह चतुरता क्यों बरती गयी है इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। व्यापार में गुड़ वगैरा की बिक्री से आय का प्रश्न तो मैंने उठाया था उस पर माननीय मंत्री जी अवश्य ही कुछ रोशनी डालने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सदस्यों का बड़ा ही अनुगृहीत हूं उनके इस भाव के लिये जो उन्होंने इस अनुदान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए बरता। पूर्व इसके कि मैं श्री रामनारायण जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर दूं मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि श्री श्रीचन्द जी ने जो बात मकानों के सिलसिले में कही उसके सम्बन्ध में अपनी और सरकार की नीति स्पष्ट कर दूं। मैं श्रीचन्द जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जब वह यह कहते हैं कि मकानों का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय और उन व्यक्तियों को रहने के लिये दे दिया जाय जो उसमें रहते हैं तो चाहे हमारे बीच में पूरी समाजवादी व्यवस्था भी हो जाय तो भी मकान उन व्यक्तियों के रहने के लिये दिया जायेगा जो व्यक्ति उन्हें बनायेंगे, अपने जीवन पर्यन्त रहने के लिये तैयार करायेंगे। लेकिन अगर आज वह इस विचारधारा को इस देश के अन्दर फैलाना चाहते हैं कि बहुत से व्यक्ति जो कि बहुत वर्षों से उन मकानों में रहते आ रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। आखिर हमारे प्रदेश में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरियों में और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो गैरसरकारी जगहों में भी नौकरियां करते हैं वे मकान बनाते हैं अपनी आसाइश के लिये, अपने बच्चों की आसाइश के लिये, अब अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज दिये जाते हैं और उनकी गैरहाजिरी में वह मकान और किसी व्यक्ति को रहने के लिये दे दिया जाता है और वह व्यक्ति उस मकान में रहने लगता है तो जब वह सरकारी कर्मचारी या व्यक्ति छुट्टी पर आये या रिटायर होता है और वापस आता है तो क्या मैं यह समझूं कि श्रीचन्द जी के विचार के अनुसार वह अपने मकान में रहने से वंचित कर दिया जाय। यह कहां का न्याय है, यह कैसी समाजवादी व्यवस्था होगी। मैं इस प्रकार के विचार भी इस सदन के द्वारा बाहर भेजने के विरुद्ध हूं, इसलिये कि इस प्रकार के विचारों से लोगों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने बताया था कि हमारे प्रदेश में मकानों की कमी है और मकानों का निर्माण हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। तो वह सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति है जिनके पास कुछ धन है यदि वह मकान बनाना चाहता है तो वह इस ख्याल से कि उसका मकान दूसरा व्यक्ति आकर ले लेगा और वह आकर उसमें रहने लगेगा तो उसको मकान को बनाने के लिये क्या प्रोत्साहन होगा। तो मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि मकानों का जहां तक सम्बन्ध है और आज जब हम मकानों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हममें से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिये कि मामूली आदमी का मकान यदि वह किराये पर दे दिया गया है और कोई व्यक्ति आकर किरायेदार बन गया है तो उसको जिसने मकान बनाया है मकान में रहने का जो हक है उससे वह वंचित कर दिया जायगा।

मैं अब, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कई प्रश्न अपने भाषण में सदन के सामने उपस्थित किये थे उनका उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने उस दो करोड़ की रकम के बारे में पूछा था, उसके बारे में मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वह दो करोड़ की रकम जिस स्थान पर रक्खी गई है वह तो उस घाटे को पूरा करने के लिये या उस सब्सीडी को पूरा करने के लिये रक्खी गई है जो कि विभाग की ओर ऐसे स्थानों पर जहां गल्ले का वितरण हुआ था उसकी कमी को पूरा करनेके लिये, कैपिटल एकाउन्ट्स के स्थान पर रख दी गई है। हमारे इस विभाग में सब्सीडी देने के कारण काफी घाटा होता रहा है और अभी हम उस घाटे का हिसाब केन्द्र से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सा गल्ला केन्द्र से आता रहा है तो उस घाटे को पूरा करने के लिये वह २ करोड़ की रकम वहां दिखाई गई है। उन्होंने गोडाउन्स के चेक करने के बारे में बात कही। आज कल हमारे यहां गोडाउन्स का बाकायदा मोवाइना हो रहा है और जहां कहीं भी चेक करने पर हमें कोई दोषी मिलते हैं उन व्यक्तियों पर मुकदमें भी चलाये जा रहे हैं और उनके ऊपर और भी कानूनी कार्यवाहियां की जा रही हैं। उन्होंने कोआपरेटिव सोसायटीज की बाबत जिसका उत्तर हमारे भाई बलदेव सिंह जी ने दिया है। असल में जो कोआपरेटिव सोसायटीज विभिन्न नगरों में काम कर रही थीं उनको वह एरियाज सुपुर्द कर दिये गये थे जो पहले हमारे विभाग के अन्तर्गत चलाये जाते थे। तो जब सब एरियाज उनको ट्रान्सफर हुये थे उस वक्त उन सब एरियाज के चलाने के सम्बन्ध में कुछ रुपया दिया जाता था लेकिन अब जब नियंत्रण की व्यवस्था हमारे प्रदेश से हट रही है और विभिन्न क्षेत्रों से जो कंट्रोल था वह हट गया है तो गल्ले का वितरण भी दुकानों के द्वारा नहीं होता है। इसी-लिये उन सब एरियाज को रखने की व्यवस्था हमारे बीच में नहीं है और जब उसकी व्यवस्था नहीं है तो जो रुपया उन कोआपरेटिव सोसायटीज को उन एरियाज को चलाने के लिये दिया जाता था वह लाजमी तौर पर नहीं दिया जायगा। इसलिये वह रक़म जो कोआपरेटिव सोसायटीज को प्रत्येक वर्ष दी जाती थी, चूंकि वह सब एरियाज बन्द कर दिये गये हैं, रोक दी गई है। वैसे तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को बहुत सी रकमें कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो अनुदान है उसमें दी जा रही हैं और आइन्दा भी दी जायंगी। यही दो तीन प्रश्न उन्होंने इस सदन के सामने उपस्थित किये थे।

कई और सदस्यों ने कुछ ऐसे प्रश्न इस सदन में उपस्थित किये जिनसे सम्भवतः मैं सहमत हूं। श्री गेंदा सिंह जी ने शक्कर और शुगर केन के रेट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं कि शुगर और शुगर केन के रेट्स इस तरह से होने चाहिए जिससे मिलों के मालिक ही स्वयं फायदा न कर लें। यह एक ऐसा मसला है जो केन्द्र से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। यद्यपि शुगर और शुगर केन की इंडस्ट्री हमारे प्रदेश की इंडस्ट्री है। इसी चीज का निर्णय करने के लिए और इसी बात के ऊपर फैसला करने के लिए ट्रिपार्टाइट

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कानफरेंस होने वाली है। उसमें ये प्रश्न उठाये जायेंगे। अवश्य यह ऐसा मसला है और यह बात निस्सन्देह प्रतीत होती है कि शुगर केन के दाम निर्धारित कर दिये जायें और शुगर बिना निर्धारित कीमत पर बिके और मिलों के मालिक उसे अधिक दाम पर बेचें तो यह अन्यायसंगत बात मालूम होती है। इसलिये अवस्था देखते हुए या तो वे नियंत्रित कीमत पर शक्कर बेचें या अगर न बेचें तो आपस में फैसला करें। मगर जहां तक इस समय तय करने का विषय है, यह कठिन बात है। इस प्रश्न पर इस समय मैं कत्तई तौर से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह प्रश्न विचाराधीन है परन्तु अवश्य इस बात की चेष्टा सरकार की ओर से की जायगी कि आम तौर से मिल मालिक और किसान मिल कर ऐसा फैसला करें जिससे शुगरकेन की कीमत निर्धारित की जाय उसके अनुपात में जितनी शुगर की कीमत आये, उस पर शुगर बेची जाय। गेंदा सिंह जी ने यह भी कहा कि गुड़ का रोजगार सरकार स्वयं ले ले। आज से तीन चार पांच वर्ष पहले गुड़ का वितरण सरकार के नियन्त्रण में होता था और जब उसके नियंत्रण में होता था तब तमाम देश में शोर था, प्रदेश में शोर था कि इसका कंट्रोल हटे, इसका नियंत्रण हटे। तो हमें भी स्वयं नियंत्रण के विषय में कुछ निर्णय करना है क्योंकि जब नियंत्रण होते हैं तब आवाज उठती है कि नियंत्रण खराब है, इनको हमारे बीच में यह आवाज उठाई जाय कि उसी गुड़ के ऊपर नियंत्रण किया जाय। तो हम जो नियंत्रण के दोष हैं उनसे तो लड़ने की चेष्टा नहीं करते बल्कि हम नियंत्रण के बारे में यह राय बना लेते हैं कि नियंत्रण बहुत खराब है, उनको हटना चाहिये। मैं तो स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि जब तक हमारे देश के अन्दर चीजें कम हैं, जब तक हमें अपनी योजनाओं को प्लांड ढंग से चलाना है, तब तक कुछ चीजों के ऊपर जो कि कम पैदा होती है और कम मात्रा में उपलब्ध होती है अवश्य हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। परन्तु हमें नियंत्रण की जो नीति है, नियंत्रण का जो आदर्श है उसके पीछे जनता को चलाना होगा। यह नहीं हो सकता है कि मिनट भर में यदि एक चीज की कमी हो गयी और एक दिक्कत उसकी वजह से पैदा हो गयी, तब हम नियंत्रण की बात पैदा करें और जब थोड़ी मात्रा में वह चीज हो जाय तब उस नियंत्रण की बात भूल जायं। तो यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमें गम्भीरता से विचार करना है।

श्री गेंदा सिंह---श्रीमान्, मैं यह जानकारी करा दूं कि गुड़ के व्यापार में सरकार को सहायता करने के लिये मैंने नहीं कहा। नियंत्रण की बात मैंने नहीं कही।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे दुख है कि मैं तो यह समझा कि आप यह चाहते हैं कि गुड़ को दूसरे प्रदेशों में भिजवाने के लिये सरकार स्वयं प्रबन्ध करे। ऐसा मेरे ऊपर आप की बात का प्रभाव पड़ा। खैर, जहां तक सहायता देने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग गुड़ के व्यापार को चलाने के लिये, बढ़ाने के लिये तरह-तरह की मदद अभी तक देता रहा है और आज भी उस व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

कई और प्रश्न नमक की कमी के बारे में सदन में उपस्थित किये गये। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन तीन चार महीनों के अन्दर नमक की काफी कमी रही और इस कमी के कारण कई जगह पर नमक का नियंत्रित भाव नहीं रह सका होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं क्योंकि जब नमक ऐसी वस्तु जो रोजमर्रा के जीवन में आवश्यकीय है यदि समय में किसी स्थान पर नहीं पहुंच सकती तो बीच का आदमी जो बेचने वाला है जब नियंत्रण करने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, वह आदमी अधिक कीमत पर अवश्य नमक बेचता होगा। ऐसा क्यों हुआ इसका माननीय सदस्यों को भली भांति-परिचय है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४० के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०–लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय तथा
अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८५ क–राज्य व्यापार की
सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०–असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय) के अन्तर्गत २,२४,८८,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९–राज्य व्यापार की योजनाएं (लेखा शीर्षक ८५–क–राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ४३,१४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १५ मार्च, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ मार्च, १९५४।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०–१६३ एल० ए०—१९५४–८५०।